राजस्थान विधान सभा

२६वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक १३ अप्रेल, सन् १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बजकर १० मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ४६०

श्री अध्यक्ष— प्रश्न ।

(विराम)

श्री कुम्भाराम आर्य ।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ४६१

श्री बृजेन्द्रपाल ।

(अनुपस्थित—कृपया प्रश्नोत्तर आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४६२-४६३

श्री रामलाल बन्सीवाल ।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री धर्मपाल ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री

प्रश्न संख्या ४६४

कस्बा चाकसू (जि० जयपुर) में बिजली लगाने सम्बन्धी शासकीय कार्यवाही

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगें।

(क) जयपुर जिले के चाकसू कस्बे में बिजली कब तक लगा दी जायगी ?

(ख) अब तक इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(सार्वजनिक निर्माण मंत्री) (क) अरबन रूल क्षेत्रों का विद्युतीकरण जिसके अन्तर्गत चाकसू आता है, लोड सर्वे के नतीजे पर निर्भर करता है। यह लोड सर्वे द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत करना प्रस्तावित किया हुआ है। अगर लोड सर्वे से यह मालूम हो जावेगा कि इनके विद्युतीकरण करने से पर्याप्त मात्रा में पोटेन्शियल लोड मिल सकेगा, और लाभदायक सिद्ध होगा तो इनका विद्युतीकरण किया जावेगा क्योंकि वह विभाग एक कॉमर्शियल विभाग घोषित किया जा चुका है।

(ख) इससे पहिले कि कोई योजना रूरल कम्यूनिटीज के लिए तैयार की जाय, इन्वेस्टिगेशन और लोड सर्वे के लिए धन राशि प्राप्त करनी पड़ती है। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने ३ लाख रुपए की धनराशि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में प्राप्त करली है।

श्री हरिशंकर—यह सर्वे कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको रख दिया है load Survey का वह काम मई में शुरू हो जावेगा।

श्री हरिशंकर—क्या यह आशा की जावे कि यह काम ६ महिनों में हो जावेगा ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया कि लोड सर्वे पर depend करता है।

श्री हरिशंकर—क्या यह समझा जावे कि यह काम ६ महीनों में शुरू हो जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो आशा की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४६५–४६६

श्री रामदयाल उपाध्याय।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी। (अनुपस्थित)

श्री कंवरलाल जेलिया प्रश्न संख्या ४६७ (अनुपस्थित-यह प्रश्नोत्तर आगे लिये गये हैं)

प्रश्न संख्या ४६८

तहसील खण्डार में नर भक्षक शेरनी को मारने का प्रबन्ध करने एवं मृतक प्राणियों के सम्बन्धियों को मुआवजा

श्री श्रीदास गोयल—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या तहसील खंडार में नरभक्षक शेरनी के कारण जनता बड़ी दुःखी है?

(२) यदि हां, तो उसे अबतक क्यों नहीं मारा गया और भविष्य में उसे कब तक मार डाला जावेगा?

(३) किस किस व्यक्ति को खंडार तहसील में शेरनी द्वारा मार डाला गया?

(४) सरकार मृतक प्राणियों के सम्बन्धियों को क्या मुआवजा देगी?

श्री भोगीलाल पंड्या—(१) जी नहीं। इस समय ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

(२) शेरनी मारी जा चुकी है।

(३) जहां तक जानकारी हो पाई है, शेरनी के अचानक आक्रमण करने से सिर्फ एक व्यक्ति श्री रामनाथ जाट मारा गया।

४. ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—यह कब मारी गई?

श्री भोगीलाल पंड्या—३१. ३. ५६ को मारी गई।

श्री श्रीदास गोयल—किसने मारी?

श्री भोगीलाल पंड्या—महाराज कुमार जयपुर द्वारा मारी गई ?

श्री श्रीदास गोयल—यह वही नरभक्षक शेरनी है, इसकी क्या पहचान थी?

श्री भोगीलाल पंड्या—वहां जिन लोगों की शिकायत थी और जो लोग जानते थे उन्होंने बताया कि यह वही शेरनी है, जो मारी गई है। उसके बाद कोई ऐसी वारदात नहीं हुई।

श्री श्रीदास गोयल—क्या किसी नर का शरीर का पुतला बना कर रख कर उसकी पहिचान की गई थी ?

श्री अध्यक्ष—It is immaterial.

श्री श्रीदास गोयल—How can it be finally disposed of ? The question is whether it was man-eater or not ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने बताया कि वह मेन ईटर थी। लेकिन उसको मारने के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

श्री श्रीदास गोयल—जो रामनाथ जाट मार डाला गया और १॥ साल से जिसका आतंक फैला हुआ था, क्या सरकार उस रामनाथ जाट के खानदान को उसकी गरीबी को देखते हुए आर्थिक सहायता देने का विचार कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वैसे तो मैंने आपको उत्तर दिया (४) में बताया गया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर वह बहुत ही गरीब हैं तो सरकार अन्य सोर्सों से कुछ कर सकती है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार स्थानीय अधिकारियों को जैसे कलक्टर आदि को इसके लिये जानकारी प्राप्त करने और सहायता देने के लिये लिखेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप दरख्वास्त दिला दीजिये हो सकता है कि देव स्थान आदि से कुछ सहायता दिलाई जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४६६

तिजारा, टपूकड़ा, भिवाड़ी (जि० अलवर) सड़क का ठेका एवं उसे शीघ्र सम्पूर्ण करवाना

श्री घासीराम—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे—

[श्री घासीराम]

(क) तिजारा टपूकड़ा, भिवाड़ी रोड (जिला अलवर) के ठेके किस किस तारीख को किस किस ठेकेदार के नाम हुये और किन तारीखों तक कार्य पूरा होने का था ?

(ख) क्या इस सड़क का काम पूरा हो चुका है ? अगर नहीं, तो कितना कार्य हो चुका है और कितना कार्य किस ठेकेदार का बाकी है ?

(ग) जिस ठेकेदार ने कार्य टाइम पर पूरा नहीं किया, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद—(क) और (ख) आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(ग) जिन ठेकेदारों का काम अवधि में पूरा नहीं हुआ है ठेके की शर्तं के अनुसार उन पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

(घ) नहीं। अवधि में कार्य नहीं कर सकने पर नाम काटने का कोई नियम नहीं है।

(सूची अनुपलब्ध)

श्री घासीराम—क्या यह सही है कि ठेकेदार कमलसिंह ने वहां पर माल नहीं डाला और अपना पेमेंट सरकार से ले लिया ?

श्री बद्रीप्रसाद—ऐसी जानकारी मेरे पास तो नहीं है। आप बताते हैं।

श्री घासीराम—क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद—नियम ऐसा है कि जो समय पर काम नहीं करता उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाती है और पेनल्टी इम्पोज की जाती है।

श्री घासीराम—अब कमलसिंह ठेकेदार का काम कब तक शुरू हो जावेगा और कब तक पूरा हो जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद—सामान डाला जा रहा है। उसको ताकीद की गई है कि जल्दी से जल्दी कार्य शुरू हो।

श्री घासीराम—क्या कमलसिंह ठेकेदार को जिन कर्मचारियों ने सामान नहीं डालने पर भी पेमेंट किया उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जावेगी ?

Page No 6

श्री बद्रीप्रसाद—मैंने बताया कि आपने जो बात बताई है, उसकी जांच की जावेगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४७०

श्री चांदमल मेहता—

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ४७१

बांदीकुई में सरकार की ओर से डाक बंगले अथवा विश्रामगृह का प्रबन्ध

श्री विशम्भरनाथ जोशी—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे— (अ) बांदा कुई में अभी तक राजस्थान सरकार की ओर से कोई डाक बंगला या विश्रामगृह क्यों नहीं बनाया गया है ?

(ब) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि इसी असुविधा के कारण अधिकारीगण अपने बांदीकुई के दौरों को टालते रहते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद—(अ) अर्थाभाव के कारण।

(ब) हां। थोड़ी असुविधा हो सकती है। किन्तु या तो रेलवे के डाक बंगले में ठहरने का प्रबन्ध कर सकते हैं या दौसा डाक बंगले में ठहर सकते हैं जो बांदीकुई से लगभग २२ मील दूर है।

(स) इस विभाग की जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—यह कब तक बनाया जा सकेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह बनाया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४७२.

राजस्थान में फोरेस्ट सेटलमेंट होकर सीमा निर्धारण में कार्य का आधार

(श्री सरदार सिंह की अनुपस्थिति में श्री हिम्मतसिंह द्वारा पूछा गया)

श्री सरदारसिंह— क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[श्री सरदार सिंह]

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान में फारेस्ट सेटिलमेंट होकर सीमा निर्धारण का कार्य हो चुका है ?

(ख) यदि हां, तो कहां कहां ?

(ग) यह सीमा निर्धारण का कार्य किस आधार पर किया जाता है ?

(घ) क्या फारेस्ट डिपार्टमेंट सीमा निर्धारण का कार्य स्वयं ही कर लेता है या तहसीलात के अधिकारियों और पटवारियों को साथ लेकर करता है ?

(ङ) क्या सीमा निर्धारिण के समय सेटिलमेंट रिकार्ड अत्यन्त आवश्यक है ?

(च) यदि हां तो ठिकाने उनियारा के जंगलात क्षेत्र सीमा निर्धारण के समय कौन कौन तहसील कर्मचारी, पटवारी और सेटिलमेंट के कर्मचारी मौजूद थे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) सीमा निर्धारण का काम जारी है।

(ख) सभी वन मन्डलों (फोरेस्ट डिविजनों) में काम जारी है, करीब करीब ३,००० वर्ग मील का सीमा निर्धारण कार्य समाप्त हो चुका है। अनुमान है कि १२,००० वर्ग मील क्षेत्र का सीमा निर्धारण बाकी है।

(ग) वन विभाग के आधीन भूमि और वन विभाग के अधिकार के बाहर की भूमि के बीच की सीमा वन विभाग का डिविजनल स्टाफ मौके पर अंकित कर देता है फिर राजस्थान वन अधिनियम की धारा ४ या २६ के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है। जिसमें मोटे रूप में सीमा का उल्लेख होता है। तत्पश्चात् वन बन्दोबस्त अधिकारी मौके पर जाकर स्थानीय जांच करते हैं और जांच के बाद अन्तिम रूप से सीमा निर्धारित की जाती है। राजस्थान वन अधिनियम में वर्णित ये सभी कार्यवाहियां पूरी हो जाने पर एक विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है जिसमें अन्तिम रूप से निर्धारित सीमा का उल्लेख होता है। ऐसी विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात ही सीमा का अन्तिम रूप से निर्धारण समझा जाता है।

(घ) वन विभाग और वन बन्दोबस्त अधिकारी ही सीमा का निर्धारण का कार्य कर लेते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो तहसील अधिकारियों और पटवारियों को साथ लिया जाता है।

(ङ) जहां मौके पर कोई तनाजा या रुकावट हो तो बन्दोबस्त का रिकार्ड काम में लिया जाता है। जहां पेमाइस के मौके नकशे होते हैं वहां पटवारी वगैरह रखने की जरूरत नहीं रहती।

(च) उनियारा के जंगल क्षेत्र की सीमा निर्धारण के समय तहसील कर्मचारी पटवारी या असिस्टेन्ट कर्मचारी का मौजूद होना आवश्यक नहीं था। इसलिये कोई मौजूद नहीं था। यदि आव-

[श्री भोगीलाल पंड्या]

श्यकता होगी तो वन बन्दोबस्त अधिकारी सीमा की जांच के समय तहसील के पटवारी या अन्य कर्मचारियों को मौके पर बुला लेंगे।

राज श्री हिम्मतसिंह—क्या यह सही है कि बहुत से काश्तकारों की जमीन जंगल की सीमा में लेली गई ?

श्री भोगीलाल पंडया—नहीं इसकी विज्ञप्ति निकाली गयी थी इस पर भी अगर किसी को आपत्ति होगी या कोई उजरदारी करेंगे कि इसमें से यह भूमि निकाल दी जाय जैसी कि आप सूचना दे रहे हैं तो उसकी जांच करके उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री छीतरलाल शर्मा—गांव से कितनी दूर तक का हिस्सा जंगल का हिस्सा माना गया है आबादी का।

श्री भोगीलाल पंडया—इसके लिये कोई खास नियम है फिर भी उसकी सीमा निर्धारण में किसी को आपत्ति होती है तो उस पर विचार किया जाता है।

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या यह सही है कि आबादी के बिल्कुल लगा हुआ हिस्सा भी जंगल मान लिया गया है ?

श्री भोगीलाल पंडया—ऐसी मुझे तो जानकारी नहीं आज आप सूचना दे रहे हैं जानकारी के बाद अगर यह बात मालूम हुई तो उचित व्यवस्था की जायगी।

श्री हिम्मतसिंह—क्या यह सही है कि सीमा निर्धारण में विलेज फोरेस्ट को नहीं छोड़ा जाता है।

श्री भोगीलाल पंडया—जहां विलेज फोरेस्ट आज भी है वे कायम रखे जाते हैं औ आवश्यकता होती है तो गांव वालों की स्वीकृति से राजस्व विभाग से पूछकर नये विलेज फोरस्ट के निर्धारण की आवश्यकता होती है तो की जाती है जैसी स्थिति होती है वैसी कार्यवाही की जाती है।

राज श्री हिम्मत सिंह—कलेक्टर टोंक के आदेश होने पर भी वहां के काश्तकारों को और जागीरदारों के आदमियों को सीमा निर्धारण के वक्त नहीं बुलाया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरी जानकारी में नहीं है जब मैंने बताया कि ऐसा नियम है है लेकिन जब आपने इस प्रकार की जानकारी दी है तो आपको चाहिये कि आप वन अधिकारियों को लिखें, वे उसके लिये कार्यवाही करेंगे। आपने नयी जानकारी दी है उसके बारे में जानकारी करने का प्रयत्न किया जायगा।

प्रश्न संख्या ४७३

बान्दीकुई के रेलवे मजदूर कर्मचारियों को राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न मजदूर कल्याण कार्यों के भ से वंचित न रखने सम्बन्धी

श्री विश्वंभर नाथ जोशी—will the Minister for Labour plesae state:--

[a] Why members of the Railway Labour staff af Bandikui are excluded from the benefits of the various Labour welfare activities of the Rajasthan Government ?

[b] Is it a fact that members of Railway Staff residing permanently in the Railway Colony at Bandikui Junction are citizens of the State of Rajasthan ?

[c] Is it also a fact that they are entered as voters in the voters lists prepared by the Government for purposes of the Assembly and Parliamentary elections ?

[d] If so, are they not entitled to the benefits of the various labour welfare activities sponsored by the Rajasthan Government !

[e] How much amount has been spent on labour welfare work at the Bandikni Railway Colony or at Phulera cr Gangapur for the well being of Railway labour ever since the formation of Rajasthan !

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) श्रम कल्याण कार्यों के लिये उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जो इस विषय में पिछड़े हुए हैं। बान्दीकुई के रेलवे स्टाफ के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा काफी श्रम कल्याण कार्य किया जा रहा है इसलिये इस क्षेत्र में कोई कार्य न करके सरकार उन क्षेत्रों की तरफ ध्यान दे रही है जहां श्रम कल्याण कार्य या तो बिल्कुल नहीं हो रहा है या कम मात्रा में हो रहा हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) श्रम कल्याण की प्रवृत्तियों से लाभ उठाने के अधिकारी हैं।

(ङ) कुछ नहीं।

श्री विश्वंभर नाथ जोशी—सरकार इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि बान्दीकुई इस दृष्टि से पिछड़ा हुआ नहीं है, क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास आंकड़े हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां वहां बहुत लम्बे अरसे से रेलवे के कारखाने है बहुत से कर्मचारी हैं और आप जैसे बहुत से अनुभवी कार्यकर्ता हैं। वहां यदि किसी प्रकार की असुविधा होती है ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि वे असुविधायें दूर हों। अब तक उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री विश्वंभर नाथ जोशी—जैसा कि आपने कहा लेबर वेलफेअर के बहुत से काम हो चुके है मैं यह जानाना चाहता हूँ कि वे कौन कौन से काम हैं? क्या माननीय मंत्रीजी बता सकते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप भी उन कामों से पूर्णतया परिचित हैं आप यदि पूरी सूचना ही चाहते हैं तो कृपया अलग से प्रश्न पूछिये सब बता दिया जायगा।

श्री विश्वंभरनाथ जोशी—अन्य मजदूर बस्तियों के बारे में भविष्य में रेलवे के कारखानों के लोगों के वास्ते वेलफेअर की कोई योजना बनाई जायगी तो क्या राजस्थान सरकार आवश्यक खर्चा देने की कृपा करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने उत्तर में बताया कि भारत सरकार की ओर से काफी काम हो रहे हैं, और आवश्यकता हुई तो राजस्थान सरकार प्रयत्न करेगी खर्च दिलवाने का या देगी।

प्रश्न संख्या ४७४

बाडी धौलपुर में मोटर बसों के मार्ग को पक्का कराने संबन्धी

श्री हंसराज जटिया—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि बाडी कस्बा धौलपुर सब डिवीजन में मोटर बसों के पास होने के लिये बाइ पास मार्ग की स्कीम है और उपरोक्त मार्ग के पक्का बनने की स्वीकृति हो चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसे किले को खिड़की से कायस्थ पाडा होकर निकाल कर महाराज बाग के पास सड़क में मिलाने का विचार रखती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) (ख) हां मार्ग के सम्बन्ध में जो सुझाव दिया है उसमें मोड़ वगैरह अधिक आते हैं और यातायात के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है।

Page No 11

श्री हंसराज जटिया—कब तक काम शुरू हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मन्जुरी हो चुकी है काम जल्दी ही शुरू होगा ।

श्री हंसराज जटिया—जिस मार्ग से आप बनाने जा रहे हैं उससे काश्त की भूमि आजायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दोनों ही रास्तों में काश्त की भूमि आयगी ।

श्री हंसराज जटिया—जो दूसरे मार्ग का सुझाव दिया उसके अनुसार करने में सरकार को क्या एतराज है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने जैसा अभी बताया है उस मार्ग में मोड़ ज्यादा आते हैं इसलिये वह सुविधाजनक नहीं है ।

प्रश्न संख्या ४७५

श्री अध्यक्ष—श्री रामदयाल उपाध्याय ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४७६

श्री लाल बहादुर सक्सेना ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४७७

श्री चांदमल मेहता ।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ४७८

ती नारायण चतुर्वेदी ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४६१

गंभीरी नदी में पुल न होने के कारण vehicle-owners को असुविधायें

श्री जवानसिंह—(श्री बृजेन्द्रपाल की ओर से) :—Will the Minister for Public Works Department be pleased to state :—

[a] Is it a fact that in the absence of a Bridge over the Gambhiri River, the villagers of Mahu and Tigaria deliberately trap vehicles during the monsoon, and compel vehicleowners to pay big amounts to pull out the vehicles ?

[b] Will the Government take adequate steps in future to stop this harrassment ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—[a] Government is not aware of this.

[b] The question does not arise.

श्री जवानसिंह—Will the Goverment take pains to know this position ?

श्री अध्यक्ष—Will the Government take pains about the knowledge of the situation ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—Now we will enquire about it.

श्री रामलाल बंसीवाल।

(अनुपस्थित)

श्री धर्मपाल पंवार।

(अनुपस्थित)

श्री रामदयाल उपाध्याय।

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४६७

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण कार्य हेतु धनराशि निर्धारण के आधार

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री कंवरलाल जेलिया]

(अ) क्या यह सच है कि सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण कार्य अलग अलग डिवीजनों के आधार पर निर्धारित किये हैं और इस हेतु अलग अलग धन राशि निर्धारित कर दी है ?

(ब) यदि हां तो किस किस डिवीजन में कितनी कितनी धन राशि निर्धारित की है ?

(स) उक्त योजना के तहत कोटा डिवीजन में किस किस सड़क के लिये कितनी कितनी रकम निर्धारित की है ?

(द) १ अप्रेल ५६ से कौन कौन से कार्य इस योजना के अन्तर्गत शुरू हो जायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(अ), (ब), (स), (द) प्रश्न विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या ४७८

शुद्ध तथा प्रमाणित खादी के सिले हुये कपड़ों इत्यादि पर सेल्स टैक्स

श्री नारायण चतुर्वेदी—(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ने पूछा):-

क्या पृथक राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या शुद्ध तथा प्रमाणित खादी के सिले हुये वस्त्रों पर तथा खादी उत्पादन करने के सरंजाम तथा तिरंगे राष्ट्रीय झंडे पर सेल्स टैक्स लिया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—।१। खादी के सिले हुये वस्त्रों पर तथा हाथ करघे के अतिरिक्त खादी उत्पादन करने के सरंजाम पर तथा तिरंगे झंडे पर बिक्री कर लिया जाता है ?

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार इस प्रकार की चीजों को बिक्री कर से मुक्त करने का निर्णय लेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग की चीजों पर सेल्स टैक्स माफ किया गया है। जिस समय वह सूची बनी थी कुछ चीजें रह गई थी जिन पर सेल्स टैक्स माफ करने के लिए कार्यवाही जारी है, आशा है बहुत जल्दी माफ हो जायगा।

Page No 14

श्री श्रीदास गोयल—क्या ये तमाम चीजें शामिल हो जायंगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—कब तक शामिल हो जायंगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बहुत जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र ।

भू-स्वामी आन्दोलन सम्बन्धी गृह मन्त्री द्वारा किये जाने वाले व ठ्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष—Qustions are now over.

(श्री रामकिशोर व्यास गृह मन्त्री से) क्या आप आज स्टेटमेंट देंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास—रावत श्री शम्भूसिंह जी नहीं हैं। सोमवार को दूंगा। उन्होंने कहा था कि वे दो दिन नहीं रहेंगे।

श्री वेदपाल त्यागी—It has become the property of the House. If the member concerned is absent it should not mean that the Minister should be absolved from making any statement.

श्री रामकिशोर व्यास— मैं तो तैयार था।

श्री वेदपाल त्यागी—Then we would like to know when the statement will be made on the floor of the House.

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, शम्भूसिंह जी की अनुपस्थिति में परिस्थितियां अनुपस्थित नहीं रहतीं अतः आप आज ही वक्तव्य दें तो अच्छा रहेगा ।

श्री रामकिशोर व्यास—परसों वे मुझे लोबी में मिले थे, उन्होंने कहा था कि वे दो दिन के लिए बाहर जा रहे हैं; यदि सोमवार को रखा जाय तो ठीक रहेगा।

श्री भैंरूसिंह—मैंने भी तो एडजोर्नमेंट मोशन दिया था।

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने कहा था कि एक-दो दिन बाद दूंगा।

श्री भैंरूसिंह—आपने फरमाया था कि एक-दो दिन बाद दूंगा, इसीलिए तो आज कहा जा रहा है, सब के फायदे की बात है ।

श्री अध्यक्ष—Let the statement be with more facts.

(हंसी)

श्री हिम्मतसिंह—कोई तारीख निश्चित हो इसके लिए ?

श्री अध्यक्ष—(श्री रामकिशोर से) कबतक ?

श्री रामकिशोर व्यास—(गृह मंत्री) मन्डे तक।

श्री अध्यक्ष—Monday.

श्री हिम्मतसिंह अटरू—नही देर हो जावेगी।

श्री रामकिशोर व्यास—मैं तो उसी दिन दे रहा था।

श्री जवान सिंह—उपस्थित आवश्यक हो तो आज ही तय कर लिया जावे।

श्री अध्यक्ष—At any rate the statement will be given by monday.

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १६५६
(विचार-विमर्श)

Shri Badri drasad Gupta to move that the Rajasthan District Boards [Amendment] Bill, as reported by the select Committee, be taken into consideration.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय,............

श्री भैरूंसिंह—On a point of order, sir.........

श्री अध्यक्ष—मूव तो कर लेने दीजिए। After being moved.

श्री भैरूंसिंह—The point of order should be given preference. मूव करने के बाद तो दिक्कत आ ही जावेगी।

श्री अध्यक्ष—Unless I say that the motion is moved.

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(श्री भैरोंसिंह एवं श्री त्यागी के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—So Many! There wili be one point of order at one time.

श्री भैरूसिंह—माननीय अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस पर विचार किया जावे, इस पर आगे की कार्यवाही की जावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इस सदन में ९ तारीख को पेश की और इसके बाद अपनी विधान सभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर का नियम १३६ उस पर लागू होता है, जिस में इस बात का उल्लेख है—

"Procedure after presentation of report.-[1] After the presentation of the final report of a Select Commitee on a bill, the member-in-charge may move-

[a] that the bill as reported by the Select Commitee be taken into consideration, provided that any member of the Assembly may object to its being so taken into consideration if a copy of the report has not been made availale for the use of members for five days and such objection shall prevail unless the Speaker in the exercise oi his power to to suspend this rule allows the bill to be taken inso consideration, or माननीय अध्यक्ष, ९ तारीख को जब यह रिपोर्ट प्रस्तुत होती है तो इस रूल के अनुसार यह १४ तारीख को यह मोशन आना चाहिये था कि इस विधेयक पर विचार किया जावे और पारित किया जावे। जहां तक इस रूल का प्रश्न है माननीय अध्यक्ष को इस बात का अधिकार है कि चाहे तो इस को रिजेक्ट कर दे चाहे स्वीकृति दे दे। पर यह देखना पड़ेगा कि इसमें गलती किस ओर से की गई है, किसने गलती की है? यह प्रवर समिति का प्रतिवेदन पहले भी प्रस्तुत किया जा सकता था और सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जल्दी मंगवाई जा सकती थी। पर अब जहां ९ तारीख को प्रस्तुत करते हैं और फिर रूल को रिलेक्स करवाने की स्थिति पैदा करके और उस स्थिति में अध्यक्ष महोदय को डालकर सरकार किसी भी प्रकार से संरक्षण चाहती है अपनी गलतियों के लिए, तो यह अनुचित होगा। माननीय अध्यक्ष को अधिकार है इसका, पर इसका उपयोग केवल उस समय होना चाहिये जिस समय विशेष प्रकार की परिस्थिति कायम हो जावे। इसके विपरीत केवल सरकार की गलतियों को प्रोटेक्शन देने में इस अधिकार के लिए कहा जाय तो वह ज्यादा उचित नहीं होगा। सरकार गलती करती है तो उसका फल उसे भुगतना चाहिये। उसने गलती की। उसने ९ तारीख को सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करवाई, वह पहले करवा सकती थी। अगर यह पहले करवा दी जाती तो इस पर अच्छी

[श्री भैंरूं सिंह]

तरह से विचार करने का समय मिल जाता और विचार हो जाता, कोई दिक्कत पेश नहीं होती। पर ऐसा नहीं करने से यह सरकार की गलती हुई है और इसको प्रोटेक्शन देने का काम मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, अति नम्र शब्दों में आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष का नहीं होना चाहिये। फिर भी किसी भी सूरत में होता है तो १४ तारीख को बैठक हो ही रही है तो उस दिन किस दिन पांच दिन पूरे होते हैं, इस दिन इस पर विचार कर सकते हैं। एक दिन पहले केवल इसलिये कि रूल में रिलेक्सेशन हो जावेगा इसे यहां लाकर गलत परम्परा का डाला जाना उचित नहीं होगा। इसलिये निवेदन करूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय से कि इसे किसी तरह से भी आज विचार करने की अनुमति नही दी जानी चाहिये। और यदि सदन से इस प्रकार की अनुमति दिलवाई जावेगी तो जहां जहां रूल्स के रिलेक्सेशन कराने का प्रोवीजन है उसका फायदा सरकार द्वारा बार बार गलतियां करते हुए उठाया जाता रहेगा, और यह गलत परम्परा पड़ जावेगी। इसलिये भी सरकार को एग्जेम्प लरी तौर पर कुछ बताने की दृष्टि से भी निर्णय दें अध्यक्ष महोदय आप, तो ऐसी परिस्थिति पैदा करने की बात आगे नहीं आवेगी। इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी हालत में इस बिल को पांच दिन पूरे होने पर विचारार्थ लिया जावे। इसके लिये रूल को रिलेक्स करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—रूल तो साफ है। इसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप (अध्यक्ष महोदय) इस पर उचित निर्णय देंगे और हमारी प्रार्थना को कुबूल करेंगे और मन्त्री महोदय भी समझेंगे और इसको आज नहीं लेकर कल लेने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष—But does it make any difference ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—No, No !

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—On a point of order, I have to submit that the objection raised by the Hon'ble Member, though the Hon'ble member is technically entitled to raise the objection, but there are other considerations which should be taken into account. We know that the ordinance is due to expire on the 15th, There are number of District Boards

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

at present functioning in Rajasthan whose existence is involved. They are institutions of public utility whose continuity and existence should be ensured under the law. Now I believe no material prejudice would be done by taking the Bill into consideration. The members have had sufficient notice of the report of the Select Committee. It had been laid on the table of the House on the 9th April. Moreover, as is provided in this clause itself which has been referred to by the Hon'ble Member, and there is another provision in the Rules of Business of the Assembly which authorises the Hon'ble Speaker to suspend the operation of any rule or section of the Rules of Business of the Assembly if that is necessary for the purpose of enabling the House to take into consideration any piece of legislation which it is necessary to pass. Particularly when any amount of urgency is associated with it, there is no reason why the discretion of the Speaker should not be exercised so as to avoid the creation of a legal vacuum regarding the existence of institutions of public utility like Jaipur, Sikar, Jhunjhunu, Sawaimadhopur District Boards.In view of this urgency and in view of the circumstances of the case I have to submit Sir, that the discretion of the Speaker shold be exercised for permitting a discussion of the Bill and the operation of a particular rule which requires five days' notice should, in this particular case, be suspended.

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, पांच दिन का जो १३६ वीं धारा के अन्दर नियम है, उसके बारे में एक दृष्टिकोण तो बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने रक्खा । दूसरा जो विचार धारा है उसे मैं प्रस्तुत करता हूं ।

पांच दिन की मियाद इस लिये रक्खी कि स्टैडी करने के लिए सदस्यों को काफी समय मिले । पर अगर हम इस बिल को देखें तो इसमें कुल चार धाराऐं हैं जिनको स्टैडी कर लेने में कोई अधिक समय की आवश्यकता नहीं है ।

वैसे भी देखा जावे तो आज पांचवा दिन है, हालां कि सम्पूर्ण नहीं होता है तो भी काफी समय मिल गया है ।

वैसे सिलेक्ट कमेटी में भी इसमें कोई खास अमेन्डमेन्ट नहीं हुआ है । ऐसी सूरत में हमें देखना है कि कोई प्रीज्यूडिस तो नहीं हुआ है । तो मेरा निवेदन यह है कि यदि आज पांचवा दिन गिन लिया जावे तो भी हर्ज नहीं होता न कोई प्रीजूडिस होता है । इस सूरत में टैकनीकल पोईन्ट को मद्दे नजर न रख कर इसे आज ही ले लिया जावे ।

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, इस पोइन्ट ऑफ आर्डर पर जिस तरह की बहस हो रही है उसके लिए मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। वह यह है कि प्रोसीजरल रूल्स जितने भी हैं अगर उनको आप मुलाहिजा करें तो जहां टाइम लिमिट मुकर्रर हैं वह सब टेकनिकल हो जाते हैं अगर दृष्टिकोण मान लिया जाय जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है। लेकिन टेकनिकलिटी को आधार नहीं देना चाहिए बल्कि हमने जो प्रोसीजर नियत किया है उसको कितना फालो करते हैं। प्रोसीजर में यह लिखा हुआ है कि ५ दिन कम से कम मेम्बर्स के पास वह रिपोर्ट रहनी चाहिए उसका मतलब यह नहीं है कि आज पांचवा दिन है जैसा कि मेरे मित्रों ने कहा है। इसमें मुझे आपत्ति है कि आज पांचवा दिन नहीं है लेकिन इसका मतलब यह है कि लोगों को उस पर विचार करने का पूरा अवसर मिल जाय वर्ना ५ दिन के बजाय ४ दिन और तीन दिन भी हो सकते थे। अगर इसकी इतनी अरजेन्सी थी तो उन लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। पहले रेफर करना चाहिए था। इस तरह से पास कराना चाहिए था ताकि उससे रूल्स और प्रोसीजर जो हैं उनको वायलेट करने की नौबत नहीं आये। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर गवर्नमेंट की कुछ गलती के कारण कोई इस तरह की स्थिति पैदा होती है कि जिससे कोई इन्स्टीट्यूशन जो आज बनी हुई हैं वे फन्क्शन नहीं कर पाती हैं तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर है। लेकिन उस पर विचार करने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह स्थिति पैदा होगी या न होगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज पांचवा दिन कभी भी नहीं गिना जा सकता है। जनरल क्लासेज एक्ट में जो धारा दी गई है कि किस तरह से कम्प्यूटेशन ऑफ पीरियड होगा, उसमें उस दिन को जिस दिन की यह बिल सिलेक्ट कमेटी की तरफ से प्रस्तुत हुआ है वह दिन हरगिज नहीं गिना जायगा। वह एक दिन बाकी है। कल यह लिया जा सकता है। लेकिन सिर्फ इसलिये कि आज का दिन गवर्नमेंट को सूट करता है लिहाजा हरेक धारा को और रूल्स को वायलेट करें यह चीज अच्छी परम्परा नहीं होगी। हमको परम्पराएं अच्छी कायम करने के लिए इस बात को मानना चाहिए कि जो भी रूल्स बने हैं उनका ठीक तरह से पालन करें, और उसका पालन करने में ही हम लोगों की शान है।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इस बिल के सम्बन्ध में यह ठीक है जहां तक पांच दिन का प्रश्न है। इसलिए रूल १३६ के अन्तर्गत ५ दिन सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद फिर इस बिल को कन्सीडिरेशन में लिया जाता तो उसकी बिलकुल अवहेलना ही नहीं होती,बल्कि कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता कहने का। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि जो बिल यहां पेश किया गया है वह यहां बहस करने के बाद सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। उसमें २,३ क्लॉजेज पर साधारण से अमेन्डमेंट्स थे और वह क्लाजेज बदस्तूर जहां तक सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है उसी हालत में आ रहे हैं जैसे कि ओरीजिनल बिल में थे। तो केवल कहना यह है कि व्यवहारिकता जोकि बहुत बड़ा मुद्दा है वह इन तमाम बातों में देना चाहिए। उसके विपरीत चलें तो इन दी इन्ट्रेस्ट ऑफ दी पब्लिक इसको कन्सीडिरेशन के लिए लेना है। जहां तक पांच दिन का सवाल है बहुत बड़े बड़े बिल जैसे कि टेनेन्सी बिल, लेंड रेवेन्यू बिल या सेल्स टैक्स बिल इत्यादि २ बिल आये जिनके पढ़ने में एक, एक हफ्ता या १० दिन लग सकते हैं कुछ

[श्री श्रीदास गोयल]

सुस्त आदमियों को और जल्दी पढ़ने वाले तो एक दो दिन में ही पढ़ सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थिति में यह जो साधारण सा बिल सिलेक्ट कमेटी से यहां आया है जिसके पढ़ने में मेरे माननीय चतुर मित्रों को एक घन्टे से अधिक समय नहीं लगना चाहिये तो उसमें ५ दिन का समय जो कि रूल १३६ के मुताबिक एवेलेबल है लेना उपयुक्त नहीं हो सकता है।

दूसरी बातें यह भी हैं कि मेरे माननीय मित्र डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मशीनरी को ठप्प भी नहीं करना चाहते हैं १५ तारीख के बाद, क्योंकि इसके आधार पर सेस वगैरह की वसूली के मामलों में दसों कठिनाइयां आयेंगी और अगर यह बाद में पास भी हो जायगा तो भी बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जायगीं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्टाफ की सेलेरीज़ वगैरह देने में ऐसी स्थिति आयेगी जिसको कि मेरे माननीय मित्र जो अपोजिशन की तरफ से बोल रहे हैं उनकी भी यह भावना नहीं होगी कि इस बिल को कन्सीडिरेशन के लिए नहीं लिया जाय। हां, उन्होंने एक सावधानी बरतने या चेतना इसलिए दी है कि भविष्य में ऐसे बिल को लाया जाय तो जरा होशियारी से काम लें और ५ दिन का गैप रखा जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में निवेदन करूंगा कि रूल १३६ की लास्ट लाइन क्लाज ए की है कि—

"that the Bill as reported by the Select Committee be taken into consideration, provided that any member of the Assembly may object to its being so taken into consideration, if a copy of the report has not been made available for the use of members for five days and such objection shall prevail unless the Speaker in the exercise of his power to suspend this rule allows the bill to be taken into consideration; or" तो मैं निवेदन करूं कि जिसे पढ़ने से मालूमात होती है कि जैसा कि माननीय सदस्य श्री भैंरूंसिंहजी ने कहा कि माननीय अध्यक्ष अपने डिस्क्रीशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिये। लेकिन मैं इसके विपरीत निवेदन करूंगा कि जहां कील्यर जुडीशियल फन्क्शन हो और उसमें यदि डिस्क्रीशन जैसी स्थिति आये तो उसके लिए नका डिस्क्रीशन सरकार के पक्ष में जाना चाहिये और खास तौर से जब कि १५ तारीख से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का काम रुकने वाला है।

इसलिये अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि १३६ रूल के अन्तर्गत इस बिल को आज ही सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद कन्सीडिरेशन में लिया जाना मुनासिब है।

श्री अध्यक्ष—It is full days, debate.

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह काफी महत्व पूर्ण विषय है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अभी जो बातें बताई गई हैं उस तरफ बैठने वाले माननीय मित्रों ने, उनसे कुछ ऐसा लगता है कि शायद वे व्यक्तिगत रूप से कहीं स्वार्थ तो नहीं रखते और इस प्रकार से कहीं उनके निहित स्वार्थों में अन्तर आता है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उनके विचारों को मानना ही नहीं

[श्री जवानसिंह]

चाहिये। इसके अलावा एक दो माननीय मित्रों ने और कुछ बातें कहीं हैं और इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये कि इस सदन के अन्दर बराबर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर कीचड़ उछाला गया है। उसकी कुरीतियों को हमारे सामने रखा कि ऐसी बेकार की संस्थां को क्यों रखें ? इसलिये सरकार से निवेदन करूंगा कि वह अपनी पुरानी खराबियों को, पुरानी बुराइयों को अपने सर पर क्यों ले ? पुराने गये गुजरे जमाने की बुराइयां जो हैं वह क्यों कायम रहें ? अच्छा तो यह होगा कि नये सिरे से काम शुरू करें। दूसरी जगह जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्डस नहीं हैं वहां की तरह नये सिरे से काम हो जायगा और किसी को शिकायत नहीं रहेगी कि सरकार ने बुरा किया है। यह सारी बुराइयों की जड़ जो है, वह खत्म हो जायगी। नये सिरे से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनते हैं तो उन्हें बनने दिया जाय। यह तभी होगा जब कि जो प्वाइन्ट आफ आर्डर हुआ है उसको मंजूर कर लिया जाय। बुराइयां जो आप कायम रखना चाहते हैं, वह भी नहीं होगा और नये सिरे से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम करने का जनता को मौका देंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि इस चीजको मंजूर किया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—अध्यक्ष, महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल जो विचारार्थ सदन के समक्ष है उस पर आपत्ति उठाई गई है कि पूरे पांच दिन नहीं हुए हैं सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आये हुए इसलिये आज उसको नहीं लिया जाना चाहिए और रूल १३६ में जो अधिकार अध्यक्ष महोदय, को दिया गया है उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका यहां उचित व्यवहार नहीं है और उचित उसका लाना नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में आर्डीनेन्स जारी किया गया था उसकी १५ अप्रेल को मयाद खत्म होगी। सदन के शुरू में ही वा आर्डीनेन्स यहां पेश कर दिया गया था। उसके बाद बजट चला और फिर फाइव यिअर प्लान और एस. आर. सी. पर डिबेट्स चलती रहीं उनकी वजह से वह पहले नहीं आ सका और यहां-आया तब हाउस का आग्रह रहा कि सिलेक्ट कमेटी में जाय। हमने इसी ख्याल से कि उक्त मियाद तक यह ले लिया जाय तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है और सिलेक्ट कमेटी में जाने के लिये एग्री कर लिया। इसलिए यह परिस्थिति थी और आज वह आपके सामने रखा है। अब यह कहना कि जब तक पहले ५ दिन नहीं हों तब तक न लिया जाय और अध्यक्ष महोदय अपने अख्तयार को इस्तेमाल न करें तो उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि यह ऐसा केस है कि जिसमें अध्यक्ष महोदय का अपने अख्त्यारात का इस्तेमाल करना बहुत वाजिब है। क्योंकि इसमें इस तरह की बात नहीं है। यह हाउस के सामने आ चुका है। हाउस ने उस पर विचार किया है और फिर उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा है। रूल १३६ में खुद में लिखा है कि अध्यक्ष महोदय चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। उसके अलावा रूल ११६ में साफ दिया हुआ है कि अगर अध्यक्ष महोदय, मुनासिब समझे तो किसी रूल को सस्पेण्ड कर सकते है इसलिए मैं हाउस के जरिये अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस रूल को सस्पेण्ड कर दें और यह इस तरह का केस है उसकी इजाजत न दी जाय।

श्री भैंरू सिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष, थोड़ा सा यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी एक पोइंट ऑफ आर्डर पर माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे तीन बातें सामने आयी हैं। पहली बात यह आई है विधान सभा की नियमावली, दूसरी बात यह आई है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जिन्दगी और तीसरी बात यह आई है सरकार की भूल। तीन बातों में किस बात को मंजूर करना चाहिये यह गौरतलब बात है। जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जिन्दगी का सवाल है इस सदन में कई बार चर्चा हुई है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को तुरन्त डिजोल्व कर दिया जाना चाहिए। जहां तक सरकार की भूल का प्रश्न है सरकार भूल करने की आदी है और सरकार के लिए जब तक भूल न करने का कोई सख्त कदम नहीं उठावेंगे। तब तक आयन्दा भूल न करने के आश्वासन कई मिले लेकिन पूरे नहीं हुए और न आश्वासन मिल सकता है। तीसरी बात यह हो सकती है कि किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये आगे भूल न करने के लिये हम नियमों का उल्लंघन करना चाहते हैं या नहीं। हम शिशु परम्पराओं से निकल कर ऐसी परम्परायें डालने जा रहे हैं जो कि भविष्य का कार्यक्रम निर्धारित करेंगी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड डिजोल्व हो जावे, सरकार ने भूल की, उसकी परवाह नहीं लेकिन नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपको अधिकार है लेकिन आप ऐसी परम्परा बानवेंगे तो जिसका फायदा उठा कर सरकार एक बार नहीं कई बार गलतियाँ करती आयी हैं, करती जावेंगी। कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के खत्म हो जाने से काम रुक जावेगा, मैं निवेदन करूंगा कि उनको खत्म कर देना चाहिए।

श्री सोहनलाल भटनागर—On point of order, Sir, here can be no discussion, No there can be reply on the point of order. Sir.

श्री अध्यक्ष—Y es.

श्री भैंरूसिंह—मैं रिप्लाई नहीं दे रहा था, मैं तो निवेदन कर रहा था।

श्री अध्यक्ष—This is against the procedure.

श्री भैंरू सिंह—इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो कोई निर्णय हो उसमें सरकार को प्रोत्साहन नहीं मिले, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिन्दा न रहें। नियमों का पालन हो और ऐसा निर्णय होगा तो वह उचित होगा।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, रूल ११६ के अन्तर्गत यह आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि रूल १३६ का जो ओपरेशन है उसको सस्पेन्ड कर दिया जावे। डिरक्शनरी पावर्स अध्यक्ष को इसीलिए इसमें प्रोवाइड करदी गई है कि बिजनेस ऑफ दी हाऊस रुके नहीं और कोई बीमारियां पैदा न हो। यही ११६ के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके जरिये से १३६ को सस्पेन्ड कर दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, बार बार यह कहा गया है कि सरकार की गलती है, मैं इसको मानने से इन्कार करता हूं। सरकार की कोई गलती नहीं हुई है। जब इस संशोधन विधेयक को विचारार्थ लाया गया तो माननीय अध्यक्ष उसको उस वक्त विचारार्थ लिया गया और कोई आपत्ति नहीं की गई। विचार के लिये आया तो उस वक्त विचार करने के लिये तैयार थे। उसी तरह की दलील थी कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिये और इसको इस शर्त पर सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया कि इसे वहां से वापिस चार दिन में ले लिया जायगा। अब अगर इस प्रकार की दलील दी जाती है तो मैं नहीं समझता कि इसमें क्या सार है और वह बेबुनियाद है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जनता का फायदा कर रहे हैं, वे इनको डिजोल्व कराके एक कैयोस पैदा करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि गवर्नमेन्ट का सारा काम खत्म कर देना चाहिए। सिलेक्ट कमेटी में भेजने के पहले यह कहा गया था, कि चार दिन टाईम रखते हैं और इसलिये उसको मंजूर कर लिया गया था। इस ऑर्डिनेन्स की १५ की मयाद खत्म हो रही है फिर यह दलील रखी जा रही है कि इसको आये पांच दिन का समय पूरा नहीं हुआ है इसलिए इसको न लिया जाना चाहिए। जिस रूप में यह बिल सरकार की ओर से प्रस्तुत हुआ सिलेक्ट कमेटी में कोई माईनर तरमीम हुई है। बहस कुछ और हो रही है, पूरा टाइम नहीं मिला और इसलिए इसको अध्यक्ष महोदय न लिया जाय। मैं समझता हूं कि यह बहस उचित प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति आये तो उसके लिए कानून में अध्यक्ष को पावर्स दिये हुये हैं। यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जनता के फायदा के काम कर रहे हैं। आप इसको न लेने से एक कयोस पैदा करना चाहते हैं क्यों कि इसकी मयाद शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। सारी बातों पर पहले ही विचार कर लिया गया है और इसीलिए चार रोज के लिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा। चार रोज हो गये हैं एक दिन की बात है, अब कौनसी बात सुन्दर रहेगी, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, अध्यक्ष महोदय अपना निर्णय देंगे।

श्री अध्यक्ष—मैं स्वयं भी बड़ा असमंजस में हूँ। इतने स्टेटमेन्ट्स दिये जाने के बाद में लेकिन सदन के सदस्यों के सामने मैं इस संशोधन विधेयक का एक तारीख वार इतिहास बता दूं जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जायगी। यह बिल गवर्नमेन्ट की ओर से २२ मार्च, सन् १९५६ को इस सचिवालय में प्राप्त किया गया और २८ मार्च, १९५६ को इन्ट्रोड्यूस किया गया। अंग्रेजी अनुवाद करवा के प्रेस में २४ मार्च १९५६ को प्रतिलिपियां भेजी गई। उस बिल का प्रूफ २८ मार्च १९५६ को हमारे यहां प्राप्त हुआ। नोटिफिकेशन के लिए गवर्नमेन्ट प्रेस में भेजा गया तो राजस्थान राजपत्र में ३१ मार्च को प्रकाशित हुआ। उस बिल का प्रूफ प्रेस से ३० मार्च १९५६ को आया और उसको चेक करके उसी दिन भेजा गया। उसकी प्रतिलिपि ३१ मार्च १९५६ को माननीय सदस्यों को प्राप्त कराई गई। बिल सिलेक्ट कमेटी को ६. ४. ५६ को सिपुर्द किया गया। सिलेक्ट कमेटी की मिटिंग उस रोज होने को थी लेकिन कोरम के अभाव में मीटिंग नहीं हो सकी और ७ अप्रेल को मीटिंग हुई। कमेटी ने ७ अप्रेल की कार्यवाही पूरी करके रिपोर्ट तैयार कर ली और वह रिपोर्ट ८ अप्रेल १९५६ को प्रसारित कर दी गई और उसी दिन चार बजे तक डिसेन्ट नोट मांगे गये। इस सदन में वह रिपोर्ट ६ अप्रेल १९५६ को प्रस्तुत कर दी गई।

[श्री अध्यक्ष]

और उसी रोज सदन में डिसेन्ट नोट के साथ में माननीय सदस्यों को प्रसारित कर दी गई। अब देखना यह है कि यह विधेयक जो केवल चार पांच सेक्शन्स का है और १ पेज में इसका सारा समावेश है इसके लिए एक घंटा काफी है, एक रोज काफी है, क्यों कि इतना बड़ा विधेयक नहीं है। इस पर विचार करने के लिए, लेकिन चार रोज मिलते है। फिर भी इस पर अधिक मन्तव्य है, (इच्छुक हैं तो स्पष्ट कर सकते हैं। फिर माननीय सदस्यों को यह हो) कि १३६ में जो स्पीकर को पावर्स हैं उनको इन्वोक न किया जाय और रूलिंग दे दें कि पांच दिन की अवधि पूरी नहीं हुई है इसलिए इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड संशोधन विधेयक को न लिया जाय लेकिन रूल ११६ तो इस धारा १३६ को डिस्कार्ड करने वाला है।

Any way the bill has to be taken today.

श्री तनसिंह—मेजोरिटी से इसको पारित करना ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष—It comes to the same thing. The speaker is supported by majority·

(हंसी)

श्री भैरूं सिंह—माइनोरिटी का भी काउन्ट तो होगा।

श्री अध्यक्ष—I May put it vote.

(विराम)

There is a motion moved by Shri Sridas Goyal under rule 11, 6 that clause 136 be suspended ?

श्री भैंरू सिंह—For ever ? Hon'ble Speaker:—For this amendment Bill.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्रीदास गोयल ने रखा है कि रूल १३६ का सब रूल (१) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के संशोधन विधेयक के लिए लागू न किया जाय, वह स्वीकृति हो।

(मत-दान के पश्चात्)

Ayes have it.

श्री भैंरू सिंह(16)—Noes have it, sir)

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

[श्री भैंरू सिंह]

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री श्रीदास गोयल ने रखा है कि नियम ११६ के अन्तर्गत नियम १३६ के उपनियम [१] को राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्डस विधेयक के लिए नहीं लागू रखा जाय।

(पुनः मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री संतोषसिंह कछवाहा— ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष—डिविजन चाहते हैं ?

श्री भैंरू सिंह—डिवीजन होना चाहिये लोबीज में जाकर। उधर के लोग भी इधर जावेंगे।

श्री अध्यक्ष—This is hoping against hopes.

[विराम]

हां पक्ष जीता। रूल १३६ का सब रूल [१] डिस्ट्रिक बोर्ड्स [संशोधन] वधेयक, १९५६ के लिये सस्पेण्ड किया गया।

[विराम]

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री भैंरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को दुबारा सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय।

श्री वेदपाल त्यागी—That he can do.

श्री भैंरू सिंह—[१६] माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से अभी माननीय अध्यक्ष ने बताया कि यह बिल किस तारीख को इस सदन में प्रस्तुत हुआ, किस तारीख को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया, किस तारीख को सिलेक्ट कमेटी ने विचार किया, किस तारीख की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और किस तारीख को वह विचारार्थ लिया जा रहा है, मैं समझता हूँ इन तारीखों में यदि हम एक तारीख यह भी जोड़ दें कि तारीख १३. ४. ५६. को दुबारा यह प्रवर समिति के पास गया और दुबारा इस पर विचार किया गया तो ज्यादा अच्छा होगा।

[श्री भैंरूंसिंह]

चाहिये यह था कि ऐसे बिल के संबंध में हम ताकीद से विचार न करके इस मामले में जितने एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेते, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बारे में जो हमारा अनुभव है उसको काम में लाते, लेकिन जिस तरह से इस सदन में रूल्स को रिलेक्स करने की परिस्थिति पैदा हुई उसी प्रकार माननीय अध्यक्ष, सिलेक्ट कमेटी के अन्दर भी किसी भी एक्सपर्ट को या विशेषज्ञ को बुलाकर जानकारी नहीं प्राप्त की गई। बद किस्मती यह है कि विशेषज्ञ आये उस समय सिलेक्ट कमेटी रिपोर्ट तैयार कर चुकी थी जिन विशेषज्ञों को इस विषय में जानकारी के लिये बुलाया गया था उनसे भी जानकारी प्राप्त की गई या नहीं यदि मैं बताऊं अध्यक्ष महोदय कि सिलेक्ट कमेटी ने दो बातों की ओर विशेष तौर से ध्यान दिया तो अनुचित नहीं होगा। एक बात तो यह है कि जो समय इस बिल के द्वारा हम डेढ़ वर्ष का करना चाहते थे वह सिलेक्ट कमेटी ने बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया। जब मूल कानून सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ उस समय पर वादविवाद हुआ, उस समय कई माननीय सदस्यों ने ऐतराज किया था कि इस में ६ महीनों की अवधि ज्यादा है, इसको कम की जा कर ३ महीनों की की जाय। उस समय सरकार की ओर से ऐसा उत्तर प्राप्त हुआ, मैं समझता हूँ उस बिल को पाइलोट करने वाले श्री रामकरण जी जोशी स्वायत्त शासन मंत्री थे। उन्होंने सदन में कहा था कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव ३ महीनों में तो नहीं किन्तु ६ महीनों में अवश्य हो जायेंगे। ६ महीनों की अवधि सोच समझ कर रखी है। इलेक्ट्रोरल रोल्स बनाने हैं और वार्ड्स बनाने हैं इसलिये आवश्यक है कि ६ महीनों का समय रखा जाय। यह कह कर विश्वास दिलाया उस समय के स्वायत्त शासन मंत्री जी ने और धारा २ मूल स्वीकार की गई। दुबारा ६ महीनों के बाद जब पता लगा कि सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव नहीं करा सकी तब अध्यादेश जारी करके ६ महीनों की जो अवधि थी उसको बढ़ाकर १ वर्ष की करदी। इस सदन में ६ अक्टूबर, १९५५ को विधेयक प्रस्तुत हुआ उस समय फिर स्वायत्त शासन मंत्री जी ने विश्वास दिलाया था कि अमुक कारणों से जिनमें से एक कारण यह भी है प्लानिंग कमीशन की एक कमेटी विचार कर रही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को रखा जाय या नहीं, उसमें परिवर्तन किया जाय या नहीं, और इलेक्टोरल रोल्स नहीं बन पाये हैं इन कारणों से ६ महीने का समय और बढ़ाया जाय। उस समय जो अध्यादेश प्रस्तुत हुआ था वह भी आया। सरकार ने मांग की कि इसको बढ़ा कर १॥ वर्ष करदी जाय। अब तक माननीय सदस्यों को जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए मांग करते हैं कि १॥ वर्ष को घटा कर ६महीना किया जाय, लेकिन प्रवर समित ने १॥ वर्ष के बजाय दो वर्ष कर दिये, यह अच्छी बात नहीं है। कोई कारण नहीं है कि बार बार इस तरह से समय बढ़ाया जाय। कोई कारण नहीं कि अगामी २ वर्षों में भी इन्तजाम नहीं कर सके। सदन चाहता है कि १॥ वर्ष की अवधि भी नहीं बढ़ाई जाय और सिलेक्ट कमेटी इजाजत देती है कि २ वर्ष की करदी जाय मेरी समझ में नहीं आया कि २ वर्ष की अवधि क्यों करना चाहते हैं, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में यह अवधि नहीं बढ़ाई गई। मैं पढ़कर सुनाऊँ तो धारा २ में यह लिखा है " The committee considers

[श्री भैंरु सिंह]

That a period of one year and six months would not be an adequate period for the establishment of all the District Boards in accordance with the provisions ofthe Act and that consequently this period as mentioned in the Bill may be extended by another six months so that the period so constituted viz. the period of two years may be sufficient for the purpose. The committee has, therefore, amended the clause accordingly."

इसमें इस बात का कोई संकेत नहीं है कि क्या हुआ, केवल इतना कह देना कि डेढ वर्ष का समय अपर्याप्त हो सकता है, कैसे हो सकता है, यह नहीं बताया है। मैं मन्त्री महोदय को याद दिलाता हूँ कि उन्होंने सदन में कहा है कि ६ महीने का पीरियड लेंगे, जिस वक्त सिलेक्ट कमेटी में भेजने का सवाल सदन में आया तो यह कहा गया था कि ६ महीने में हम काम पूरा कर देंगे, अब देर नहीं होगी, ६ महीने में चुनाव होगा। मन्त्री जी सदन में यह कहते हैं पर सिलेक्ट कमेटी कहती है डेढ वर्ष में चुनाव नहीं होंगे, २ वर्ष में होंगे और वे मन्त्री जी जिन्होंने ६ महीनों का आश्वासन दिलाया था वे भी इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि उनके इस रिपोर्ट पर दस्तखत हैं और उनका कोई नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं है। एक तरफ तो मन्त्री महोदय कहते हैं कि ६ महीनों में हो जायगा और दूसरी तरफ सिलेक्ट कमेटी कहती है कि डेढ वर्ष में नहीं हो सकता, २ वर्ष लगेंगे। सिलेक्ट कमेटी ऐसा कह सकती है पर ऐसा कहने के कारण होने चाहिये जब कारण नहीं बताया जाता है तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार नहीं चाहती। सदन में मन्त्री महोदय ने कहा कि ६ महीनों में हो जायगा और सिलेक्ट कमेटी में ६ महीनों की बजाय २ वर्ष का कहते हैं तो इससे यही जाहिर होता है कि सरकार की इच्छानुसार दो वर्ष की मयाद बढ़ाने के लिये सिफारिश की है। इस लिये इस विषय पर गंभीर विचार करने के लिये कि डेढ वर्ष की आवश्यकता है या २ वर्ष की आवश्यकता है, इस पर राय जानने के लिये दुबारा इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय।

इलेक्शन के तरीके को लेकर सदन में चर्चा उस समय चल रही थी तो यह कहा गया था कि प्रोपोरशनेट रिप्रेजेन्टेशन लेकर वह प्रणाली अपना रहे हैं जिसमें ऐसा न हो कि बहुमत के आधार पर कोई भी पार्टी या दल जीत जाय और उसमें अल्पमत का स्थान न हो। जहां तक चुनाव का सम्बन्ध है दो तरीके हैं इलेक्शन के, डाइरेक्ट इलेक्शन और इन्डाइरेक्ट इलेक्शन। इनमें से कोई भी तरीका अपनाया जाय उस समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर प्रकार से अल्पमत को प्रोटेक्शन दें।

जब यह अधिनियम बना था और सदन में विचारार्थ लिया जा रहा था और धारा १२ को सदन में लिया गया तो सदन के सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन की पद्धति न्याय संगत है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल का यही एक महत्वपूर्ण क्लॉज होगा जिस पर सदन के सभी माननीय सदस्यों ने एक मत होकर इस धारा को स्वीकार किया। फिर अध्यादेश आता है,

[श्री भैंरूंसिंह]

केवल इस बात का कि दो वर्ष की अवधि कर दी जाय और अमेंडमेंट आ रहा है कि प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन के स्थान पर दूसरे वार्डस के लिये दूसरा तरीका करलें। इसके ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में लिखा है कि जो हमने आज तक गलती की, चुनाव नहीं कराये, इसके लिये हम मूल अधिनियम में संशोधन ला रहे हैं। गलती का फायदा उठाना न्याय तो नहीं है पर हमारी सरकार बहुमत के आधार पर अपनी गलती का भी इनाम लेती है। अपनी गलती का भी फायदा उठाती है। परन्तु जनता के सामने आपको उत्तर देना होगा कि किस प्रकार आप गलतियां करते हैं और बहुमत के आधार पर उससे फ़ायदा उठाते हैं, अपनी इच्छानुसार पास करवा लेते हैं।

अध्यादेश के सम्बन्ध में विधेयक सदन में प्रस्तुत करना था, आपने जो गलती की, आपकी जो कमजोरी रही ऊपर आप विधान सभा की छाप लगाना चाहते हैं, यह एक अन्याय होगा। फिर कह दिया आपने कि जो इसमें चुनाव प्रणाली इसमें है वह बहुत दुविधा जनक है। आप चाहते है कि इन्डाइरेक्ट चुनाव करा दें तो और दूसरा कोई तरीका नहीं जिस तरह तहसील पंचायतों के चुनाव हुए उसी तरह करा दीजिये।........

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, चुनाव कराने की बात फिर रिपीट की जा रही है, यह बात तो माननीय सदस्य उस क्लॉज पर बोलें, तब कह सकते हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—क्लॉज पर तो तभी बोलेंगे जब कि यह प्रस्ताव गिर जायगा। अभी तो क्लॉज पर बोलने का सवाल ही नहीं, इस बिल को ही सिलेक्ट कमेटी को दुबारा सुपुर्द करने की बात पर कहा जा रहा है।

श्री भैंरूंसिंह—सिलेक्ट कमेटी में भेजने के जो कारण आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं वह बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—Please address the Chair.

श्री भैंरूंसिंह—जो बात मन्त्री महोदय के समझ में नहीं बैठ रही है उनके दिमाग में नहीं आ रही है उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—This is very improper to insult any member sitting in the House. I would like the hon'ble member to withdraw the remarks.

श्री भैंरूंसिंह—(१६) सुना नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—किसी मेम्बर की इस तरह के रिमार्क दे कर इन्सल्ट करना खराब है, माननीय सदस्य अपने शब्द वापिस लें ।

श्री भैंरूसिंह—इन्सल्ट नहीं, समझाने की सेवा कर रहा हूं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप मुझे क्या समझायेंगे, मैं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं । और चीजों में आपसे ज्यादा जानता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—(श्री भैंरोंसिंह से) आप यह निस्वार्थ सेवा रहने दीजिये । We dont want this 'niswarth seva'. Be relevant.

श्री भैंरूसिंह—तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि सिलेक्ट कमेटी ने इस सारे तरीके पर मोहर लगाई है वह लगाने में गलती की है । अब अगर यह प्रश्न आये कि इसे सिलेक्ट कमेटी में क्यों भेजा जाय तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस कारण से भेजा जाय कि सरकार की तरफ से गलत सुझाव आया था उस पर सिलेक्ट कमेटी ने बिना विशेषज्ञों की राय के अपनी मोहर लगाकर सिलेक्ट कमेटी ने ही इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उस गलत मोहर को हटाने के लिये इसे दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय । और इसके बारे में विशेषज्ञों की राय ली जाय । विशेषज्ञों की राय है कि प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन के तरीके से अल्पमत वालों का प्रोटेक्शन हो सकता है । विशेषज्ञों के रूप में एक अधिकारी आये थे, उनसे मन्त्री महोदय ने पूछा था कि प्रोपोरशनेट रिप्रेजेन्टेशन के चुनाव के तरीके के अलावा इस दूसरे तरीके से चुनाव कराने में सहूलियत हो सकती है कि नहीं । तो उन्होंने कहा था कि इससे मायनोरिटी क्रश हो जायगी, मायनोरिटी को क्रश न की जाय । मन्त्री महोदय इसका जवाब नहीं दे सके. यह कहूं तो वे फिर चिड़ेंगे कि जवाब नहीं दे सके इस लिये उठ कर चले गये । और धीरे से यह कह कर चले गये कि अब तो सारा कन्सीडरेशन हो गया, दुबारा ओपन करने की आवश्यकता नहीं । इसी लिये आज इसे दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव आया है । इस लिये आया है कि इस पर विशेषज्ञों की राय नहीं ली गई, वह ली जाय और प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन के स्थान पर जो तरीका आपने चुनाव का रखा है, वह तरीका गलत है इस लिये इसे दुबारा सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय ।

भारतवर्ष में कई प्रान्तों में डायरेक्ट इलेक्शन और इन्डायरेक्ट इलेक्शन ये दोनों तरीके इलेक्शन के हैं । हमारा ठीक तरह से रिप्रेजेन्टेशन हो सके इसके लिये हम यह निवेदन करते हैं । इसमें वोट देने वाले तहसील पंचायतों के सरपंच, उपसरपंच और पंच आदि हैं जिनके डंडे के जोर पर सरकार ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके वहां बैठाया है अब इन इलेक्टररोल कालिज के मेम्बर्स पर, सदस्यों पर जो वोट देंगे उन पर भी पाबन्दी होना अन्याय पर अन्याय है और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे चाहे आप इसे बहुमत से स्वीकार करा लें ।

सिलेक्ट कमेटी ने दो बातों पर ध्यान नहीं दिया है । उसने भूल की है,यह कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

[श्री भैंरूसिंह]

क्लाज ७—The alterations made in the clause are only verbal and are intended only for having a better phraseology."

इसमें क्लॉज के प्रोविजन्स को बदला, उसकी फ्रेजियोलोजी को बदला, उसकी भावना को बदला है। मैं यह कहूँगा कि इस प्रकार की चीज हुई और उस रोज भी इसके लिए एतराज हुआ था। जिन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में नोमिनेटेड किये हुए, आपकी मर्जी वाले लोग हैं। जिनको आपने अपनी मर्जी से मनोनीत किया है और उनको रखा है, हम इस डेमोक्रेसी में ऐसे लोगों के द्वारा लगाये गये टैक्सों और बनाये गये नियमों का पालन करें या नहीं, यह देखने की बात है। ये लोग जनता के चुने हुए नहीं हैं। मैं यह कहूंगा कि विधान सभा का चुनाव सन् १९५२ में हुआ। उसके पूर्व के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नोमिनेटेड चेयर मेन हैं और वे सन् १९४१ से हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की स्थापना सन् १९५१ में हुई और वे आज तक नोमिनेटेड सदस्य ही काम कर रहे हैं। जिससे कहना चाहिये कि अनडेमोक्रेटिक सरकार ने मनोनीत किये और वे आज हमारी छाती पर बने हुए हैं और इस तरह के अनडेमोक्रेटिक सरकार ने नोमिनेटेड लोगों द्वारा लगाये गये टैक्सों को सरकार वसूल करे मैं समझता हूं कि बहुत अन्याय होगा। सिलेक्ट कमेटी में कह दिया गया कि हम वरबल एमेन्डमेंट फ्रेजियोलोजी में चेन्ज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गलत तरीकों पर लोगों पर लगाये हुये टैक्सों को वसूली लैंड रेवेन्यू जिस तरह से वसूल करने की व्यवस्था है उस तरह से वसूल करना बिल्कुल गलत तरीका है। खुशी की बात यह है कि जयपुर में जितने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे और उसका टैक्स वसूल किया जाता था वह जागीरदारों द्वारा वसूल किया जाता था। जागीरदार काश्तकारों से अपना और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हिस्सा ले लिया करता था। मगर दुर्भाग्य से जयपुर स्टेट में कई जागीरदारों को लोगों ने तीन चार वर्षों से लगान नहीं दिया। कई कई तो बदकिस्मत ऐसे हैं जिनको ५ वर्षों से कोई लगान नहीं दिया गया। जब लोगों ने उनको लगान ५ साल का नहीं दिया तो एक तो उन पर यह मुशीबत और फिर यह टैक्स भी उनसे ही वसूल किया जायगा और वह लैंडरेवेन्यू के तौर पर वसूल होगा जो बहुत बडी रकम होती है। जागीरें जब्त हो चुकी हैं। अब वह रकम उनके मकानों को जब्त करके, उनकी गरीबी को अति गरीब करके आप उनसे रूपया वसूल करेंगे। आप कहेंगे कि कानून बना हुआ है। ऐसा नियम है। मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार के नियम को कोई न्याय नहीं कहेगा। सब यही कहेंगे कि यह अन्याय है यह न्याय कदापि नहीं कहा जा सकता है। आप सोचिये कि उन पर कितना बोझ पड़ेगा और अब उनका और यह दोनों मिला कर कितना बोझ होगा। उनसे तीन तीन हजार की वसूली करते हैं और आज वे इसी वजह से यह आन्दोलन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। क्या आप इस प्रकार के कानून को कानून कहेंगे, कदापि नहीं। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि जिन गांवों में इस प्रकार से डेमोक्रेसी में अनडेमोक्रेटिक कार्य होंगे, उनको रोकने के लिये सरकार के खिलाफ विद्रोह किया जावेगा। षडयंत्र किये जाएगें और कहेंगे कि हम गलत संस्थाओं द्वारा लगाये गये गलत टैक्स नहीं देंगे। सही टैक्स सही तरीके से लगाए जावेंगे, जरूर देंगे। बगैर चुने हुए, जनता द्वारा नहीं चुने गये और सरकार द्वारा जनता पर थोपे गये व्यक्तियों द्वारा लगाये गये टैक्स गलत हैं, उनको जनता पर कोई टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। जब चुने हुए सदस्य होंगे उनको टैक्स लगाने का

[श्री भैंरू सिंह]

अधिकार होगा। इसलिये में निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में दुबारा भेज कर इस पर सोचा और विचार किया जाए।

दूसरी बात आती है वार्ड की। इस संबन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा, "the Committee while agreeing with the amendment of Section 12 of the principal Act by this clause desires that the elections to the District Boards should be held in the same manner as the election to the State Assemblies."

"The Committee is of the view that the constituencies for the constitution of District Boards should invariably consist of contiguous villages and that the manner of the formation of such constituencies and the authority which should be competent to from them may be left to the prescribed under the Rules."

"Prescribed under the rules" यह ओथरिटी के उपर छोड दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जिनको हम अधिकार देते हैं कि रूल्स बनाए वह सरकार के बनाये हुए रूल्स(अश्रव्य) इन रूल्स के आधार पर वे वार्ड बनावेंगे। यह शब्द हेर फेर करके रखे गये हैं। मैं नहीं समझ सका कि इनको हेर फेर करके रखने में कौनसी दिक्कत दूर हुई। दिक्कतें पहले भी इससे आई हैं। जो दिक्कतें पहले पंचायतों के चुनावों में हमारे सामने आई, वही दिक्कतें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों में हमारे सामने अवेंगी। जिस प्रकार पंचायतों में गलत क्षेत्रों का निर्माण किया और गलत चुनाव कराये क्या आपकी वही मंशा है? और क्या आप यही चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी उसी तरह से हो? सब जानते हैं कि काफी मनमानी पंचायतों में हुई वैसी ही मानमानी डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव में होगी। कौनसा रूल ऑफ प्रोसीजर हैं, जिसके अनुसार आप कार्यवाही करेंगे। और उसकी कौन तामील करेगा। पहले पंचायतों में हुआ सबको मालूम है। आपने जिस तरह से इसमें, सिलेक्ट कमेटी में संशोधन किया है सिंगल मेंम्बर कोन्स्टीटुएन्सी होती है और उसी तरह से चुनाव होगा। और मैं समझता हूँ कि इनडाइरेक्ट चुनाव होगा और जब इनडाइरेक्ट चुनाव होगा तो वह और भी जनता के लिये घातक होगा।

इन सारी बातों को सामने रखते हुए मैंने सोच समझ कर यह प्रस्ताव किया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे। पहले इसमें अनुभव का ज्ञान नहीं रखा गया और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अनडेमोक्रेटिक सरकार द्वारा मनोनीत किये हुए हैं उनके द्वारा टैक्स लगाए गये हैं, उनको लैंड रेवेन्यू की बकाया रकम की तरह से वसूल करना गलत है। इसलिये इसको दुबारा सिलेक्ट कमेटी के सुपर्द करें तो न्याय संगत होगा। इतना कह कर मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर अनडेमोक्रेटिक सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों द्वारा गलत तरीके पर लगाये गये टैक्स अगर सरकार अपने बहुमत के आधार पर पास कराती है तो हम उनको बतादेंगे कि अन्याय के लिये किया गया। बहुमत का उपयोग उचित नहीं और हम लोग उसका डट कर मुकाबला करेंगे।

श्री द्वारकादास पुरोहित—माननीय अध्यक्ष, यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एमेन्डमेंट बिल सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ पेश हुआ है और आज उस पर हम विचार कर रहे हैं। मैं यह अर्ज करना चाहूँगा कि इसमें दो क्लॉज वाकई में ऐसे हैं जो मुद्दे से ताल्लुक रखते हैं और बहुत कन्ट्रावर्सियल हैं। इसके लिये सिलेक्ट कमेटी ने विचार तो जरूर किया इसमें कोई शक नहीं मगर इतना जल्दी जल्दी में इस पर विचार हुआ और इस तरह कि स्वयं कमेटी की राय थी कि गवर्नमेंट ने एमेन्डमेंट पेश किये उनको भी बगैर गवर्नमेंट की मांग के या बहुमत के बताये ही बदल दिया मसलन इसमें एक वर्ष और ६ महीने का समय दिया गया। इलेक्शन के लिये, जो २६ जुलाई, १६५६ को खत्म हो रहा है, उसके सिलसिले में गवर्नमेंट के मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल मौजूद थे। उनसे दरियाफ्त किया गया कि क्या यह मुमकिन होगा कि इतने समय में चुनाव हो जावेगा, क्या आप २६ जुलाई तक चुनाव कर सकेंगे? तो मिनिस्टर इन्चार्ज ने साफ तौर से सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों से कहा कि २६ जुलाई, १६५६ तक वे चुनाव को पूरा कर सकेंगे और उनके सारे एरेंजमेंट कम्पलीट हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि २६ जुलाई, १६५६ तक चुनाव नहीं करा सकें। उन्होंने कहा कि सब इन्तजाम मुकम्मिल हो चुका है और उसके आधार पर २६ जुलाई को चुनाव को वे पूरा करा सकेंगे।

उस पर सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों में से कुछ लोगों की दरअसल में यह मंशा थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव जनरल इलेक्शन तक होना नहीं चाहिये और कुछ सदस्यों की यह राय थी कि जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिये। इस विषय पर ६ महीनों की मियाद के बारे में खास तौर से कोई विचार नहीं हुआ, जिसके लिये होना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कानून किस तरह के हों, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जल्दी से जल्दी हमारे सामने फंक्शन करने लग जावे। परन्तु जिस तरह का एमेन्डमेंट हमारे सामने आ रहा है इससे यह नहीं कहा जा सकता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जल्दी से जल्दी हमारे सामने फंक्शन करने लग जावेगा।

ऐसी सूरत में मियाद बढ़ाना जब कि गवर्नमेन्ट यह कहती है कि हमारा सब इन्तजाम पूरा है चुनावों के करने का। २६ जनवरी के भीतर भीतर हम चुनाव करा लेगें। वैसी हालत में मियाद बढ़ाने का किसी प्रकार भी औचित्य नहीं हो सकता। आपका अन्डर लाइन यह आइडिया हो कि चुनाव भी एबलोनल पालिसी के आधार पर हो। यह चाहते हैं कि डिस्ट्रिक बोर्ड बन जाय और जहां नहीं हैं वहां बना दिये जांय। आप यह नहीं चाहते कि किसी न किसी वजह से आगे जा कर २६ जनवरी १६५७ की मियाद खत्म हो जाय तो आगे भी मियाद मिल जायगी तो २६ जनवरी ही कोई मौका नहीं होगा तो फिर आर्डिनेन्स के आधार पर आगे मियाद बढ़ायी जायगी और आम चुनावों के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भी चुनाव करा लिये जांय यह मन्शा झलकती है। इसलिये यह तो कहना ठीक है कि सिलेक्ट कमेटी ने इस पर पूरी तरह से विचार नहीं किया और न कर सकी और एक नतीजे पर नहीं पहुँच सकी कि अगर मियाद बढाई जाय तो किन कारणों से बढ़ायी जाय। इस अवस्था में जब माननीय मंत्री महोदय मियाद बढ़ाने के पक्ष में न थे। माननीय मंत्री महोदय ने उस समय खास तौर से इस बात को दोहराया था कि उनकी तरफ से इन्तजाम पूरा है वे

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

चुनाव कराने के लिये तैयार है और वे २६ जनवरी तक चुनाव करवा देगें। एक मसला तो यह रहा कि इस पर पूर्ण रूप से विचार नहीं हो पाया।

दूसरा मसला जो बहुत ज्यादा कन्ट्रोवरसियल है वह है प्रपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन बाई मीन्स ऑफ दी सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट। इनडाइरेक्ट इलेक्शन होते हुए भी जैसा कि मूल कानून में रखा गया था, जिसको तबदील करने के लिये यह कानून आया है, जिसको सिलेक्ट कमेटी के सामने पेश किया गया और जिसे सिलेक्ट कमेटी ने मन्जूर किया। इस पर बहुत चर्चा हुई उन चर्चाओं के दौरान में यह बात पैदा हुई कि गवर्नमेंट के इस काम करने वाले जो विशेषज्ञ हों यानि चीफ कमिश्नर इलेक्शन मि० गुप्ता हैं उनको बुला लिया जाय और उनकी राय ली जाय। सभी मेम्बर यह महसूस करते रहे कि काउंटिंग का जो तरीका है, वह कोम्पलीकेटेड है और इसके रखने से गांवों में दिक्कत हो सकती है। वे लोग इसको न समझें, इस बात की दिक्कत जरूर सभी मेम्बरों ने महसूस की और करते भी हैं। जो विशेषज्ञ आये उसके पहले ही सिलेक्ट कमेटी अपना डेलीबरेशन खत्म कर चुकी थी। फिर भी मेम्बरों द्वारा उनसे राय ली गई तो उन्होंने कहा कि अगर इनडाइरेक्ट इलेक्शन रखे जाते हैं तो दूसरा कोई तरीका नहीं जिससे हम यह चुनाव डाइरेक्ट तरीके से करवा सकें। डाइरेक्ट तरीके से चुनाव कराना अनिवार्य होगा। जो माइनोरिटीज पोलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिये यह बहुत अन्यायपूर्ण होगा उनके लिये यह संभव नहीं होगा कि वे चुनाव में आ सकें, यह उनकी राय थी। जब उनसे पूछा गया कि और तरीका सरल है तो उन्होंने यह कहा कि अगर आपको यह तरीका बदलना है तो दूसरा कोई तरीका नहीं सिवाय आप इसको डाइरेक्ट इलेक्शन करवा लें। प्रपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन बाई मीन्स ऑफ दी सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट दिक्कत की वजह से नहीं रख सकते तो फिर आपको डाइरेक्ट इलेक्शन करवाने चाहिये जैसा कि हिन्दुस्तान की सारी स्टेट्स में है। सभी हिन्दुतान की स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन डाइरेक्ट हैं। सभी जगह डाइरेक्ट ही चुनाव होते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों में भिन्नता रखना चाहती है यहां इन डाइरेक्ट इलेक्शन का तरीका अपनाया इसलिये लाजमी हो गया कि प्रपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन बाईमिन्स ऑफदी सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट का तरीका अपनाया गया लेकिन आज इनडाइरेक्ट इलेक्शन का क्लोज तो रखा गया है लेकिन इसके साथ यह उडाया जा रहा है इसका बहुत बडा महत्व है, माइनोरोटिज के लिहाज से और डेमोक्रेसी के लिहाज से। जब एक्सपर्ट की ओपीनियन इस बात की थी कि यह न किया जाय लेकिन इस ओपीनियन पर सिलेक्ट कमेटी विचार विमर्श नहीं कर सकती उन्होंने जब यह राय दी उस समय तो सिलेक्ट कमेटी अपने डेलीबरेसन्स पूरे कर चुकी थी, मुमकिन नहीं था कि उनको दुबारा ठीक कर सके लेकिन मुद्दे की बात यह रह जाती है। मैं इस बात पर इसलिये जोर नहीं दे रहा हूं कि इस बिल को जिसकी मियाद १५ तारीख को खत्म होती, जिस आर्डिनेस की उससे पहले पास न किया जाय लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि इस बिल पर फिर से विचार करने की जरूरत है। माननीय मंत्री महोदय ऐसा कोई तरीका निकालें या हाउस करे या और किसी तरह से करें यह जरूर है, कि इस बिल पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। इसके अन्दर जो

[श्री द्वारक दास पुरोहित]

तरीका अपनाया जा रहा है वह तरीका इतना गलत है कि किसी प्रजातान्त्रक देश में इसको सपोर्ट नहीं मिल सकता । इसमें सिर्फ हमारे लोगों को एक दिक्कत है वह यह प्रोपोरेशनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर जो वोटिंग होगा वह मशीनरी कोम्पलीकेटेड है वोट दाखिल करने की, उससे बचने के लिये यह सब किया जा रहा है। यह तो नहीं कर सकते एक तरफ तो आप इनडाइरेक्ट तरीका अपना लें और वोट डालने का तरीका वह नहीं अपनाये उसको गिव अप कर लें । दोनों तरीके साथ होने चाहिये। अगर इस सम्बन्ध में हम बैठ कर विचार करें तो शायद कोई हल निकल सकता है। मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी करने की कोशिश की और एक्सपर्ट से राय लेने की भी कोशिश की मैं यह मानता हूं कि इस मसले को इस तरह से हल किया जा सकता है जहां इनडाइरेट इलेक्शन हो वहां सिकरेट वोटिंग का सिस्टम इन्ट्रोडयूस कर दिया जाय तो शायद यह मसला हल हो सकता है सेकन्ड वोटिंग का तरीका होता है जिसमें ५० परसेन्ट वोट नहीं आते हैं तो उनका चुनाव डिक्लेअर नहीं किया जा सकता। वोटिंग जहां डाइरेक्ट हो जहां सात आठ उम्मीदवार खडे हुए हों उसमें फर्स्ट केन्डीडेट्स को रिटेन किया जाता है बाकी के छोड दिये जाते हैं।

(श्री बद्रीलाल, सभापति, पदासीन)

फिर दुबारा चुनाव किया जाता है इससे क्या होता है फिफ्टीवन परसेन्ट वोट आ जाते हैं। इस सिस्टम से भी हम इस दिक्कत को कम कर सकते हैं, लेकिन यह सब मसला ऐसा है जिस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुँच सकते हैं। एक दम किसी भी तरीके को अपना लेने से दिक्कतें पेश होंगी, लोगों के सामने डेमोक्रेसी के सर्पोटर्स इस बात को मुंह से नहीं बोल सकते कि हम किन किन चीजों को करने जा रहे हैं जब कि किसी भी जगह भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे को इस पर गौर करना है। इस सदन में कई दफा पंचायतों के चुनाव के बारे में जिक्र हुआ उस पर काफी टीका टिप्पणी हुई। सदन में पंचायतों के चुनाव में किस किस प्रकार की गड़बड़ियां हुई उसमें पांच सात बातें ऐसी हैं, जैसे चुनाव के वार्डर्स ठीक तरह नहीं बने थे, नतीजा क्या था और क्या डिक्लेअर किया गया ऑफिसर्स की तरफ से गड़बड़ियां हुई जो लोग इन्फलएन्स रखते थे उन्होंने अपना इन्फ्लूएन्स एक्सरसाइज़ किया जिससे पंचायतों के चुनाव ठीक आधार पर नहीं हो सके।

पंचायतें हमारी डेमोक्रेसी की पहली सीढ़ी है जब तक पहली सीढ़ी ही मजबूत नहीं होगी तो जो प्रजातन्त्र की आधारशीला रख रहे हैं वह ठीक प्रकार से नहीं रख पायेंगे। उससे सारी इमारत के खराब होने का अन्देशा रहेगा। डेमोक्रेसी की इज्जत घट जायगी, वह बदनाम होगी। आने वाले लोग यह कहेंगे कि जिन लोगों के हाथ में प्रजातन्त्र की नींव रखने का भार था उन्होंने पहले ही ऐसी गलत तरीका अपनाया जिससे प्रजातन्त्र की इमारत ठीक से खड़ी नहीं हो सकी। जिस प्रकार की चुनाव पद्धति इसके द्वारा हम रखने जा रहे हैं उसमें इन-डाइरेक्ट के स्थान पर डाईरेक्ट इलेक्शन का तरीका अपना कर माइनोरिटिज़ को हम जो प्रति-

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

निधित्व देना चाहते थे वह नहीं मिल सकेगा। जिसमें दूसरी पार्टी का एक भी व्यक्ति न आ सके, यह हम किस प्रकार डेमोक्रेसी की नींव डाल रहे हैं, यह समझ में नहीं आता। ये सब विचारणीय बातें हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से खास तौर से निवेदन करूंगा कि इस पर ठण्डे दिमाग से सोचें कि हम क्या करने जा रहे हैं? जहां पहली दफा पंचायतों के चुनाव हुए और उसी प्रकार सभी जगह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव होने जा रहे हैं। अगर इस प्रकार की कमी रह जाती है तो हमें उसे ठीक करना चाहिये। मैं इसमें इन्ट्रेस्टेड नहीं हूँ कि १५ तारीख तक आर्डिनेन्स खत्म हो रहा है इसलिये मैं इसमें सहयोग नहीं देता, यह बात नहीं। हमारा कोआपरेट करने का इरादा है लेकिन इस कोआपरेशन में हम गलती न कर बैठें जिससे प्रजातन्त्र का गला घोटा जाय और प्रजातन्त्र के नाम पर हम रेजीमेन्टेशन से कार्य करना शुरू कर दें।

प्रजातन्त्र में अपोजिशन का बड़ा महत्व है, प्रजातन्त्र में विरोधी दल की राय की बड़ी कद्र होती है। हाउस की इस सिलेक्ट कमेटी को इसके ऊपर पुरी तरह से गौर करने का मौका देना चाहिये और गौर करना चाहिये। और गौर करना चाहिये कि अगर हम इसे ठीक तौर से कन्सीडर नहीं करते और ऐसे प्रिन्सिपल की चीज़ पर भी ठीक समय लगा कर कोई निर्णय नहीं लेते तो इसका मतलब यह होता है कि हम एक गलत तरीके से काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा आगे जाकर बहुत गलत हो सकता है। इस लिये माननीय चेयरमेन, आपके जरिये मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मसले पर हालांकि यह छोटी बात है, छोटा बिल है, चार पांच क्लॉजेज़ हैं लेकिन मुद्दे की बातें जो हैं वे बहुत बड़ी हैं और खास तौर से यह भी मुद्दे की बात है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के सिस्टम को हटाकर इन दी प्रेस्काइब्ड मेनर में बदलना चाहते हैं। यह बहुत मुद्दे की बात है। वह गहराई से सोचने का मुद्दा है। अगर इसमें हमने जल्दी की तो यह गलत होगा। गलत ही नहीं, बल्कि हम यह जो प्रणाली नई डालने जा रहे हैं वह नुकसानदेह भी साबित होगी। यह मैं मानता हूं। मिनिस्टर इन्चार्ज मुझे यह बता दें कि दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह इन्डाइरेक्ट वोटिंग सिस्टम के साथ डाइरेक्ट वोटिंग का सिस्टम है? यह कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट में नहीं है। लेकिन इन्डाइरेक्ट के साथ तो इस बात को गौर किया गया है कि यह प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर इसी तरीके से हो ताकि माइनोरिटी की भी कुछ स्ट्रेन्थ को रिप्रेजेन्ट किया जा सके।

मैं यह मानता हूं कि चाहे यह सिस्टम भी इन्डाइरेक्ट इलेक्शन प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन बाई मीन्स आफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रक्खा भी जावे पर जिस तरह से पंचायतों के चुनाव हुए हैं इसमें बहुत मुश्किल है कि माइनोरिटी इस पद्धिति के रहते हुए भी कहीं भी रिप्रेजेन्ट हो सके। फिर क्या डर है उन महानुभावों को इसे चालू रखने में? उनका मतलब तो वैसे ही हल होने वाला है। जो जिस तरह से आज तक ये चुनाव हुए हैं गलत, जो तरीके अपनाये गये हैं गलत, उनके नतीजे में तो पहले ही उनकी जीत है। फिर क्यों शंका है अगर कहीं भूले भटके एक दो आदमी आ भी जावें तो? आने वाला तो वह भी नहीं है। अब जो चुनाव होंगे उनमें अगर प्रोपोर्शनल

Page No 36

[श्री द्वारकादास पुरोहीत]

रिप्रेजेन्टेशन का सिस्टम भी रखा जावे तो कहीं माइनोरिटी रिप्रेजेन्ट हो जावे यह बहुत मुश्किल बात है। फिर भी लोगों को तसल्ली रहे, माइनोरिटी को तसल्ली रहे और वह कोशिश करे तो आपको इसमें नुकसान भी क्या होने वाला है ? ऐसी स्थिति में अगर जल्दी ही इसको पास आपको करवाना है तो आप इस सिंगल ट्रान्सफेरेबल वोट की पद्धति को खतम मत करिये, फिर भले ही आप इसे आज ही पास करवा लीजिये। क्यों ६ महीने की मियाद भी बढ़वा रहे हैं जब कि आप कह रहे हैं २६ जुलाई तक मैं सब काम करवा लूंगा। होने दीजिये सारे बोर्डों को सैट बैक........

श्री घीसीसिंह—यह आप प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बिलकुल समझ में ही नहीं आय रयो है।

श्री वेदपाल त्यागी—अगले पांच साल बाद आवेगी।

श्री सभापति—(बद्रीलाल) Order please।

श्री द्वारकाप्रसाद पुरोहित—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं जल्दी ही कन्क्ल्यूड करूंगा तो कन्क्ल्यूड करते समय बतला दूंगा कि मैं समर्थन करता हूँ या क्या करता हूं और तब माननीया सदस्य के पूरी तरह समझ में आ जावेगा। तो अगर मिनिस्टर महोदय को जल्दी है जैसा कि एक सेक्शन को सस्पेन्ड करके इसको आज लिया गया है और कितनी जल्दी उनको इसमें है यह मैं भी महसूस कर रहा हूँ तो ऐसी स्थिति में आप पुराने कानून में जो सिंगल ट्रांसरेबलवोट की पद्धति है उसी को रहने दीजिये और २६ जुलाई आपने रखी है वह रहने दीजिये, या ट्रांसफरेबल वोट को ड्राप करिये, डाइरेक्ट चुनाव कराइये और इसे आज पास करा लीजिये। फिर बैठ कर सोच लीजिये कि इसमें क्या करना चाहिये। इन्डाइरेक्ट इलेक्शन में कोई दूसरा अच्छा तरीका नजर आवे और उसमें अगर कोई कम्प्लीकेसी न हो तो बैठकर सोचकर उस तरीके को अपना लो। ऐसी सूरत में मैं यही कहूंगा, यह तो नहीं कह रहा हूं कि इसे प्रवर समिति भेज दीजिये आप, पर यह मेरी राय दे रहा हूँ कि मिनिस्टर महोदय खुद इस पर गौर करें और इस तरह से इसे ठीक कर लें तो इसका तरीका तो वे खुद सोचें। पर इसमें जो गलतियां हुई हैं, खास कर दो मुद्दों पर एक तो उन्होंने ६ महीने की मियाद बढ़ाई और दूसरा प्रोपोरेशनल रिप्रेजेन्टेशन पर गौर नहीं किया। इसके लिये वे एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते और इससे और कोई आसान तरीका हो तो उसे तलाश करते। मियाद का सवाल था तो आर्डिनेन्स को खतम करते हुए भी इसका कौनसा तरीका निकल सकता है जिससे दोनों दिक्कतें जो आई हैं वे हल हो जावें तो ऐसा तरीका सोचना चाहिये।

श्री मानसिंह महार—इसके विषय में एक संशोधन आया है कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे। चेयरमेन महोदय, 'राजस्थान सरकार का इस पर्टिक्यूलर बिल के बारे में जो रवैया रहा है उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान सरकार राजस्थान के अन्दर चुनाव

Page No 37

[श्री मानसिंह महार]

के सिलसिले में फिर वे किसी भी प्रकार के चुनाव हों, अपना एक विचित्र तरीका अपनाना चाहते हैं। एक तरफ हमारे मन्त्री जी सदन के अन्दर कहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं। आप इसको सिलेक्ट कमेटी में देकर इसकी मियाद को आगे बढ़ा कर हमें ऐसा क्यों मजबूर करते हैं कि हम इसकी मियाद को और बढ़ावें और चुनावों को और सरकाना पड़े। दूसरी ओर, जब यह देखते हैं कि हम लोगों के अन्दर वे इतनी जल्दी चुनाव कराने को तैयार हैं तो सिलेक्ट कमेटी जल्दी जितनी रिपोर्ट कर दे उतना ही अच्छा होगा। इस स्थिति में हम लोग चार दिन के लिये देर करने की बात भी मन्जूर कर लेते हैं। पर हमारा यह दुर्भाग्य है कि इस सिलेक्ट कमेटी में जाने पर इस बिल पर वज्रपात होता है और सरकार को यह सिलेक्ट कमेटी यह हक दे देती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव जौलाई में न करके जनवरी तक कर सकें।

चेयरमैन महोदय, अगर मैं यह जो षडयन्त्र रचा गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव को किस प्रकार से सेबोटेज किया जावे, उसका सदन के समक्ष भन्डाफोड़ करूं तो मैं समझता हूँ कि मैं कोई अन्याय नहीं करूंगा। मेरे मित्रों ने संकेत किया है पर वे शायद कुछ लिहाज मुरोवत से कहिये या शर्म से कहिये, साफ नहीं कह सके। पर मैं स्पष्ट लब्जों में कहूंगा। यह एक बिल्कुल सही बात है जो मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। सरकार की नीति यह है कि जिन जिलों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट लागू है उन जिलों का शोषण इस प्रकार से किया गया। उन जिलों से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस वगैर उसी प्रकार से लिया जाय। दूसरी ओर सरकार की यह भी नीयत है कि जिन जिलों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट लागू नहीं है उनमें कम से कम अगले चुनाव तक इस एक्ट को लागू करके चुनाव करके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं कायम किये जावें। वह इलाका जो इसका सबसे अधिक विरोध करता है वह है उदयपुर डिवीजन। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं और यह जो जनवरी का टाइम रक्खा गया है वह केवल इसलिए रक्खा गया है कि फोर्मर राजस्थान उदयपुर डिविजन में इसको अगले चुनावों तक न किया जाय क्योंकि वहां पर यह शंका बन गई है, कि कुछ लोगों ने यह कहा है, कि "अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के अन्तर्गत सैस का का नया टेक्स लगा दिया जावेगा तो हम आपसे नाराज हो जावेंगे। इसलिये वहां से आये हुए जो मित्र हैं वे इस बिल से डरे हुए हैं और चाहते हैं कि कम से कम अगले चुनाव में अपनी सीट को पांच वर्ष तक के लिये सुरक्षित करलें। इसके बाद यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस लगाया ही जावे तो वह फिर लगाया जावे।

चेयरमेन महोदय, हमको विचारना यह है, हमको सोचना पड़ेगा कि हम जयपुर डिस्ट्रिक्ट वाले जो ५, ५ वर्षों से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस देते आ रहे हैं तो क्यों नहीं यह सैस उन इलाकों पर वसूल किया जाता है जिन इलाकों में आज तक यह सैस नहीं दिया गया है। बहुत मुमकिन है, चेयरमैन महोदय, मन्त्री जी फरमायेंगे कि वह पैसा तो आपके ही इलाके में लगाया जाता है। लगाने की कोई बात नहीं है। पैसा हमारे इलाके में लगाया जाता है तो क्या बड़ी बात हो गई, लेकिन उससे सरकार को एक विशेष लाभ हो जाता है कि जयपुर के इलाके के अन्दर

[श्री मानसिंह महार]

आयुर्वेदिक औषधालय और प्राइमरी स्कूल खोलते समय सरकार यह देखती है कि वहां पर इतने आयुर्वेदिक औषधालय और प्राइमरी स्कूल डिस्ट्रिक्टबोर्ड की तरफ से चालू हैं, इसलिये यहां कुछ कम भी चालू किये जायं तो कोई हर्ज नहीं है और दूसरे इलाकों में जहां कि ये नहीं हैं वहां पर चालू करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि यह बात मन्त्री जी को नागवार गुजर रही है, चेयरमेन महोदय, लेकिन वह चाहे नागवार गुजरे लेकिन जो सत्य बात होगी वह तो सदन के समक्ष ही कही जायगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप कहिये। नागवार मालूम होगा तो मैं बता दूंगा।

श्री वे ाल त्यागी—मन्त्री जी आपके बोलने में आनन्द ले रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—नाराज होंगे तो पहले दुबले तो हैं ही, उससे ज्यादा हो जायेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नाराज नहीं हूँ, बहुत प्रसन्न हूं। आप कहिये।

श्री मानसिंह महार--बड़ी खुशी की बात है। अगर आप खुश हैं उससे तो दो, चार और खरी खोटी सुनाऊंगा, चेयरमेन महोदय, और आशा करूंगा कि खुशी के साथ साथ इसमें सही तरीके से सुधार लाने की कोशिश करेंगे।

मैं चेयरमेन महोदय, निवेदन कर रहा था कि यह जयपुर की जनता, जयपुर डिस्ट्रिक्ट की जनता के साथ घोर अन्याय है कि औषधालय, डिसपेन्सरीज़, स्कूल्स खोलते वक्त यह कह कर कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट को टाल दिया जाता है कि यहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड काम कर रहा है इसलिए यहां पर औषधालय वगैरह आबादी के हिसाब से कम खोले जाते हैं। यह इलाका तो बड़ा डेवलप्ड है। डेवलप्ड है तो उससे सरकार का क्या है? उसके अन्दर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस के रूप में आधा रुपया काश्तकारों से आता है सहायता के रूप में और आधे में से कम से कम आधा हिस्सा जागीरदारों से आता है और सरकार चौथाई हिस्सा देती है सहायता के रूप में। वह भी अब तो जब से यह वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट लागू हुआ है बन्द हो गया है। ऐसी सूरत के अन्दर वह तो एक बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट बात वहां की जनता, जयपुर इलाके की जनता, का रुपया है। एक दो डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं जयपुर रियासत के बाहर कि जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होगा, जैसे गंगानगर में है तो वहां पर बहुत मामूली सा चन्दा आता है और इस प्रकार के काम चालू होते हैं। बाकी सारे राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की कोई संस्था नहीं है। सारे राजस्थान में इस प्रकार की कोई जगह नहीं है! यह सब बात होते हुए भी हम यह आशा करते थे कि सरकार इस चीज को सब के ऊपर समान प्रकार से लागू करने के लिए इतने वर्षों में कुछ कोशिश करेगी। बड़े आडम्बरों के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट जो कि आज से बहुत पहले पास हो चुका है वह पास

[श्री मानसिंह महार]

हुआ उस समय हम लोगों ने, माननीय चेयरमेन, यह आशा की थी कि सरकार बहुत जल्दी चुनाव करा कर उस काम को पार लगायेगी। लेकिन उसके बाद बहानेबाजी शुरू हुई। पंचायतों के चुनावों में ढिलाई शुरू हुई। पंचायतों के चुनाव का कहें तो यह कह कर, माननीय चेयरमेन, पोजीशन क्लियर कर दूं कि यह काम मन्त्री जी के पहले के जमाने में हुआ है इसलिए जानकारी कम हो गी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह काम हुआ है, कि पंचायतों के चुनावों को रिटर्निंग आफिसर ने एक एक दिन की छुट्टी लेकर पोस्टपोन कर दिये, कहीं बिना बीमार हुए ही बीमारी का बहाना करके पोस्टपौन कर दिया। इसलिए यह वातावरण बनाया गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जब तक अगला चुनाव न हो जाय तब तक लागू होने से रोका जाय किसी भी तरह से। वहां पर न्याय, अन्याय का कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनका लक्ष्य था कि उदयपुर डिविजन के अन्दर १६५७ के चुनावों के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट लागू हो। उस एक ऐम को लेकर, उस एक आब्जेक्ट को लेकर यह कार्यवाही की गई है। मैं मानता हूं कि मन्त्री जी इस बात को बड़े कड़े शब्दों में रिफ्यूट करेंगे, लेकिन इसका रिफ्यूट तो जभी हो सकता है कि और जगह तो करें या नहीं करें लेकिन उदयपुर डिविजन में २६ जुलाई तक आप चुनाव करायेंगे तो हम अपनी हर बात को वापिस लेने को तैयार रहेंगे। यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा और डिवीजनों में बाद में कराइये जयपुर के अन्दर सेस आलरेडी लागू है। जयपुर के अन्दर नॉमीनेटेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स लागू है। वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स यह बिल्कुल बेकार है यह भी हम मानते हैं, लेकिन राजस्थान की जनता के साथ न्याय हो इसी सूरत के अन्दर हम यह उम्मीद करेंगे कि सरकार उदयपुर डिविजन जो कि इस नारे को बुलन्द कर रहा है कि हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट लागू नहीं होना चाहिए। अगले चुनावों में उस भ्रम को सरकार दूर करे और वह भ्रम तभी दूर हो सकता है जब कि २६ जुलाई के पहले पहले वापिस चुनाव करा दिये जायं। आप यह कहेंगे कि प्रोसीजर लम्बा है तो केवल एक डिविजन में करा दिये जायं। बाकी डिविजनों में जनवरी तक करा देंगे तो हम यह मान लेंगे कि आपकी नियत साफ है। आपने ६ महीने की मोहलत और बढ़ाई है।

श्री मोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, यह बिल पर डिसकस कर रहे हैं या एक डिविजन से दूसरे डिविजन का मुकाबला कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—आप घबराइये मत। मैं जो कुछ कह रहा हूं अपने कथन की पुष्टि कर रहा हूं।

श्री सभापति (श्री बद्रीलाल)—आपने समय काफी ले लिया है।

श्री मानसिंह महार—इसके बारे में और भी दो घन्टे बोला जाय तो कम है। इस जैसा अन्यायपूर्ण कानून तो सदन में आज तक पेश नहीं हुआ है। (घंटी) माननीय चेयरमेन, उन्हें

[श्री मानसिंह महार]

उदयपुर डिविजन के नाम से चिढ़ होती है लेकिन मैं आशा करूंगा कि वह घबरायेंगे नहीं। चुनाव हमारे लिए भी आ रहे हैं। हम भी मांग कर सकते हैं कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड के सैस को विद्ड्रा करने के लिए, लेकिन हम उस नीचे के स्तर पर नहीं जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक्ट लागू करना है तो जयपुर डिविजन पर जरूर लागू करना चाहिये। हम कभी नहीं कहना चाहते हैं कि जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस को विद्ड्रा किया जाय। मैं अपनी इस चीज़ को इसलिए स्ट्रेस करता हूं कि जवाब देते समय यह कहा जायगा कि हमारी असमर्थता है, मजबूरी है। हम इसको इतना जल्दी पास नहीं कर सकते। अलग से नहीं ला सकते और इसके चुनाव नहीं करा सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट कमेटी में इसको दुबारा भेजकर इस मसले के बारे में विचार करने की बात है। वह बहुत अहम बात है। यह बात पहले से भी तय नहीं होने दी जाय कि मियाद के सवाल को और ६ महीने अधिक कर दिया जायगा, लेकिन यह होते हुये भी सदन के समक्ष मौजूद है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करूंगा वह है चुनाव पद्धति के बारे में। हमने बहुत विचार कर, बहुत सोचकर बहुत विचार विमर्श के बाद यह बात रखी थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर चुनाव किस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन इस एमेंडमेंट के आने के बाद वह बात तो उथलपुथल होगई। अगर सरकार वाकइ में माइनोरिटीज़ के साथ में न्याय करना चाहती है तो उसको यह चाहिये कि जिस प्रकार से एक्ट बना है उसी प्रकार से चुनाव कराती। एक डिस्ट्रिक्ट में कराती, दो डिस्ट्रिक्ट में कराती और अगर वहां वाकई में इस प्रकार की डिफिकल्टीज़ आतीं जैसा कि उन्होंने फरमाया तो सदन के समक्ष इस प्रकार का अमेन्डमेंट लाते और सदन को कन्विन्स कराते कि भाई, हमारी तो यह मजबूरी है। हम यह नहीं चाहते थे कि ऐसी बात हो लेकिन यह डिफिकल्टीज़ हैं। हमारे पास आदमी नहीं है। यह नहीं है, वह नहीं है। तो सदन कन्सीडर करने को तैयार था। लेकिन यह कुछ नहीं है और कुछ जनों ने बैठकर देखा कि इस प्रकार से तो एक एक प्रकार से अनर्थ होगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अन्दर जो जाटवाद और जातिवाद के नाम पर पंचायतों का चुनाव हुआ है, उस वाद को एक तरह का इस प्रकार से प्रोपोर्शनल, रेप्रेजेन्टेशन हुआ तो एक धक्का पहुँचेगा। उस वाद ही वाद के आदमी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में नहीं आ सकेंगे और कुछ ऐसे लोग भी आजावेंगे जो बहुत मुमकिन है उन लोगों का भंडाफोड़ करेंगे। ऐसी सूरत में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में, चैयरमेन महोदय, मैं खास बात निवेदन कर दूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के विषय में जयपुर डिस्ट्रिक्ट से आये हुए या जयपुर रियासत से आये हुए जिस जिम्मेवारी के साथ राय यहां जाहिर कर सकते हैं उतनी बात बाहर के सदस्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसका अनुभव पिछले पांच वर्षों में कर लिया है और जो अनुभव हमारा है वह काफी कटु है। जो कुछ बातें हम सदन में प्रस्तुत करते हैं उनमें वास्तविकता है। हमने इस चीज़ में देखा है, चुनावों की प्रणाली बदलने की बात है, यह है कि भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जहां जहां बने हुए हैं वहां पर डाइरेक्ट इलेक्शन होते हैं लेकिन वे डाइरेक्ट इलेक्शन इस तरह से नहीं होते कि वहां पंचायतों के पंच ही उनका चुनाव करते हों, लेकिन उनको सारी जनता चुनती है। उसी तरह से यहां भी अगर कर देते तो कोई हमें आपत्ति नहीं होती। एक तरफ आप चुनाव सीमित करना चाहते हैं, पंचायतों के पंचों द्वारा चुनाव कराना चाहते हैं, वे पंचायतों के पंच ही इसी

[श्री मानसिंह महार]

प्रकार की गड़बड़ी से चुने हुए हैं कि जिसके लिए सदन का काफी समय लिया जा चुका है और हाईकोर्ट ने भी डिक्टेट्स दिये हैं जो किसी सरकार के लिए शोभनीय नहीं हो सकते हैं। ऐसी सूरत में चैयरमेन महोदय, अगर आप फरमावेंगे तो थोड़ी देर बाद में मैं एक किताब है पोलिटिकल साइन्स और गवर्नमेंट बाई गार्डर उसमें से दो चार लाइनें जो उन्होंने डेमोक्रेसी के डिफेक्ट्स को बताते हुए लिखी हैं, कि डेमोक्रेसी में क्या क्या खामियां होती हैं, उनको सदन में प्रस्तुत; उसके पहले मेरा जो यह पोइन्ट है चुनावों के बारे में उसको प्रेस कर लूंगा तो बैटर रहेगा।

चैयरमेन महोदय, अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन वाली बात रखेंगे तो क्या फायदा होगा? एक तहसील की पंचायतें ले लीजिये और उसमें तीन सौ पंच गिन लीजिये। और उसमें इस बात को लेकर चलिये कि २०० पंच तो एक जाति विशेष के हैं और सौ पंच और सब पार्टीज और कौमों वगैरा के हैं। उस सूरत के अन्दर अगर आप प्रोपोर्शन रिप्रेजेन्टेशन से वोटिंग करेंगे तो जैसा कि कौंसिल ऑफ स्टेट्स के चुनावों में सदन के समक्ष आया था, विरोधी दल के नेता ठाठ से जीत कर कौंसिल ऑफ स्टेट्स में गये और विरोधी पार्टीज़ को बल पहुंचाया, उसी प्रकार से इन सौ पंचों का भी कोई वैसा हो गया, इन सौ पंचों को भी एक आदमी भेजने का जो हक होगा और ज्यादा केन्डीडेट्स खड़े हो जावेंगे तो और इधर उधर की बातें हो जावेंगी तीन में से दो पंच भी दूसरी तरफ के जा सकेंगे। ऐसी सूरत में डाइरेक्ट इलेक्शन रख देंगे तो जातिवाद के, गुट्ट वाद के जो दो सौ पंच होंगे वे अपनी बात को कायम रखने के लिये ऐसा कर सकेंगे।

(श्री गोपीलाल यादव, सभापति, पदासीन)

माननीय चेयरमेन महोदय, तो ऐसी सूरत के अन्दर यह एक अन्यायपूर्ण बात होगी कि दो सौ आदमी जितने को चाहेंगे उतने को भेज देंगे और इन सौ आदमियों का किसी प्रकार का वश नहीं होगा।

दूसरी बात जो मैं इसके बारे में सदन को निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन से चुनाव करावेंगे तो आपके पंचो को और सरपंचों को एक प्रकार से शिक्षा मिलेगी और उन लोगों को यह बात सीखने का मौका मिलेगा, जब आप पंचायतों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन की पद्धति पहुँचा सकेंगे तो एक तरह की तामील का तरीका हो जावेगा। हमको तो खुशी होनी चाहिये कि राजस्थान की पंचायतें ऐसे काबिल पंचों को बना देंगी कि वे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन से वोट देना सीख जावेंगे। जिस समय पहले पहले कौंसिल ऑफ स्टेट्स के चुनाव सदन में हुये थे, कुछ लोगों को भय था कि इस प्रकार वोटिंग में कई लोग गलतियां करेंगे लेकिन चेयरमेन महोदय, मैं अदब से निवेदन करूंगा कि वे शंकायें बिलकुल निर्मूल साबित हुई। इस पिछले चुनाव में तो एक भी मत नाजायज नहीं माना गया है। जितने लोगों ने मत दिये वे बिलकुल करेक्ट माने गये। ऐसी सूरत में पंचायतों के पंचों के बारे में यह शंका करना कि

[श्री मानसिंह महार]

वह लोग इसप्रकार वोट नहीं दे सकेंगे, या ये शंकायें करना कि इसके चुनावों के लिए वोटिंग का काउंटिंग करने वाले आदमी नहीं मिलेंगे तो इस शंका को भी मैं निर्मूल मानता हूँ, अगर भारत सरकार सन् १६५१ में यह बात सोचती कि भारतवर्ष के चुनाव एक महीने में नहीं कर सकेंगे, यह तो बड़ा अन्डरटेकिंग है, बड़ी चीज है नाकामयाब हो जावेंगे तो वे शायद चुनाव ही नहीं कराते, लेकिन उनकी ऐसी डेफिटिस्ट मेंटीलिटी नहीं थी । उन्होंने धड़ाके से चुनाव कराये और वे कामयाबी से हुये, उसकी विश्व ने प्रशंसा की । ऐसी सूरत में मैं तो मंत्री जी से आशा करता था कि इन चुनावों में जितने काउंटिंग करने वाले क्लर्क होते हैं उनको एक दिन जयपुर में बुलाकर शिविर बनाकर तालीम दिला देते तो बहुत मुमकिन था कि उनको काफी सहायता मिलती इस काम में और राजस्थान भर में काउंटिंग हो जाता । कोई दिक्कत नहीं आती । लेकिन सरकार को तो इस चीज की आड़ में एक खास बात थी, पर्टीकुलर बात थी । वह इसमें यह थी कि इसमें माइनोरिटी की सही रिप्रेजेन्टेशन मिल जाता । इस चीज को सरकार द्वारा हटाना और उसके हटाने का बड़ा कारण था माननीय चेयरमेन, वह कारण यह था कि आज बहुत मुमकिन है कि मेजोरिटी में होते हुये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन से कांग्रेस सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अपने गुट के आदमियों को उस मेजोरिटी में उस सूरत में नहीं ला सकती जबकि इन बदले हुए चुनाव के तरीके से ला सकती है । उनको भय रहता है कि उनकी मेजोरिटी होते हुये भी दूसरी पार्टीज़ के कारण, उनके आदमियों के आजाने के कारण उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं रहेगी और इसलिए उन्होंने सबसे अच्छी बात यह समझी और यह बात यह थी कि अपने को तो ऐसे फूल प्रूफ तरीके अपनाये जाने चाहिये कि हमारी मेजोरिटी है तो उससे कोई भी निर्णय धड़ाके से आंख मीच कर सकें । और मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं चेयरमेन महोदय, वह बात यह है कि इससे विरोधी पार्टियों को भी फायदा होने वाला है । यदि पुरानी पद्धति ही चुनाव के लिये अपनाई जायगी तो विरोधी पार्टियों के भी दो दो चार चार आदमी हरेक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जा सकेंगे और उनके जाने से गड़बड़ की स्थिति रूक सकती है । आज जो निरंकुशता जयपुर डिविजन में सीकर, जयपुर, झुन्झुनू, मालपुरा वगेरा के डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् हैं, सवाई माधोपुर का नाम भूल गया वह तो खास है, इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् में जो निरंकुशता बढ़ती जा रही है । वह विरोधी पक्ष के लोगों के वहां जाने से रुक सकती है । इस बात को सरकार भी इन्कार नहीं कर सकती कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् ने जो काम किया है वह सब पक्षपात से किया । यही नहीं बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से भी गवर्नमेन्ट बोडीज होते हुए भी इनकी जो मोटर गाड़ियें वगैरा हैं उनको सरकार द्वारा चुनावों में काम में लिया गया है । यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में दूसरी पार्टियों के आदमी भी होते तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स द्वारा मनमानी करने की हिम्मत नहीं होती । खुले आम पंचायतों के चुनावों में या बाई-इलेक्शन्स में ये गाड़ियें काम में आई हैं ।

अब मैं आपके सामने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के फंड्स की बात रखूंगा । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के फंड्स हैं उनको भी बुरी तरह से खर्च किया गया है । उन फंड्स से जपुयर

[श्री मानसिंह महार]

शहर में लोगों ने इमारतें झुका ली हैं, उनकी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं। हमारे द्वारा दिये गये टेक्सेज से बने हुए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के फंड से बनी हुई वे इमारतें, मैं मानता हूं कि इस प्रकार चोरी से बनी हुई इमारतें, ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। यदि सरकार उनका इन्तजाम नहीं करना चाहेगी तो भगवान इन्तजाम करेंगे। या तो सैलाब आयेगा या नाले बहेंगे या सोइल इरोज़न होगा और मैं दावे के साथ कहूंगा कि वे इमारतें गिरेंगी। बेईमानी से बनी हुई इमारतें खड़ी नहीं रह सकतीं। मैं यह कहूँगा कि यदि चुनाव प्रणाली, जो इस बिल में आई है, उसे हम मंजूर करते हैं तो यह अन्याय पूर्ण बात है। हम मानते हैं चेयरमेन महोदय, कि सरकार को डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन उस समय जिस समय ओरिजिनल बिल पास हुआ तब कहां चली गई थी आपकी डिफिकल्टी? उस समय आपने क्यों नहीं कहा? यदि आप वाकई जनता के सेवक बनना चाहते हैं या जनता का भला करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह से इन्डाइरेक्ट इलेक्शन नहीं कराने चाहिये। यदि आपको प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन नहीं रखना है तो डाइरेक्ट इलेक्शन आम जनता से करवाइये। प्रत्येक नागरिक राजस्थान विधान सभा के लिये वोट देने का अधिकारी है तो आप उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये वोट देने का अधिकार क्यों नहीं देना चाहते, यदि आप डाइरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली रखना चाहते हैं तो हम को कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन यदि आप कहते हैं कि यह बेकार की बात है तो मैं यह कहूँगा कि यह प्रणाली सब जगह चलती है।.........

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—आप इस बिल को सेम सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय, इस पर बोल रहे हैं क्या?

श्री मानसिंह महार—जी हां।

मेरा सुझाव यह था कि इस बिल को दुबारा उसी सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय क्यों कि यह अहम बिल है। इतनी जल्दबाजी से इस अहम मसले को हल करना चाहते हैं जो ठीक नहीं है। सरकार के सामने यह डिफिकल्टी हो सकती है कि १५ तारीख के बाद क्या किया जायगा; यदि ऑर्डिनेन्स की मयाद १५ तारीख को खत्म हो जायगी तो हम क्या करेंगे? यह तो पहले सोचने की बात थी। राजस्थान विधान सभा के इस अधिवेशन को चलते हुए आज १।। महीना हो गया। इस समय पड़ते हैं तो पहले ही सिलेक्ट कमेटी को भेजते तो १।। महीने में वाद विवाद हो जाता तो अच्छा होता लेकिन, यह कुछ नहीं आ।

चेयरमेन महोदय, इस में एक विचित्र बात और है। राजस्थान सरकार ने सिलेक्ट कमेटी जब मीट कर रही थी तब चीफ इलेक्शन ओफिसर को विशेषज्ञ की हैसियत से बुलाया और उनसे पूछा गया कि आप की इस चुनाव प्रणाली के बारे में क्या राय है, अपनी राय व्यक्त कीजिये। तब उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि माइनोरिटीज को रिप्रजेन्टेशन देना है तो हमको ओरिजिनल एक्ट में जो पद्धति रखी है उसी पद्धति को रखना चाहिये। यदि इस पद्धति को तोड़ते, मरोड़ते हैं

Page No 44

[श्री मानसिंह महार]

या इसमें हेरफेर करते हैं तो यह माइनोरिटीज़ के साथ अन्याय अवश्य है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस में हेर फेर किया जायगा तो माइनोरिटीज़ को प्रोपर रिप्रजेन्टेशन नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत में यह जो अमेन्डमेन्ट बिल सदन में आया है यह राजस्थान में डेमोक्रेसी पर एक तरह का कुठाराघात है, यह कोई छोटी मोटी बात नही है! यह मूलभूत सिद्धान्तों पर कुठाराघात है। यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा एक आना या दो आना रुपया सैस लेने की बात नहीं है, यह मूलभूत सिद्धान्त पर कुठाराघात हैं। यदि सरकार माइनोरिटिज़ को प्रोटेक्शन नहीं दे सकी तो आज के युग में मैं कहूँगा कि वह सरकार डेमोक्रेटिक सरकार नहीं कहला सकती, वह सरकार माइनोरिटिज को कुचलना चाहती है। उनकी आवाज को नहीं सुनना चाहती वह सरकार डेमोक्रेटिक सरकार कभी नहीं कही जा सकती वह सरकार फासिस्ट सरकार कही जा सकती है। वह मुसोलिनी और स्टालिन की सरकार कही जा सकती है। जैसी आज रूस के कोने कोने से आवाज आती है कि स्टेलिन ने व्यक्ति विशेष के दबाव से रूस पर अन्याय किया। वही आज राजस्थान में हो रहा है। आज की सुखाड़िया सरकार अपने गुट विशेष को महत्व देने के लिये राजस्थान में जनतंत्र का हनन कर रही है। आज की सुखाड़िया सरकार उदयपुर डिविजन को डिस्ट्रिक्ट बोर्डस से वंचित रखने के लिये इस बिल के द्वारा मयाद ६ महीना और बढ़वाकर कहना चाहती है कि अब तो मजबूरी है जनरल इलेक्शन्स नजदीक आ गये हैं इसलिये डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के चुनाव नहीं करा सकते। यदि करायेंगे तो जनरल इलेक्सन्स में बाधा पहुंचेगी।...........

श्री **सभापति** (श्री गोपीलाल यादव)—अपने मोशन से संबन्धित बात ही कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मानसिंह महार—संबंधित बात ही कह रहा हूँ चेयरमेन महोदय, इस बिल में कहीं यह बात नहीं थी कि सरकार को २६ जुलाई से आगे जनवरी तक की मोहलत बढ़ाने दी जाये लेकिन मैं कहूंगा कि यह जनतंत्र के सिद्धान्तों पर कुठाराघात करने वाला अमेन्डमेन्ट इस सिलेट कमेटी ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, जिस में यह कहा गया है कि ६ महीनों के लिये चुनाव को और स्थगित किया जाय। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह सरकार जो इस प्रकार के अन्याय पूर्ण कानून बनावे, वह सरकार जो बहुमत के बल पर जनतंत्र के अन्दर माइनोरिटीज़ के अधिकारों का हनन करना चाहती है उस सरकार को बहुत अच्छी सरकार कभी भी नहीं कह सकते। अच्छी सरकार को चाहिये कि माइनोरिटीज़ को प्रोटेक्शन दे। डेमोक्रेसी में यदि माइनोरिटीज़ को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो मैं कहूँगा कि इस सूरत में फासिस्टवाद, स्टालिनवाद आ जाता है। लेकिन राजस्थान में इस तरह के वाद को आने देने के लिये हम किसी भी प्रकार तैयार नहीं हैं। हम को मजबूर होना पड़ेगा यदि राजस्थान में स्टेलिनवाद या फासिस्टवाद का तरीका हमारी सरकार अपनायेगी तो हम को भी सोचना पड़ेगा। जर्मनी में हिटलर को, इटली में मुसोलिनी को और रूस में स्टेलिन को किस तरह से गिराने की कोशिश की जा रही है, उसी प्रकार का तरीका हमको भी अपनाना पड़ेगा! चेयरमेन महोदय, रूस में स्टेलिन के जो सपोर्टर थे उनमें से एक

Page No 45

[श्री मानसिंह महार]

एक को निकालकर आज इस तरह से फेंका जा रहा है जिस तरह से दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंका जा रहा है। आज हमारे यहां ऐसी बातें हो रही हैं तो हम नहीं चाहते कि हम लोग ऐसे आन्दोलन करने के लिये मजबूर हों। डेमोक्रेसी का हित इसी में है कि हमें सरकार ऐसा करने के लिये मजबूर नहीं करे। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह डेमोक्रेटिक तरीकों पर चले। हम कभी नहीं चाहते हैं कि राजस्थान में डेमोक्रेसी नाकामयाब रहे। यदि आप इस तरह से नहीं चलेंगे तो डेमोक्रेसी के नाम पर कुठाराघात नहीं करने देंगे और कभी फासिस्टवाद का तरीका नहीं अपनाने देंगे। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस तरह का अन्याय नहीं करें और यह जो कुछ भी होरहा है उसको वे रोकें। ऐसी सूरत में माननीय चैयरमेन, मैं आशा करूंगा कि ३, ४ एक्पर्ट्स की और राय लें चाहे वे दिल्ली से एक्सपर्ट्स बुलायें या और कहीं से बुलाये और दुबारा इसको सेलेक्ट कमेटी में रख कर विचार करें और इस पर ध्यान दें। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि समय बढ़ाने का जो प्रश्न है वह प्रश्न ही नहीं उठता सेलेक्ट कमेटी में तय करने का। माननीय मंत्री महोदय को सदन में कह देना चाहिये कि जुलाई में चुनाव करा देंगे, नोमिनेटेड नहीं है वहां तो जुलाई से पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम कीजिये, ऐसा नहीं किया गया तो सरकार पर शक करने को गुंजायश मिल जायगी और हम यही कहेंगे कि यह सरकार जातिवाद गुट्टवाद और सुखाड़ियावाद फैलाना चाहती है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन महोदय, जो अमेंडमेंट माननीय सदस्य ने इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेंडमेंट बिल को दुबारा सेलेक्ट कमेटी में भेजने के बारे में रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आज से करीब डेढ़ साल पहले जिस तरीके से अभी यह बिल सदन के सामने आया है उसी तरह आया था, उस वक्त सारे हाउस ने तय किया था और माननीय मंत्रीजी ने भी बताया था कि हम इस बिल को इसलिये जल्दी पास करना चाहते हैं कि जनता को अधिकार मिलें और जो सैस का पैसा इकठ्ठा हो वह सारे राजस्थान में स्कूलें खोलने में, दवाखाने खोलने में और रास्ते सुधारने में लगाया जाय। पर आज डेढ़ साल बाद, फिर इस पर इसी तरीके से वाद विवाद हो रहा है और हर छः महीने बाद इस बिल पर वाद विवाद होने का मौका आ जाता है। इसकी वजह यह है कि राजस्थान सरकार में आज जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से समझ में नहीं आता कि वे लोग राजस्थान सरकार को चलाने लायक हैं कि नहीं। आज उन्हें सोचना चाहिये कि राजस्थान सरकार की तरफ से एक बिल पास हो जाता है सदन में तो जनता के सामने उसका पालन भी होना चाहिये। अगर पालन नहीं होता तो उसको जनता के सामने लाने से क्या मतलब? और यहां पर लाने से क्या फायदा, क्यों हम लोगों का वक्त फालतू बर्बाद किया जाता है।

यह बार बार मयाद मांगना शोभा की बात नहीं है। बिल में यह बात बताई कि जिस तरह कौंसिल ऑफ स्टेट के वोट होते हैं वह नहीं हो कर और तरह से वोटों का तरीका रखा है, वह गलत है। आज पंचायतों के चुनाव, और तहसील पंचायतों के चुनावों में इतनी गड़बड़ियां की, धांधलियां मचाई गई हैं कि मन्त्री महोदय भी जानते हैं कि कितनी धांधलियां मचाई हैं और उधर

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

बैठने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज वे कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं पर वे ऊंचा स्तर उठाने की बजाय तहसील पंचायतों के चुनाव में और पंचायतों के चुनाव में, स्तर नीचा गिरा रहे हैं, उन चुनावों में दिखाई आ रही है और उनके आपस में लडने के कारण पचासों तरह की उनकी खराबियां जनता के सामने आ रही हैं।

अब मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि वोटों का तरीका पहले वाला ही होना चाहिए और एक आदमी से वोट मांगने का तरीका रहना चाहिये न कि पार्टी बाजी के आधार पर। आज ६ महीनों का टाइम मांगते हैं तो हर मेम्बर और डिस्ट्रिक्ट के आदमी के दिमाग में यह मिलेगा कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, किस डिस्ट्रिक्ट से लड़ूं। तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव कराना मैं ठीक नहीं मानता। और वैसे यह भी नहीं मानता कि चुनाव कर देंगे, अक्टूबर में तो ए. स्टेट हो जायगी, गवर्नर शासन हो जायगा, आज तो राजस्थान सरकार शासन कर रही है.......

(घंटी)

अभी ४ ही मिनिट तो बोला हूँ।

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—बोलिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—तो फिर घंटी मत बजाइये। हां, कहीं गलती कहूँ तो बोल दें।

श्री सभापति—कितने मिनिट बोलना चाहते हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—१५ मिनिट। जल्दी से जल्दी चुनाव कराने चाहिए और जो भी अच्छा नतीजा या बुरा नतीजा हो, वह जनता के सामने आना चाहिये। नहीं तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इस सारे बिल को ही हाउस से वापिस ले लें कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड राजस्थान में बनें ही नहीं। और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो अधिकारी हैं वे पंचायत कानून में एक संशोधन ला कर तहसील पंचायतों को दे दें। यह कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं तो मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पूरे बिल को वापिस ले लें तो जो यह हर छठे महीने झगड़ा आता है, जो ६ महीने पहले भी आया था, उससे ६ महीनें पहले भी आया था, यह सब करने की मन्त्रीजी को और सरकार को जरूरत नहीं पड़ेगी और उन सदस्यों के ऊपर, तहसील पंचयातों के सरपंच और उप-सरपंचों और पंचों के, तथा पंचायतों के पंचों उपसरपंचों और पंचों के दिमाग में जो सरगर्मी है वह भी मिट जावेगी, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी मिट जायंगे। ऐसा ही सरकार करेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी कि इतने दिन रोकने के बाद भी इस बिल को वापिस ले लिया और इसमें अधिकार हैं वे पंचायत एक्ट में अमेंडमेंट ला कर, तहसील पंचायतों को दे दें।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

और दूसरे जिलों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं हैं और दूसरे जिलों में टेक्सेज नहीं है। माननीय चेयरमेन जयपुर राज्य था, मैं कहूंगा कि जयपुर में एक आना बट्टा ज्यादा मिलता था और राजस्थान बना उसके बाद भी एक साल तक वह मिला। यह बात मैंने पहले भी बताई थी। बाहर अब भी एक आना रुपया बट्टे का लगता है। पंचायत टेक्स अलग लेती है और एक आना रुपया, प्रति सैकड़ा ६।), के हिसाब से बट्टे का लेती है।

श्री सभापति—आप इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, इससे इसका तो कोई संबंध नहीं है। आप प्रस्ताव के संबन्ध में बोलिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—टेक्स लगाये गये हैं वह तो बताया जाना ही चाहिये। ऐसी हालत में बोर्ड जयपुर रियासत के वक्त बना था। वह बोर्ड अभी तक कायम है। राजस्थान को बने आज ६ वर्ष हो गये मगर जयपुर डिस्ट्रिक्ट के बोर्ड जो पुराने राज्य में जब जयपुर रियासत थी, बना वैसा का वैसा है।

एक माननीय सदस्य—रूस में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की क्या हालत है यह तो बतावें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन, रूस में और दूसरे मुल्कों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का क्या हाल है यह कहा गया है। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि रूस में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की संस्था जैसी हिन्दुस्तान में है कहीं दूसरी जगह नहीं है। और यहां पर हिन्दुस्तान में भी भारत सरकार कुछ दिन के बाद इसको हटा देगी। यू. पी. और सी. पी. में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं और राजस्थान में भी उस आधार पर बनाने चाहते हैं। फोरिन कंट्रीज में पंचायतें जरूर हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं हैं। वहां पर सब अधिकार उनको ही दिये हुए हैं वहां पर तहसील पंचायतें भी नहीं हैं। जो अधिकार हैं वे सब पंचायतों को ही हैं स्कूलें खोलना, दवाखाना आदि और जितना भी बजट बनाने का काम है वह सब पंचायतों से ही होता है और बाद में भेजा जाता है।

श्री सभापति—इसका अमेन्डमेन्ट से कोई संबन्ध नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—दूसरे मुल्कों की बात पूछी गई इसलिये बताना तो चाहिये। ऐसी हालत में माननीय सभापति महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जयपुर में अभी भी वैसा ही मौजूद है जैसा कि राजस्थान बनने से पहले था, आज राजस्थान की तीन मिनिस्ट्री बदल चुकी हैं और फिर भी चौथी का क्या मालूम क्या होगा? वह भी बदल जावे। इतनी मिनिस्ट्री बदलने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जयपुर का कोई सुधार नहीं हुआ। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी। मैं समझता हूँ कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जयपुर को फौरन हटा दिया जावे और जो पुराने राज्य के कानून के अनुसार एक आना बट्टा का वसूल किया जाता है नहीं किया जावे और यह सरकार अपनी पंचायतों में ले ले। मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है वह गत है। पब्लिक का कोई चेयरमेन नहीं है इसमें नोमिनेटेड हैं एक बदलता है तो

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

दूसरे को बिठा दिया जाता है। पब्लिक का कोई कान्फीडेन्स इसमें नहीं हैं। जब हम दूसरे देशों की थोड़ी घणी बातें लेते हैं जो अच्छी होती है, तो फिर यहां पर अच्छी बातें क्यों नहीं ली जावें ? मैं समझता हूं कि ऐसी बातें जो यहां पर हो रही है यह शोभा की बात हमारे लिये नहीं है।

(घंटी)

इसलिये श्री भैंरूसिंह जी ने जो संशोधन इसको वापिस सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाने का रखा है, कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे और जो जो सुधार होना चाहिये हो और उसके बाद यह बिल हाउस में आना चाहिये, मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं यह कहूंगा कि यह इलेक्शन जुलाई के पहले पहल भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि चुनाव नहीं हो सकता। अगर आपको चुनाव नहीं कराना है तो फिर आपको चाहिये कि इस बिल को पूरा ही वापिस ले लें और यह जनता को बता दें कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हमेशा के लिये खतम कर रहे हैं। इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य मानते हैं कि आपको इस पूरे के पूरे बिल को वापिस लेना ज्यादा अच्छा होगा। या जो कोई भी धारा है उसको पंचायत एक्ट में शामिल कर दें। इसमें समय लगेगा तो उसको हम मानने के लिये तैयार हैं, लेकिन यह नहीं हो कि पहले आप ६ महीनों की मियाद मांगें और फिर हाउस में दूसरी चीज लावें। मैं यह कहूंगा कि यह हमारे विधान सभा की प्रोसीडिंग सारे हिन्दुस्तान में जाती है और दूसरे मुल्कों में भी आज नहीं तो कल जाने लगेगी। अगर ऐसी बात सारे हिन्दुतान में मालूम हो तो मैं यह कहूंगा कि यह कोई शोभा की बात नहीं। इसलिये माननीय चेयरमेन, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो एमेन्डमेंट इसको सिलेक्ट कमेटी में वापिस भेजने के लिये रखा है वापिस ले लिये जावें और चुनाव जुलाई से पहले पहले कर दिया जावे और अगर नहीं कर सकते हैं तो इस पर पूरे बिल को वापिस लेने की कोशिश करेंगे।

श्री श्रीदास गोयल—चेयरमेन महोदय, जहां तक १९६ क्लॉज का प्रश्न है, माननीय भैंरूसिंहजी ने इसके अन्तर्गत जो बात कही है वह मेरे समझ में नहीं आता कि इसके अन्तर्गत कैसे आती है। इसका बी क्लॉज़ इस प्रकार है :

"(b) That the Bill, as reported by the Select Committee, be re-comitted to the same Select Committee either—

(i) with respect to particular clauses or amendments only,

or

(ii) with instructions to the Select Committee to make some particular or additional provision in the bill;

or

[श्री श्रीदास गोयल]

(c) that the bill as reported by the Select Committee be circulaed or re-circulated for the purpose of obtaining opinion thereon."

तो मैं यह गुजारिश करूं कि यह जो बी सेक्शन है इसके अन्दर (१) है : "with respect to particular clauses or amendments only" वहां तक यह एप्लाई होता है। लेकिन मूवर महोदय ने यह बताने की कोशिश नहीं की कि कौनसे एमेंडमेंट के मुतल्लिक यह दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भिजवाना चाहते हैं ? वे खुद इस कमेटी में मौजूद थे और जहां तक मैंने देखा है इनका डिसेन्ट नोट मौजूद है। मैं यह कहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी से निकल कर अभी आया है। इसके अलावा अभी आपने १३६ दफा यहां रखा गया तब भी इन्होंने वैधानिक आपत्ति उठाई कि इस पर बहस नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि जब यहां पर ६ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड काम कर रहे हैं और अगर १५ अप्रेल १९५९ के बाद इस पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो वे सब डिफेक्ट हो जाते हैं और जब वे डिफेक्ट हो जाते हैं तो उनके स्टाफ का क्या हाल होगा ? वहां पर जो कार्यवाही और कागजात चलते हैं उनका क्या हाल होगा। एकाउन्ट वगैरा का क्या हाल होगा ? जब इतनी बडी डिफिकल्टी हमारे सामने आती है तो मैं यह समझता हूं कि मेरे माननीय सदस्य ने जो यह बात कही है, अच्छा होता कि इसके लिये कोई रेमिडी भी बताते तो ज्यादा अच्छा होता। मगर उन्होंने कोई इसके लिये रेमिडी नहीं बताई इसलिये मैं तो ऐसा मानता हूं कि यह बात कोई इसके कंस्ट्रकटिव माइन्ड से नहीं निकली है। अगर निकलती होती तो इसकी रेमिडी भी साथ होती। यह तो ऐसी बात है जैसे किसी व्यक्ति के पास काम नहीं होता है तो वह क्या करता है कि बेकार बैठा बैठा कपड़े उधेड़ कर उनको फिर से सिलाई करे। यह तो एक प्रकार की उधेड बुन का प्रश्न है। जब कोई काम नहीं तो दुबारा सिलेक्ट कमेटी में इसको भेजा जावे। मेरे समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब होगा ? हां, कुछ कठिनाइयां ऐसी हैं जिस पर विचार किया जा सके, सिलेक्ट कमेटी में जहां पर यह प्रश्न आया था उस समय श्री गुप्ताजी जो इलेक्शन कमिश्नर थे का भी यही मत था और उनकी विचार धारा को श्री द्वरकादासजी ने प्रकट किया। दुर्भाग्यवश मैं जरूरी प्रोग्राम होने से हाजिर नहीं हो पाया। मैं निवेदन करूंगा कि इन्डाइरेक्ट इलेक्शन में और डाइरेक्ट इलेक्शन में क्या प्रोसीज होगा। माननीय मंत्री इस पर संभवतः नजर डालने की कोशिस करेंगे। यहां पर जिस प्रकार दूसरी जगह डाइरेक्ट इलेक्शन होते हैं वे चाहे तो वे कर लें और अगर वे इन-डाइरेक्ट इलेक्शन कराते हैं तो प्रोपोरशनेट रिप्रेजेन्टेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो डेमोक्रेसी के सब सिद्धान्त समाप्त हो जाते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि सिंगल ट्रान्सफरएबल वोट का जो प्रोविजन है उसको बदला नहीं जा रहा है। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद जिसमें यह वर्डिंग है कि रूल्स एज़ प्रिस्काइब्ड इलेक्शन किया जावे। रूल्स में जिस प्रकार होगा उसके अनुसार होगा। सिंगल ट्रान्सफरएबल वोट की जो कमी है उसको हम बिल्कुल उठा रहे हैं।

लेकिन थोड़ा खतरा है गवर्नमेन्ट को इस समय पता नहीं जहां वह सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की गुंजायश नहीं है तो कोई दूसरा रास्ता अख्त्यार करना चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय को यह राय देता हूं कि वे इस पर दुबारा विचार करेंगे। आया कौन सा तरीका उचित रहेगा

[श्री श्रीदास गोयल]

कौन सा रास्ता न्याय संगत होगा और स्वस्थ रहेगा। यह साफ बात है माननीय चेयरमेन महोदय, जैसा कि माननीय मित्रों ने कहा पंचायतों के चुनाव हुए उसमें गड़बड़ियां हुई ऐसा जहां हुआ वहां दुबारा चुनाव किये गये या हाईकोर्ट्स रिटें होकर चुनाव स्थगित हुए। गवर्नमेंट ने कोशिश की इसके बावजूद भी राजस्थान में पूरे चुनाव सम्पन्न नहीं हो सके। यह सत्य है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनने वाले हैं उसमें मतदाता पंचायतदार ही हैं। अभी तक राजस्थान में पंचायतों का निर्माण नहीं हुआ तो फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का एक्स्टेंशन होना बिल्कुल असम्भव हैं। मैं मानता हूं कि ऐसे कई मित्र है जो साइकोलोजी सोच कर दूषित मानते हैं। जब पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव नहीं हो सकते, लेकिन माननीय मंत्रीजी के कहने के मुताबिक २६ जुलाई तक वे चुनाव कर सकते हैं। इसमें भी एक चीज देखने की है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां १५ या २० जून के आसपास मानसून शुरू हो जाता है, वहां के लोगों को इसमें कठिनाई हो सकती है। जब ऐसा कर दिया जाता है तो भी वे मेरे मित्र कहेंगे कि बरसात में चुनाव कराये इसलिए, कीचड़ में लोग बाग आ नहीं सके और अपनी पार्टी के लोगों से मिल कर चुनाव करवा लिये इस प्रकार की बातें कहने के लिए भी तैयार हो जायेंगे। दूसरी चीज अब यह भी है कि कोंस्टीट्यूएन्सी जो बनने जा रही है उसमें भी समय लगता है। इसके लिये जो तरीका अख्त्यार किया गया है जो कुछ कांस्टीट्यूएन्सी आज होगी उसके बारे में एतराज होगा तो ओब्जेक्शन सामने रख सकते हैं, उसमें वास्तविक बात होगी उसके अनुसार निर्णय लिया जायगा। ये तमाम बातें चाहते हैं हरेक व्यक्ति को पूरा अधिकार है जो कुछ ग्रीवेंसेज़ हों सामने रखें ताकि सही ढंग से कोंस्टीट्यूएन्सीज बन सकें। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि हमको पूरी गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। बहुत से माननीय मित्रों ने बहुत से सुझाव दिये उस सम्बन्ध में मैं दुबारा यह निवेदन करूं कि उनमें से बहुत कुछ सुझाव स्वस्थ हो सकते हैं, जनहित में जनता की हित की दृष्टि से वे उचित हो सकते हैं इसके अलावा बहुत सी बातें ऐसी थीं जो आरगूमेंट फोर सेक, अपोजिशन फोर आरगूमेंट्स अपोजिशन्स के इन्टेन्शन से कही गई हैं।

श्री सभापति—इतना लम्बा जवाब देने की आवश्यकता नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—चेयरमेन महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था ऐसी स्थिति में दुबारा इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रश्न नहीं उठता। जहां कन्टीन्यूएटी का क्वश्चन था उसके लिये साफ कर दिया गया है कंटीन्यूएटी का पूरा ध्यान रखते कोंस्टीटयूएन्सीं बनेगी। इसके अलावा भी बहुत सी बातें बहुत से माननीय मित्रों ने कहीं। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सब जगह व्यर्थ रहे हैं, पंजाब में फैले हुए, बम्बई में पोस्टपोन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति जब अन्य प्रांतों में हो रही है तो यहां क्यों डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम किये जाते हैं? इसी के लिये अगर सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना उचित है तो यह ठीक नहीं है, यह उसके स्कोप में नहीं है, इस पर तो सरकार ही विचार कर निर्णय ले सकती है। मैं इस मसले को अहम मानता हूं कि गुप्ताजी जो इलेक्शन के मामले में एक्सपर्ट हैं उनके विचार से इस बात को सपोर्ट मिलता है, देश और विदेशों में इस सम्बन्ध में

[श्री श्रीदास गोयल]

क्या २ रूल्स है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। जहां डाइरेक्ट इलेक्शन होते हैं वहां प्रोपोरशनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की प्रणाली मानी जाती है। जहां डाइरेक्ट इलेक्शन आम लोगों के द्वारा नहीं होता वहां सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का तरीका अपनाना चाहिये।

जहां तक चुनाव का सवाल है मेरा यही निवेदन है कि इसके चुनाव जल्दी होने चाहिये और जल्दी होना बहुत जरूरी है, जहाँ प्राकृतिक बाधायें न हों या अन्य किसी कारण से जहां जल्दी नहीं हो सकते हों, वहां के लिये एक्जेम्प्शन हो सकता है। इस सम्बंध में दुबारा विचार करने की आवश्यकता है कि मतदान की प्रणाली क्या हो, इस पर क्लाज् बाई क्लाज् कंसीडरेशन हो उस समय ये बातें ली जा सकती हैं।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूं धारा १३६ को सिलेक्ट कमेटी को क्यों भेजना चाहते हैं? इसके लिये भी प्रस्तावक महोदय क्लीअर नहीं, इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, जमवा रामगढ़ से और दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूँ।

जिस समय सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया था उस समय माननीय सदस्यों को भी सिलेक्ट कमेटी के सदस्य के रूप में लिया गया थे। लेकिन दुख के साथ कहना पडता है कि वे सिलेक्ट कमेटी की मिटिंग में उपस्थित नहीं हुए फिर भी आज लम्बी चौड़ी चर्चायें करते हैं, इन बातों से मालुम होता है कि उनकी नीयत क्या है।

दूसरी दलील सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करते वक्त सदन के अन्दर यह रखी गई कि इन मुद्दों पर सिलेक्ट कमेटी ने ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी में सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। मैं इस संबन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप गौर से रिपोर्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें तब्दीलियां कीगइ और इस तरह से सिलेक्ट कमेटी ने सारे मुद्दों के ऊपर ध्यान दिया। जहां जहां तरमीम करने की आवश्यकता हुई तरमीम की गई। बड़ी बात यह है कि छः महिने की मियाद की जगह एक वर्ष की मियाद बढ़ा दी गई। इसमें सिलेक्ट कमेटी ने यह सोचा कि छः महीने की ही मियाद रखी गई तो दुबारा सदन के सामने फिर अवधि बढ़ाने का अमेन्डमेन्ट आसकता है। इस तरह से बार बार मियाद बढती रहे वह ठीक नहीं होगा। सिलेक्ट कमेटी की यह राय नहीं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव आगे बढ़ाये जांय। लेकिन यह राय अवश्य थी कि बार बार अवधि बढ़ाने का अमेन्डमेन्ट आये या हाई कोर्ट में रिटे हों इन सब बातों से बचने के लिये यह ठीक समझा गया छः महिने की जगह एक साल अवधि कर दी जाय इससे सदन में जो अमेन्डमेन्ट बार बार आया करते हैं वह नहीं आयेंगे, सदन और जनता के समय का दुरुपयोग नहीं होगा। इन सब बातों से बचने के लिए इतनी लंबी मियाद बढ़ाई गई है। सरकार

[श्री मोहनलाल भटनागर]

क्या करेगी, क्या इरादा है, कब तक इलेक्शन होजायेंगे, यह तो माननीय मंत्री ही बतायेंगे लेकिन यह बात सिलेक्ट कमेटी ने अवश्य सोची कि बार बार अमेन्डमेन्ट सदन के अन्दर न आयें।

एक विचारधारा यह भी प्रस्तुत की गई कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड न हों, इस बारे में मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह इस बिल के स्कोप में नहीं है। टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी का निर्माण हुआ था उस जमाने के अन्दर यह था कि इसका राजनैतिक स्वरूप क्या हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस का होना ठीक है या नहीं, उस बारे में टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने अलग अलग स्टेटस के बारे में कन्सीडर किया और उन्होंने यह राय दी कि जहां जैसी परिस्थितियां हों उसी के अनुसार जो स्टेट रखना चाहे वहां रखे जावें वह उनकी मरजी पर है। अभी अपने यहां पंचायतों के चुनाव होना कई जगह बाकी है। पंचायत विधान लागू हो चुका, पंचायतों को जब बहुत से अधिकार मिल चुके, यह ट्रांजीशनल पीरियड है, आया जिसमें यह देखना है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रखना या न रखना यह तो सरकार के सोचने की बात है। इसमें समय जो बढ़ाया गया है उसमें यह भी दृष्टिकोण सामने रखा गया था।

दूसरी ओर जितने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नामजद हैं उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र हों। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ उसके लिये इससे कोई रुकावट नहीं। मियाद जो लम्बी बढ़ायी गई है उसमें जितना जल्दी हो सके उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के चुनाव हो सकते हैं, जहां नोमीनेटेड बोर्ड मोजूद हैं वहां चुनाव होकर इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का निर्माण हो सकता है। दूसरी बात, जो उठाई गई वह है प्रिफेरेन्शियल वोटिंग के स्थान पर प्रैस्क्राइब्ड मेनर की बात रक्खी गई है कि जिससे सरकार को अधिक पॉवर दे दिया गया है। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिंसिपल एक्ट में यह चीज थी। उसमें कन्टीन्युटी ऑफ विलेज के आधार पर क्षेत्र बनाने की बात रक्खी गई थी और अमेन्डेड बिल में इस कन्टीन्यूटी की बात को हटाने की बात रक्खी थी। सिलेक्ट कमेटी ने रक्खा कि कन्टीन्यूटी जरूरी है। पर इस अमेन्डेड बिल को देखते हुए हमें यह विदित होता है कि सरकार की मंशा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये सेपरेट वार्डस हों। जब सरकार की यह मंशा है कि अलग अलग वार्ड से चुनाव हों तो वहां प्रिफेरेन्शल वोटिंग का सवाल नहीं पैदा होता। जहां कान्स्टीट्यूएन्सी अलग अलग नहीं होकर एक ही बड़ी हो तो उसमें प्रिफेरेन्शियल वोटिंग से चुनाव होने का सवाल आता है ताकि सभी को समान प्रतिनिधित्व मिल जावे, पर जब अलग अलग वार्ड बना दिये जायगें तो इसमें भी सब को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। तो इस दृष्टि से यह संशोधन लाया गया है कि इस तरीके से भी सबको समान प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।

इसके पक्ष में दूसरा तर्क यह है कि सिंगल ट्रान्सफरेबल वोटिंग के सिस्टम में मतों की गिनती का काम बहुत मुश्किल है। इसमें कई एक्सपर्टों की जरूरत पड़ती है और इतने एक्सपर्ट हमारे पास होना असम्भव है। फिर इलेक्शन कमिश्नर श्री गुप्ता साहब ने भी यह बात मानी है।

[श्री सोहनलाल भटनागर]

उन्होंने इसे बहुत ही टेकनीकल बतलाया है और पढ़े लिखे लोगों के लिये फिर भी यह सिस्टम चल सकता है पर जहां वोटर बिलकुल इललिटरेट हों वहां एक दम मुश्किल है और इससे बहुत गड़बड़ियां होने की सम्भावना है। इसकी मिसाल हमारे यहां का कौंसिल आफ स्टेट का चुनाव है। जोकि सब को मालूम है कितनी मुश्किल से हुआ था। फिर यह भी है कि पंच पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी जगह प्रेसाइडिंग अफसर को ही उनको पूछ पूछकर क्रम से नामों के आगे निशान लगाने होंगे। इस पर विरोधी सदस्य कहेंगे कि प्रेसाइडिंग अफसर बेईमान है उसने पक्षपात किया है, हालां कि वह कितना ही ईमानदार हो और कितनी ही ईमानदारी से निशान लगाये हों। फिर इसका सुबूत करना भी मुश्किल होगा। तो ऐसी स्थिति में इसके स्थान पर डाइरेक्ट चुनाव रखे गये हैं तो हमें इसके स्थान पर इनको अपनाना चाहिये।

फिर यह भी बात है कि जोइन्ट कॉन्स्टीटयूएन्सी में सभी मेम्बरों की सम्मिलित जिम्मेदारी उस क्षेत्र की होगी तो यह भी गड़बड़ी की चीज होगी क्योंकि जैसे कहते हैं कि रेस्पोन्सिबिलिटी ऑफ आल इज़ रेस्पोन्सिबिलिटी ऑफ नन।

अतः इसके स्थान में अगर अलग अलग वार्ड बना दिये जाते हैं तो वहां से चुना गया प्रतिनिधि उसे अपनी कान्स्टीटयूएन्सी समझ सकेगा और उसे ठीक तरह से देख भाल सकेगा। तो जो कुछ सिलेक्ट कमेटी ने काफी सोच-विचार के बाद उपयुक्त समझा है वही अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है और वह बिलकुल सही और उपयुक्त है। तो ऐसी स्थिति में मैं सदन से निवेदन करूंगा कि बिल जैसा है उसे उसी रूप में पास किया जावे।

श्री बद्रीलाल—माननीय चेयरमेन, दो प्रस्ताव इस संशोधन विधेयक पर क्रमशः दांता रामगढ़ और जमवा रामगढ़ से आने वाले सदस्यों ने रक्खे हैं। उनका मैं विरोध करता हूं।

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)— यह जो विरोध चल रहा है और अमेन्डमेन्ट पर ये जो स्पीचें चल रही हैं उसे आप मानते हैं कि यह महज देरी करने के लिये हैं, तो आपको जवाब देने में भी सावधानी रखनी पड़ेगी।

श्री बद्रीलाल—तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट सदन में रक्खी है उस पर सिलेक्ट कमेटी ने बहुत गहराई से सोच विचार किया है। अब इसके विरोध में दो बातें कही जा रही हैं। एक तो यह कि ६ महीने की मियाद क्यों बढ़ा दी गई जब कि बिल में डेढ़ साल की मियाद मांगी गई थी। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि सिलेक्ट कमेटी का यह हरगिज इरादा नहीं था न अब भी जो इसके मेम्बर हैं उनका इरादा है कि डेढ़ साल के अन्दर चुनाव ही न हों। दो साल कर देने से यह नहीं होता कि दो साल तक चुनाव ही नहीं हो सकेंगे। यह कोई दलील

[श्री बद्रीलाल]

नहीं है। यह तो इसलिये कि कभी किसी कारण से वार्ड बनाने में देरी हो और जुलाई के महीने में चुनावों को रखा है और मान लीजिये किसी विशेष कारण से इस पीरियड में चुनाव न हों सके तो फिर इसके लिये आर्डिनेन्स लाने की जरूरत नही पड जाय, इस बात को ध्यान में रखते हुए जनवरी तक मियाद बढ़ाई गई है। इसका यह मतलब नहीं कि जनवरी में ही हों। नवम्बर-दिसम्बर में भी हो सकते हैं, इससे पहले भी हो सकते हैं जुलाई में भी हो सकते हैं जब सब तैयारी हो जाय तभी चुनाव हो सकते हैं तो यह हर्गिज मंशा नहीं है कि जनवरी तक चुनाव ही न हों।

दूसरी बात जो प्रिफेरेन्शल वोटिंग पद्धति की है उस पर भी कमेटी ने काफी विचार किया है। हमें यह भी सोचना होगा कि जो कानून या नियम हम बना रहे हैं उस पर अमल भी हो सकेगा या नहीं। चूंकि इसमें अधिक लोग अनपढ़ होंगे इसलिये अव्वल तो यह चुनाव पद्धति उन की समझ में आवेगी नहीं, मुश्किल है, दूसरो, इसमें गिनने की बहुत दिक्कत है और इतना गिनने में एक्सपर्ट अफसर राजस्थान में हैं नहीं। ऐसी दिक्कत का अर्थ यह हुआ कि कभी चुनाव ही हो नहीं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनें ही नहीं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आवश्यकता ही नहीं। तो एक तरफ यह कहा जाय कि सरकार चुनाव बढ़ाये जा रही है और सरकार का चुनाव कराने का इरादा नहीं है और साथ ही यह भी कहें कि इनकी आवश्यकता ही नहीं तो उनको अपने विचार स्पष्ट रख देने चाहिये।

इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लेकर यही निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह बहुत सोच विचार करने के बाद बनाया गया है और इसलिये इसे वापिस सिलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये सदन को इसे जल्दी पास कर देना चाहिये, क्योंकि फिर १५ तारीख का आर्डिनेन्स की मियाद खत्म हो रही है और आगे फिर बहुत कानूनी दिक्कत पेश हो जावेगी।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय चेयरमेन, मैं दांता रामगढ़ से आने वाले जो सदस्य है उन्होंने जो संशोधन इसमें रक्खा है उसका समर्थन करना चाहता हूँ। मैं देखता हूं कि सिलेक्ट कमेटी ने इस पर ठीक रूप से विचार नहीं किया। जल्दी जल्दी में उसने इसे किया है। अब जो बहस हो चुकी है और जो विचार यहां व्यक्त किये गये हैं उनकी पृष्ठभूमि को देखकर वह फिर इसमें संशोधन कर सके और ठीक तरह से बना सके, इस कारण से इसे वापिस सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाना चाहिये। इसमें दो तरह की बातों की खामी है। एक तो यह कि पुराने बोर्डों को बनाये रक्खा, जोकि प्रजातन्त्र को दुहाई देने वालों के लिये कतई शोभाजनक नहीं। अगर वे खत्म हो जाते हैं तो क्या अनर्थ हो जाता है? आखिर इनको बढाने से आपका क्या मतलब है? आखिर यही मतलब है न कि आपके जो आदमी हैं वे बने रहें। इस असेम्बली को चार वर्ष हो गये तब से उन बोर्डों को वैसे ही बनाये रखना चाहते हैं ताकि वे बने रहें। लोगों पर गलत रूप से टेक्स लगाते रहें, तकलीफें देते रहें, लोगों को सताते रहें, कुनबा परस्ती करते रहें, अपने अपने आदमियों को

[श्री जगतसिंह झाला]

बनाते रहें, विरोधियों को कुचलने के षडयन्त्र करते रहें और अब और मियाद बढ़ाने से आप यह चाहते हैं कि ठीक रूप से चुनाव नहीं होवें। यह तो ठीक नहीं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर डिविजन के अन्दर जहां कि पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं तो जानबूझ कर इसकी बात बढ़ाते हैं और आपका इरादा है एक साल और लेकर बढ़ाना है। इससे स्पष्ट दिखाता है कि आप बोर्ड की स्थापना नहीं करना चाहते हैं। इससे स्पष्ट बात जाहिर हो गई कि उसमें आपको बहुमत नहीं होगा। वहां कांग्रेस का बहुमत नहीं होगा इस बात का आपको डर है। इसी डर से अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं जहां चुनाव ठीक प्रकार से हो चुके हैं वहां कम से कम चुनाव करा देना चाहते।

चुनाव पद्धति के सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको चुनाव करवाने हैं और आपको जनता का ध्यान है तो डाइरेक्ट रूप से चुनाव करायें। डाइरेक्ट रूप से चुनाव करवाने में असमर्थ हैं तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के रूप में इनडाइरेक्ट चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहते हैं और सरकार अपने हाथ में ऐसा अधिकार क्यों लेना चाहती है? कि न जाने किस तरह से चुनाव करवा कर मत निर्वाचन प्रणाली को नहीं लादना चाहिये जो कि खतरनाक सिद्ध होने वाली है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां आपका विरोध नहीं होगा वहां आप राज्य का ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर सकेंगे। आपको हम लोगों की ओर जो मतनिर्वाचक हैं उनकी बातों को अच्छी तरह से जानना चाहिये, और जानने के बाद आपको विचार करके करना चाहिये। इस प्रकार की धांधलेबाजी जो कि पुराने जयपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में काम कर रहे हैं उन्होंने लाखों रुपये का डिस्ट्रिक्टबोर्ड सैस कायम कर रखा है। और उनका इसी तरह से चुनाव करवाना चाहते हैं वह अ-प्रजातांत्रिक हैं और वह अप्रजातांत्रिक हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्टबोर्ड के चुनाव जल्दी हों तो और अवधि नहीं देनी चाहिये और जल्दी से चुनाव करवाने चाहिये। वह अप्रजातांत्रिक तरीके से बने हुये हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इसलिये उनको समाप्त दें और उनके बजाय एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दें, जबकि जयपुर और जोधपुर जैसी म्यूनिसिपेलिटीज में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर रखे हैं वह ज्यादा अप्रजातांत्रिक है। आप उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को समाप्त नहीं करना चाहते हैं जो कि अप्रजातांत्रिक तरीके से नोमीनेट किये हुये हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता हैं कि आप अपने बहुमत के बलपर अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए ही लगे हुए हैं। आपका यह मत है कि हम किसी से अपनी पार्टी के लोगों को प्रसन्न रखें। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बिल बिलकुल एक अप्रजातांत्रिक बिल है, या इसको कहा जाय कि राजस्थान में, धारा सभा में सबसे अधिक अप्रगतिशील बिल है, यह प्रजातंत्र की हत्या करने वाला है, यह एक काला कानून है जो बिल्कुल उचित होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को फिर से सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए जहां ठंडे दिल से विचार हो सकता है।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय सभापति, इस बिल के सम्बन्ध में दो संशोधन हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस सम्बन्ध में मैं तीन बातों पर विचार करना चाहता हूं। वे तीन बातें यह हैं:–

(क) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आवश्यक होंगे या नहीं होंगे ?

(ख) दूसरा प्रश्न यह है कि अवधि बढ़ाना उचित है या अनुचित ?

(ग) तीसरा प्रश्न है चुनाव प्रणाली और गणना ?

तीनों विषयों पर........

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—आवश्यकता होगी या नहीं होगी, इस पर इस समय बोलने की आवश्यकता नहीं है यह इर्रिलेवेन्ट है। बाकी पर बोलिए।

श्री रूपनारायण शास्त्री—जब मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट की अवधि बढ़ाना उचित है या अनुचित और चुनाव प्रणाली और गणना पर ही कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, (सभापति महोदय), मैं आपके द्वारा सदन से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अवधि बढ़ाना मेरी दृष्टि में कदापि उचित नहीं है, क्योंकि इसके सम्बन्ध में अनेक वक्ताओं ने अवधि नहीं बढ़ाइ जाय इसके सम्बन्ध में विचार रखे हैं, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ। अवधि बढ़ाने का उद्देश्य यह स्पष्ट है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव नहीं हो। जबतक यह असेम्बली है तब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव नहीं हो। यह उसका अन्तिनहित उद्देश्य है। यह उद्देश्य स्पष्ट यों हो जाता है कि जब तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड. हैं वे उनमें नाम निर्दिष्ट सदस्य हैं यानी जो सरकार के द्वारा आदमी हैं, उन आदमियों को ही रखा जाय। और अभी से उनके साथियों का सिंहासन, उनकी कुर्सियां हिल न जाय इस दृष्टि से, उनकी सुरक्षा के लिए एक तो अवधि बढ़ा देते हैं। दूसरे इसलिये अवधि बढ़ाई जा रही है कि दूसरे पक्ष के लोग न आयें, तो यहां जैसी नियत है गवर्नमेंट की कि जिनके नाम निर्दिष्ट किए हैं उन आदमियों को स्थिर रखना है। तो यह कदापि उचित और अच्छी परम्परा नहीं कही जा सकती।

तीसरी बात अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में यह है, जैसाकि अभी यह कहा जाता है, कि अवधि बढ़ायेंगे जनवरी तक और चुनाव किया जायगा निकट ही, तो तब तक चुनाव निकट आ जायेगा और उसके पहले जनवरी में ही विधान सभा भी समाप्त हो जाय तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं होता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव हों या न हों। इसलिए स्थिति यह है जो समझ में आती है कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव नहीं होंगे। बाद में क्या होगा, क्या नहीं होगा,

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

इस दृष्टि से चुनाव की अवधि बढ़ाने की मांग है। सरकार ने जिन आदमियों को नियत कर लिया है वही आदमी सदा के लिए डिक्टेटरशिप की तरह से काम करते रहें तो वहां जो कलेक्टर हैं उनके हाथ में तमाम अधिकार दे देने चाहिएं। तमाम अधिकार गवर्नमेंट के हाथ में रहने चाहिएं जबरदस्ती वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्यों कायम किये जा रहे हैं? जो सुधार ये करना चाहते हैं वह क्यों कलेक्टर नहीं कर सकता था? यदि वह नहीं करता है? प्रजातन्त्र की प्रणाली अपनानी है और प्रजातन्त्र की पोषक जितनी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का अधिकार बढ़ाना है इस दृष्टिकोण से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए लोगों को नोमीनेट किया है, तो मैं कह सकता हूं कि प्रजातन्त्र की पोषक वह संस्था नहीं है। प्रजातन्त्र की पोषक विधान सभा हो सकती है, प्रजातन्त्र की पोषक पार्लियामेन्ट हो सकती हैं, प्रजातन्त्र की पोषक पंचायतें हो सकती हैं, यह सब संस्थाएं प्रजातन्त्र की पोषक हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अगर प्रजातन्त्र की पोषक मानकर चलें, अगर हम वहां लोगों को चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को चाहते हैं, तो यह कहें कि वहां सदस्य फिर चुनाव से आने चाहिएं तो ठीक है। चुनाव से नहीं आते हैं और गवर्नमेंट के आदमी हैं, गवर्नमेन्ट चाहे जिसे बिठा दे, तो यह कोई पद्धति अच्छी नहीं है। इसलिए चुनाव होने चाहिएं। यदि अवधि बढ़ाई जाती है और चुनाव नहीं होता है और नाम निर्दिष्ट आदमी ही अपनी डिक्टेटरशिप चलाते हैं तो मैं इस अवधि के बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं।

दूसरा प्रश्न हमारे सामने चुनाव प्रणाली का है। चुनाव प्रणाली दो तरह की है। एक पक्ष हमारे यहां चाह रहा है कि विधान सभा की चुनाव प्रणाली के अनुसार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चुनाव प्रणाली हो। दूसरा पक्ष यह चाह रहा है कि चुनाव प्रणाली कौन्सिल आफ स्टेट्स की तरह से हो। दोनों परम्पराओं का सम्बन्ध साक्षात सम्पर्क से है। साक्षात् सम्पर्क का मतलब यह है कि जहां मताधिकार का प्रश्न उपस्थित होता है कि हरेक आदमी अपने क्षेत्र में जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में होता है वह मत दे सकता है। यह विधान सभा की चुनाव प्रणाली के अनुसार है। और कौन्सिल आफ स्टेट्स के लिए विधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही वोट देते हैं। इसलिए डिस्क्ट्रिट बोर्ड में भी पंचायतें जो कि जनता की निर्वाचित होती हैं उनके पंच ही वोट दे सकते हैं।

अब इसमें प्रश्न यह है कि चुनाव प्रणाली को दो तरीकों से रख दिया है कि पंच ही वोट दे सकें, क्योंकि पंचों को वहां की क्षेत्रीय जनता ने वोट दे दिया है और वे उनके निर्वाचित हैं, इसलिए पंचों को अधिकार होना चाहिए। तो मैं यह कहूंगा कि मतगणना भी उसी तरह से हो जैसे कि कौन्सिल ऑफ स्टेट्स में, विधान सभा में जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य आ जाते हैं तो उन्हीं के वोट होते हैं जनता के वोट नहीं होते हैं, कौंसिल ऑफ स्टेटस् के मेम्बर के लिए। उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर के लिए अगर यह मान लेते हैं कि उनका चुनाव उस पद्धति से हो जैसी कि कौन्सिल आफ स्टेट की पद्धति है, अर्थात् पंच ही उनको वोट दें, तो ऐसी स्थिति में उनकी मतगणना भी कौन्सिल आफ स्टेट के अनुसार ही होनी चाहिए। यदि इस बात को नहीं मानते हैं और यह मान लेते हैं कि स्वराज्य का अर्थ यह है कि जन साधारण में सारी सत्ता निहित है, एक व्यक्ति में सत्ता नहीं होती है, सत्ता उस क्षेत्र की

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

विकेन्द्रित है। सत्ता केन्द्रित नहीं है। इस सिद्धान्त को मानकर चलते हैं ऐसी स्थिति में रहनेवाले जन-साधारण को मताधिकार हो और चुनाव हो। और इस तरीके से नहीं रखकर आप कहना चाहते हैं कि इस चुनाव प्रणाली में कठिनाई रहती है और उसमें पंचों को सुगमता रहती है। तो यदि सुगमता के पक्ष में चला जाय तो तहसील के पंचों कोही वह अधिकार दे दिया जाय और वह सुगम होजायगा जनता के पक्ष में जांय तो केवल तहसील के चुने हुए पंच हैं, वह दे दें। आठ आदमियों से ले लेंगे, चलो खत्म हुआ मामला। लेकिन जनतंत्रीय प्रणाली में तो यह है कि उसमें सत्ता एक के पास केन्द्रित न हो, लेकिन सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्र में रहने वाले को मताधिकार के अनुसार इन चुनावों के लिए अधिकार देने चाहिए। अधिकार देना चाहते हैं तो यह इस तरह से हो। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। चुनाव प्रणाली को इसमें भी मताधिकार के अनुसार रखने के लिए इस बिल में वह होना आवश्यक है और इसलिए इसको पुनः प्रवर समिति में भेजने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह—Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose the motion put forward by the Hon'ble Member from Danta Ramgarh Constituency to refer this Bill to the Select Committee again. While opposing this motion I would like to point out and submit to the House, what is the democracy as he advocated that this bill be referred to the Select Committee so that it may be made more democratic, as the basis of democracy would mean the proportional representation only. Since this Bill advocates single member constituency, I may here invite the attention of the House on this point that single member constituency system is prevalent in England and America, but this proportional representation system is only prevalent in Belgium and other countries of Europe. Here in India we have adopted the direct election system. This is on the ground that the minority may have the representation, because in some constituency they will have their majority.

The question of minorty and mojority representation in democracy can be on the merits of the parties concerned. Today we may be in minority and tomorrow can be in majority, but in a democracy to limit the horizons of minorities to the boundaries at a constituency or election system is not justifiable. Minority and majority are voted on their programmes, but not on the proportional representation basis. This system was tried in the Weimer Germany. The result was that there was no single group which was able to form the majority and with the result that no party could form a stable Government. If we adopt this complex system into the district boards the result will be that there will be no clear cut majority and we

[श्री श्रीमानसिंह]

would defunct the district boards, their position and functions will be jeopardised and they will not be successful. They will not be able to function properly because one group may have majority by one. But in a country where the democracy is yet at a infant stage and have to prosper in the future there to advocate this system, so complex a system even which you can not find in other democratic countries, would not be fair. Despite the whip, despite the best intentions of the majority party, I would humbly submit to the House how do you think and how this House think that the illeterate people will carry on with this complex system. The result of calculations might not bring a candidate in power when people voted and the result will be desparte to carry on work on this proportional representation system on this ground. Next stage will be to demand vocational repr esentation caste representation and a raligious representation.

In a system of voting things have to be carried out and the small and thin majorty will not carry them on. Even in America despite best intentions of Constitution the minority group never has a great voice and always there was majority of one of the groups because the people voted for them. This proportional representation is a complex system mere in our illeterate country. The best system for minority as well as majorty it is the best system which has been adopted by the Select Committee.

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय सभापति, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार करने खड़े हुए थे। हमारे सामने प्रस्ताव है वह यह है कि सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसको दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और प्रस्तावक महोदय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए यह कहा है कि सिलेक्ट कमेटी ने जल्दी जल्दी में अपनी रिपोर्ट पेश की है और इसमें एक्सपर्ट्स की राय ली जानी चाहिए थी। वे सिलेक्ट कमेटी में जरूर आये लेकिन उस वक्त आये जब सिलेक्ट कमेटी अपने विचार बना चुकी थी। उसके बाद उनको एक्जामिन किया गया। उनकी यह राय थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनावों के लिए सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट्स पर प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये और डाइरेक्ट वोटिंग नहीं होना चाहिये। मैंने सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी और मैं अचम्भा कर रहा था कि जब सिलेक्ट कमेटी के रिपोर्ट लिख रहे थे जो सिस्टम इलेक्शन का निकाला गया है उसका ठीक तरह से अध्ययन किया या नहीं। अध्ययन नहीं किया है तो बिना अध्ययन किये ही यह कैसे लिख देते हैं? धारा ५ का जिक्र किया गया जिसके जरिये एक्ट की धारा १२ को अमेन्ड करते हैं। उसमें यह लिखा है कि "The Committee while agreeing with the amendment of Section 12 of the Principal Act by this clause desires that the elections to the Dtstrict Boards should be held in the same manner as the election to the State Assemblies."

[श्री वेदपाल त्यागी]

मैं समझता हूं कि यह एब्सर्डिटी है जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। एक तरफ तो हमने उस एक्ट में इनडाइरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम एडोप्ट किया है और दूसरी तरफ सिलेक्ट कमेटी कहती है कि वह सिस्टम एडोप्ट किया जाना चाहिए जो स्टेट असेम्बलीज़ में एडोप्ट किया गया है। असेम्बली में हम चुन कर आये, डायरेक्ट इलेक्शन के सिस्टम को इनडायरेक्ट इलेक्शन पर लागू नहीं किया, दुबारा करेंगे तो बड़ा नियाज होगा और वह यह होगा कि जिस पर यह कहा जाता है कि माइनोरेटीके साथ अन्याय नहीं होगा, पूरा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं, माइनोरिटीज प्रोग्राम के आधार पर भी बनती हैं। माइनोरिटीज बनाने के आधार कई हो सकते हैं। हम मानने को तैयार हैं हमारी कांस्टीच्युएन्सीज़ को एक्सटेन्ड किया है लेकिन प्रोग्राम हमारी तहसीलों के आधार पर हो सकता है, इसके आधार पर बन सकता है। यदि आप इन्डाइरेक्ट इलेक्शन कराना चाहते हैं तो यह जरूर हो जाता कि इस सिस्टम से माइनोरिटीज को किसी भी प्रकार से रिप्रजेन्टेशन मिलने वाला नहीं है। इसमें सबसे बड़ी कमी यही है कि जहां आप इन्डाइरेक्ट इलेक्शन कराना चाहते हैं वहां ऐसे इलेक्शन के लिए जो वोटिंग का तरीका इस्तेमाल किया गया है उसको आप लागू नहीं करना चाहते हैं। ये दो चीजें एक साथ चल नहीं सकतीं। आप इन्डाइरेक्ट इलेक्शन करना चाहते हैं। लेकिन इस वोटिंग सिस्टम में जो कांम्पलीकेशन्स हैं उनसे आप दूर भागने की कोशिश न करें। दूसरी रियासतों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के डाइरेक्ट चुनाव होते हैं। उसमें सवाल नहीं रहता कि माइनोरिटीज चुन कर आनी चाहिये या नहीं। उस सिस्टम में तो जिन लोगों की इलेक्टर्स के पास पहुंच है वे चाहे प्रोग्राम के आधार पर या और किसी तरह से इलेक्टर्स के पास पहुंच सकेंगे, वे चुने जावेंगे।

आपने एक तरीके से पंचायतों के चुनाव कराये। उनमें जो गड़बड़ियें हुईं और जिस कारण से हुईं वे नजर में आईं। वे गड़बड़ियें हुई क्यों? आपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट पास किया था उसमें आपने इन्डाइरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम रखा। उस समय शायद यह सोचते थे कि पंचायतों के इलेक्शन में हमारे लोग आ जायेंगे और उनके जरिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के ऊपर भी कर लेंगे। जो लोग एक्ट बनाने वाले थे उनका दिमाग आगे की ओर भी लग रहा था वे जानते थे कि हम को किसी तरह प्रिफरेन्शियल रिप्रजेन्टशन के सिस्टम को आगे चल कर हटा देना है और शायद इसीलिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव नहीं हो रहे हैं। मैंने कुछ लोगों से बात की तो पता चला कि कांग्रेस ने डाइरेक्टिव दिया है कि इस आधार पर चुनाव नहीं कराने हैं। जो लोग इलेक्शन में गड़बड़ियां कर रहे हैं उन लोगों से भी बातचीत हुई। वे कहते हैं कि काम्पलीकेटेड सिस्टम को मान नहीं सकते। इसके बाद मेरी मंत्री जी से बातें हुईं। वे इस बात को तो मानते हैं कि प्रिफरेन्शियल रिप्रजेन्टेशन से माइनोरिटीज को सेफगार्ड मिलती है। लेकिन उनका दिमाग जा रहा है और बातों की ओर। उनके दिमाग में यह बात चलती है कि इस सिस्टम से रुप बदल जायगा। रुप बदलने के कारण और गड़बड़ियों को आशंका के कारण हम सिद्धान्त को तोड़ने जा रहे हैं। सिद्धान्त यह है कि हमने इन्डाइरेक्ट इलेक्शन को एक्ट में स्थान दिया है लेकिन क्योंकि इसमें कांम्पलीकेशन्स हैं, दिक्कत आती हैं इसलिये इनको दूर करने के लिये हम ऐसी चीज़ कर रहे हैं।

[श्री वेदपाल त्यागी]

इन दिक्कतों को दूर करने के लिये हम ऐसी चीज़ पदा कर रहे हैं कि जिससे माइनोरिटीज को सेफगार्ड या रिप्रजेन्टेशन नहीं मिले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ होगी और माइनोरिटीज पर कुठाराघात होगा। डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों को आपको नहीं तोड़ना चाहिये। इस में आपको क्या दिक्कत आती है? बड़ी भारी दिक्कत आपके सामने यह है कि चुनाव में इलक्टर्स को वोट देने में दिक्कत होगी। मैं कहूंगा कि इसको सिंपलिफाई किया जा सकता है। इन्डाइरेक्ट इलेक्शन के सिस्टम को रखते हुए भी आप इसको सिंपलिफाई कर सकते हैं। जहां नाम लिखे रहते हैं जहां सिंबल्स भी लिख दीजिये और जहां नामों के आगे १, २, ३ लिखते हैं वहां सिंबल्स के आधार पर १, २, ३ क्रोस सिम्बल्स के आगे कर सकते हैं। आप यह भी कर सकते हैं कि इल्लिटरेट आदमियों की सुविधा के लिये. रिटर्निंग ओफिसर की मार्फत निशान करवा सकते हैं। रिटर्निंग ओफिसर आपके तहसीलदार होते हैं और उनके बारे में आपको यह शक है इन्होंने गड़बड़ियों की हैं। हमारे सामने भी ऐसी मिसालें आई हैं कि तहसीलदारों ने रूलिंग पार्टी के केन्डिडेट्स के अलावा केन्डिडेट्स के नोमिनेशन पेपर्स खारिज कर दिये गये हैं। इस तरह की और भी मिसाले हमारे सामने हैं आप तहसीलदारों को छोड़ दीजिये। दूसरे बड़े अफसरों को रिटर्निंग ओफिर्स बनाइये। एस. डी. ओ. को रिटर्निंग ओफिसर बनाइये। उनसे उम्मेद नहीं हो सकती कि वे गड़बड़ियें करेंगे। हो सकता है कि उनमें से भी २. ४ आदमी गड़बड़ियें कर दें। लेकिन गड़बड़ियों की वजह से हम सिद्धान्त को नहीं छोड़ सकते।

गिनती के बारे में दिक्कत हो सकती है। इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि इस सिस्टम के आधार पर गिनती करना आसान काम नहीं हैं। बहुत कम आदमी हैं जो गिनती अच्छी तरह से कर सकते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद भी गलतियां होंगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि २५ डिस्ट्रिक्ट्स में २५ आदमियों को ट्रेन नहीं कर सकें। इसके लिये नियम बनाइये। चीफ इलेक्शन ओफिसर होगा। यदि कहीं गलती हो गई और उनको अप्रोच करेंगे तो वे उस गलती को दुरूस्त कर देंगे। लेकिन गिनती मुश्किल है, ट्रेन्ड आदमी नहीं है इसलिये इन्डाइरेक्ट इलेक्शन तो रखते हैं लेकिन प्रिफरेन्शियल रिप्रजेन्टेशन का सिस्टम नहीं रखना चाहते। इसमें कामयाब नहीं हो सकते इसलिये इसको छोड़ दें तो यह बड़ी भारी भूल होगी।

आपको शायद यह भी डर है कि प्रिफरेन्शियल रिप्रजेन्टेशन से मेजोरिटी वालों का भी पूरा रिप्रजेन्टेशन नहीं हो सकेगा। यदि यह डर है कि क्लीयर मेजोरिटी नहीं होगी तो यह गलत है। जो इलेक्टोरेल कालेज बना है उसमें मेजोरिटी है तो जरूर चुनाव में भी मेजोरिटी आयेगी। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इलेक्टर गलती कर नहीं सकता। डाइरेक्ट इलेक्शन में तो गलती हो सकती है लेकिन इसमें गलती नहीं हो सकती। इलेक्टोरल कालेज में अगर मेजोरिटी है तो चुनाव में भी मेजोरिटी अवश्य आयेगी और माइनोरिटी को भी ड्यू रिप्रजेन्टेशन मिलेगा। शायद आपके दिमाग में डर है कि ठीक तरह से चुनाव नहीं हो सकेगा या वर्किंग ठीक नहीं होगा तो यह डर गलत है। एक मिसाल इनडाइरेक्ट इलेक्शन की आपने दी कि कौंसिल ओफ स्टेटस के चुनावों में एक दल की मेजोरिटी थी।

[श्री वेदपाल त्यागी]

और व्हिप इश्यू किया गया था फिर भी कंवर जसवन्तसिंहजी चुनाव में आ गये। यह मिसाल प्रिफरेन्शियल रिप्रजेन्टेशन के पक्ष में आजाती है, विपक्ष में नहीं जाती। यदि यह इलेक्शन डाइरेक्ट होता तो अपोजिशन का एक आदमी हरगिज नहीं आ सकता था। यह इन्डाइरेक्ट इलेक्शन और प्रिफरेन्शियल रिप्रजेन्टेशन का ही करिश्मा है कि आपकी मेजोरिटी होते हुए भी माइनोरिटी का एक आदमी आ गया। इसलिये मैं निवेदन करुंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों में माइनोरिटीज के साथ न्याय करना चाहते हैं तो किसी भी सूरत में उस सिद्धान्त को जो इसमें इनकोरपोरेट किया गया है उस को नहीं मानना चाहिये। यदि मानेंगे तो डेमोक्रेसी पर अत्याचार करेंगे, अत्याचार ही नहीं करेंगे बल्कि डेमोक्रेसी की जड़ खोदने का काम करेंगे और लोगों का विश्वास आप पर से उठ जायगा। यदि आप वही सिस्टम करना चाहते हैं जिसके आधार पर पंचायतों के इलेक्शन करवाये तो देख लीजिये कि ४० परसेन्ट से भी ज्यादा मत रखनेवालों का एक भी रिप्रजेन्टिटिव नहीं आ सका चाहे जीतने के लिये पार्टी सिस्टम के आधार पर प्रोग्राम बना है उस तरह से बढ़ने पर भी दूसरे आदमी नहीं आ सके। यदि आप चाहते है दूसरे आदमियों को भी रिप्रेजेन्टेशन देना और इलेक्शन ठीक तरह से कराना है तो आपको प्रिफरेन्शियल रिप्रजेन्टेशन सिस्टम को मानना पड़ेगा। गलतियां हो सकती हैं और गलतियों के कारण नतीजा भी किसी जगह खराब निकल सकता है लेकिन अन्त में सिद्धान्त मान चुके हैं तो किसी न किसी जगह ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कहीं न कहीं तो आइंस को ब्रेक करना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि प्रिफरेन्शियल रिप्रजेन्टेशन नहीं देना चाहिये लेकिन इन्डाइरेक्ट इलेक्शन कराना चाहते हैं तो यह नही हो सकता कि इस सिस्टम से नहीं करें। कसे यदि इस सिस्टम से नहीं करेंगे तो लोगों पर अन्याय होगा, उनके साथ अत्याचार होगा। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कितनी भी डिफिकल्टीज हों आप उन्हें ओवर कम करने की चेष्टा करें लेकिन सिद्धांत पर कुठाराघात नहीं करें। यदि इन्डाइरेक्ट इलेक्शन के सिद्धांत को मानते हैं तो जैसा चुनाव का तरीका रखा है उसी के अनुसार चुनाव कराइये उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिये।

मैं एक बात और कहूंगा। सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें बजाय १॥ साल के २ साल का प्रोविजन रखा है। इसके लिये सिलेक्ट कमेटी ने कुछ भी आर्गुमेंट्स नहीं दिये। जैसा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उससे पता चलता है कि इसके पीछे मिसचिफ खेली जा रही है और मिसचिफ करने का कुछ लोगों का इरादा है। वे चाहते यह हैं कि प्रेजेन्ट एक्ट के हिसाब से अवधि २६ जुलाई तक की है और उस दिन खत्म होनी चाहिये। अगर इसकी अवधि डेढ़ साल से दो साल की करते हैं तो वह जनवरी, १९५७ में खत्म होनी चाहिये। उस समय जनरल इलेक्शन्स आयेंगे और दोनों इलेक्शन्स साथ करने में पूरी दिक्कत महसूस करेंगे जो आज महसूस करते हैं। जिस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट पास किया था उस समय मालूम था कि साल भर में दिक्कत दूर करके इलेक्शन कर लेंगे लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में मशीनरी थी कि जो पूरी तरह से सफाई नहीं कराना चाहते थे उनके दिमाग में और बातें चल रही थीं। वे चाहते थे कि किसी तरह से तहसील पंचायतें बनाकर हम अपने काबू में करलें तब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स पर अपना कब्जा कर लेंगे। ताकि हमें जनरल इलेक्शन्स में ज्यादा मदद मिले। मैं निवेदन करूंगा कि यह अवधि बढ़ाने का तरीका बहुत

[श्री वेदपाल त्यागी]

ही गलत है और जिस तरह अवधि बढ़ाते चले जा रहे हैं बढ़ाते रहे तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का फोरमेशन ही नहीं होगा।

कुछ लोगों का मन्तव्य है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स नहीं बनने चाहिये, इससे सैस टैक्स लगेंगे और लोग नाराज हो जायेंगे और इससे आने वाले इलेक्शन में हमें लोगों से वोट नहीं मिलेंगे। इस विषय में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि डिसेंटरलाइजेशन ऑफ पॉवर के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक लिंक है और इसे हमें खोना नहीं जल्दी कायम करना है। अभी जो हैं वे डेमोक्रेटिक नहीं हैं इसलिये इनको अब ज्यादा दिनों तक रखना कभी ठीक नहीं है। किसी कारण से अब आप इनकी दो साल तक अवधि बढ़ाना चाहते हैं, वह कारण क्या है यह शायद आप भी नहीं जानते क्योंकि जहां रिपोर्ट में २ वर्ष की अवधि बढाने का लिखा है, वहां इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। ऐसी सूरत में हेस्ट में दो साल की अवधि बढ़ा देना किसी भी तरह न्याय संगत नहीं हो सकता और इस रिपोर्ट को हम मान नहीं सकते।

उधर बैठने वाले लोग यह चाहते हैं कि ऑर्डीनेन्स १५ तारीख को खत्म होने वाला है, उससे पहले यह बिल पास हो जाय और ऑर्डीनेन्स को खत्म करना चाहते हैं पर मैं निवेदन करूंगा कि यह सिद्धांत की बात है! यह कोई टैक्टिक्स की बात नहीं, सिद्धांत की बात है और सिद्धांत की बात के लिए अपोजिशन हमेशा लड़ेगा। अपोजिशन हमेशा लड़ेगा। अगर आप उस मेजोरिटी के आधार पर जिससे ११६ रूल का सहारा ले कर अभी आपने एक मोशन पास करा लिया उसी मैजोरिटी का सहारा लेकर इसे भी पास करेंगे तो हम उसमें कोई पार्ट प्ले नहीं करना चाहेंगे। अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो ओपोजिशन वाक आउट करेगा और कभी अपोजिशन इसमें शरीक नहीं होगा जो सिद्धांतों के विपरीत पास हो।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से फिर निवेदन करूंगा कि वे फिर शांति से इस पर सोचें और इसमें यदि कोई दिक्कत हो तो उसको दूर करें। जहां दिक्कत दूर करने का सवाल है वहां ओपोजिशन हमेशा उनके साथ है, पर जहां सिद्धांतों का सवाल है वहां अपोजिशन सिद्धांतों पर कभी कम्प्रोमाइज नहीं करेगा।

इस लिये मैं फिर निवेदन करूंगा कि या तो इसे रिकन्सीडर करने के लिये सिलेक्ट कमेटी के पास फिर भेज दिया जाय या वे खुद रिकन्सीडर करके जो सिद्धांत की बातें हैं उन्हें मानने को तैयार हों तो हम भी सहयोग देने को तैयार हैं, अन्यथा हम सहयोग नहीं देंगे।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमैन महोदय।

श्री सभापति—श्रीमती यशोदा देवी।

श्रीमती यशोदा देवी—माननीय अध्यक्ष, यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में हमारे सामने प्रवर समिति की रिपोर्ट आई और उसको वापिस प्रवर समिति के सुपुर्द करने के बारे में जो हमारे सामने प्रस्ताव आया है मैं उसका स्वागत करती हूँ। माननीय अध्यक्ष, आज हमारे सदन के सामने या सरकार के सामने दिक्कत आ रही है और बार बार उसके ऊपर विचार करने का मौका हमको इस तरीके से सरकार की आलोचना करने का आता है। आज जितनी दिक्कतें सरकार के सामने महसूस हो रही हैं चुनाव बार बार आगे बढ़ाने के लिये सरकार विचार करती है और जो भी कोई कानून बना और वह कानून इस ढंग से बना कि कहीं हमारे बहुमतको या सरकार को आंच नही आ जाय ऐसा ध्यान में रखते हुए सरकार पक्षपात से भरे हुए कानून पास करती है, और हमेशा इस बात की कोशिश करती है।

क्या आवश्यकता थी इस बिल को सदन में लाने की जब आपको इतना भय और डर था, आप ग्राम पंचायतों और तहसील पंचायतों तक ही सीमित रखते, क्या आवश्यकता थी इसकी घोषणा करने की कि जिला बोर्डों के चुनाव होंगे, और फिर उन पर विचार होता है। उसकी अवधि बढ़ाई जाती है। और प्रवर समिति के जो सदस्य हैं उनके भी विचार भिन्न भिन्न हैं और कहते है कि गलत हो रहा है, इसमें चुनाव कराने की पद्धति गलत है और इसकी अवधि आगे बढ़ाने की नीति गलत है।

एक माननीय सदस्य ने बताया कि जुलाई के महीने में चुनाव होंगे, तो विरोधी दल के लोग विरोध करेंगे क्योंकि उस समय वर्षा आजायगी। जो चुनाव होंगे उस समय किसानों के काम करने का मौका होता है तो बनिये और ब्राह्मण जो कांग्रेस का सपोर्ट करने वाले हैं, सब वे ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आ जायेंगे। बड़े बड़े बनिये पहले से ही हैं, फिर आ जायगें........(घन्टी) और इस तरह सरकार चुनावों की आड में किसानों के पैरों पर कुल्हाडो मारेगी। और इस तरह माननीय अध्यक्ष, यह कानून प्रजातन्त्र की आड़ में, जनतन्त्र की आड़ में किसानों का गला घोंटने वाला कानून होगा। इतना ही नहीं बल्कि यह कानून का गला घोंटने वाला कानून है। मैं यह कहती हूं कि यह बिल आप खूब सोच समझ कर पास करें पर मेरे उधर बैंठने वाले माननीय सदस्य हैं वे जान बूझ कर कानून का गला घोटायेंगे, क्योंकि उनके रबर के हाथ होते हैं, रात को कह दिया जाता है कि यह कानून पास करना पड़ेगा और वे हा में हां मिला देते हैं।

श्री सभापति—बनिये और ब्राह्मण से आपका मतलब जाति से है या इस तरह का धंधा करने वाले लोगों से है ?

श्रीमती यशोदा देवी—नहीं, किसी से नहीं, पर माननीय अध्यक्ष, ऐसे लोगों को खड़ा करते हैं जो तहसील पंचायतों और ग्राम पंचायतों में इनके अपने. आदमी होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो चुनावों के समय गांवों में हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता है वहां मिनिस्टरों के जाने की और लोगों को सब्ज बाग दिखाने की और चुनावों में हस्तक्षेप करने की ? कलेक्टरों और तहसीलदारों के वहां चुनावों के समय जाने की क्या आवश्यकता है ? क्या आवश्यकता है कि लोगों के चुनावों में हस्तक्षेप किया जाता है ?

[श्रीमती यशोदादेवी]

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगी कि इसे एक बार फिर इसे प्रवर समिति में भेज कर गंभीरता से इस पर विचार किया जाय और फिर इसे पास किया जाय।

श्री विशम्भर नाथ जोशी—On a point of order. I have to submit that the debate on this particular bill has been sufficiently held, and whatever the intention of the hon'ble members of the oppositionin moving the motion for a reference to a select committee again be, it is now having the virtual effect on the progress of the bill. A bill which should be passed before the 15th of this month in order to save the constitutional status of a number of public bodies-the District Boards of Jaipur, Sikar, Sawai Madhopur Jhunjhunu- which are of great public utility and in order that unnecessary legal complexities may be avoided, it is necessary that this particular bill may now be passed. Nearly every member of the opposition has had his say in this matter......

श्री सभापति—What is the point of order ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी—The point of order is that in view of all this I move that the question may be now put.

श्री वेदपाल त्यागी—Under the circumstance in which we are now, there cannot be any motion for the closure of this debate because every member of this house has a right to speak on any legislation and there cannot be any motion that after so many speeches there should be a closure;

श्री अध्यक्ष—I disallow the motion.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय चेयरमेन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एमेन्डमैंट बिल पर जो Select committee की रिपोर्ट पेश हुई है उस संबंध में मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस सदन में इस विधेयक पर पहले भी सोच-विचार हुआ और उसके पश्चात् विधेयक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया। जिस वक्त इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया था उस समय हमें यह आशा थी कि इस बिल में जो जो खामियां हैं उनमें सुधार होगा और सच्चे ढंग से सुधार कर यह विधेयक स्वस्थ रूप में सदन के सामने आयगा। मगर जिस समय इस विधेयक को देखा तो मुझे मालूम हुआ है कि यह पहले जैसा था, उसी रूप में सदन के सामने लाया गया है। मैं समझता हूँ कि इस पर कोई सोच विचार नहीं किया गया है। अगर इस पर किसी तरह का विचार किया गया होता तो कुछ तो सुधार जरूर ही होता। यदि वास्तव में देखा

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

जावे तो पहले वाले विधेयक और इसमें कोई खास फर्क नजर नहीं आता। सिर्फ एक जगह संशोधन नहीं हुआ है और वह है Constitnency बनाने के बारे में। इसके अलावा और किसी भी धारा में कोई सुधार नहीं हुआ। अब यह सोचना है कि इस विधेयक को वापिस सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे या नहीं। इस बिल में सबसे बड़ी एतराज की बात यह है कि इन्डाइरेक्ट सिस्टम ओफ इलेक्शन with Proportional representation की प्रणाली से चुनाव कराने की जो व्यवस्था है खत्म किया जावे। मूल एक्ट में यह बात थी, मगर इस बिल के द्वारा उसको खत्म किया जा रहा है। जब मूल एक्ट पर विचार हो रहा था उस समय कुछ लोगों ने कहा था कि आप डाइरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली को अपनालें। जिस तरह से हमारी एसेम्बली का चुनाव होता है उसी तरह से सिंगल मेम्बर या डबल मेम्बर कोन्सटीटुएन्सीज़ बना कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में भी डाइरेक्ट इलेक्शन करा लें। मगर उस समय यह कहा गया कि हमें indirect election कराने में कोई दिक्कत नहीं आयेगी और कोई ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। पंचायतों का चुनाव हो ही रहा है, जल्दी से जल्दी District Boards का चुनाव हो जावेगा। हमने minorities को प्रोटेक्शन देने के लिये Proportional representation की व्यवस्था की है।

अब मेरी समझ में नहीं आता कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं? आप क्या यह नहीं चाहते कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अल्पमत वालों को भी प्रतिनिधित्व मिले। मैं यह कहूंगा कि अगर आपकी नीयत में किसी प्रकार का फर्क नहीं है तो आपको डाइरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली को अपनाना चाहिये, इसमें हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिये। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे और अपने मनमाने व्यक्तियों को कायम रखने के लिये ऐसा करते रहेंगे तो मैं यह कहूंगा कि पब्लिक इसका घोर विरोध करेगी और आपकी जो मन्शा है वह पूरी नहीं होगी।

दूसरी बात इस विधेयक में यह है कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिस तरह से काम करते हैं, करते रहें। मैं यह कह सकता हूं कि इस तरह के डिस्ट्रिक्ट Boards जो यहां पर काम कर रहे हैं उनसे कोई लाभ नहीं हो सकता। इस बात को हम लोग जयपुर के रहने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से यह काम हो रहा है। वास्तव में देखा जावे तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में किसी तरह का काम नहीं होता। कुछ अपने आदमियों की परवरिश करने के लिए ही आपने इनको रख छोड़ा है, इनके द्वारा पब्लिक का हित तो होता ही नहीं; हां पब्लिक के पैसों का दुरुपयोग जरूर होता है। अच्छा तो यह होता कि मूल एक्ट में अभी भी यह व्यवस्था की जाती कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को अविलम्ब भंग किया जावे और एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो जाय। हम यह चाहते हैं कि मौजूदा कानून के अनुसार चुने हुए District Boards ही काम करते रहें। मैं यह कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चुनाव करने की मियाद को नहीं बढ़ाना चाहिये। पहले २५ जुलाई तक की मियाद मांगी थी और अब और संशोधन लाया गया है। मैं इसका भी विरोध

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

इसलिये करता हूं कि जो Nominated District Boards हैं उनको डेमोक्रेसी में इस तरह से काम करने का अधिकार नही देना चाहिये। मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव इस प्रान्त में होने चाहिये। अगर आप यह महसूस करते हैं कि डाइरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली कामयाब नहीं होगी, तो आप Indiarect election with proportional representation की प्रणाली से चुनाव करालें। अगर आप निष्पक्ष चुनाव करावेंगे तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ठीक ढंग से बनेंगे और उससे लोगों को फायदा भी होगा। अगर आप बहुमत के आधार पर मनमानी करेंगे मैं तो यह कहूँगा कि आपको जनता का सहयोग नहीं मिलेगा और जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी।

इसलिये मैं सदन से अपील करता हूं कि इसको फिर से सिलेक्ट कमेटी में रेफर किया जावे। इस पर फिर से सोच-विचार किया जावे और बाद में इसको दुबारा सदन के सामने लाया जावे और सदन इस पर विचार करके इसको पास करे। मैं यह कहूँगा कि जिस तरह से डेमोक्रेसी में आपने मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को कायम रखने का तरीका अपनाया है वह अब नहीं चल सकता। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव श्री भैंरूसिंह जी ने रखा है उसको सदन सर्व सम्मति से स्वीकार करे।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—चेयरमेन महोदय, श्री भैंरूसिंह जी और श्री मानसिंह जी ने जो यह बिल सिलेक्ट कमेटी से रिलीज़ होकर आया है, उसको वापिस सिलेक्ट कमेटी के विचार के लिये भेजने का प्रस्ताव किया है उसके समर्थन में मैं अपने विचार प्रकट करते हुये यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रस्ताव बिल्कुल वाजिब है। इसका कारण यह है कि पहले जब बिल इस सदन के सामने आया था उस वक्त जो कुछ बहस हुई थी उस पर ज्यादा समय नहीं मिल सका और भिन्न भिन्न सदस्यों ने विचार व्यक्त किये थे। मेम्बर इन्चार्ज ऑफ दि बिल को मालूम हुआ कि कुल हाउस की क्या राय है और क्या विचार धारा है उस कारण से बिल सिलेक्ट कमेटी को दिया और हम आशा करते थे कि जो कुछ विचार यहां पर प्रकट किये गये हैं उसके अनुकूल तरमीम होकर यह बिल सदन के सामने पेश किया जावेगा। लेकिन जो कुछ ख्याल था उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। ख्याल तो यह था कि सरकार इस बिल को कतई वापिस ले लेगी। अगर मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाऊं तो यह कहूंगा कि शायद नवम्बर ५५ में सरकार ने यह घोषणा की थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव सब जगह किया जावेगा और बहुत सारी जगह तो नोमिनेशन फार्म भी भरे गये थे और फिर न मालूम किस कारण और किन लोगों की अरजी के ऊपर किन लोगों के विचार के ऊपर, वे चुनाव वापिस विड्रा कर लिये गये और यह हुक्म जारी कर दिया गया कि चुनाव स्थगित कर दिये जावे। जहां तक मेरी सूचना है मैं कह सकता हूं जो शायद गलत नहीं है प्लानिंग कमीशन की तरफ से ऐसा सुझाव हुआ था कि जब तहसील पचायत और ग्राम पंचायतें बन गई हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी समझ में गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड न बने, यह उसी आधार पर फैसल

[श्री हिम्मतसिंह अटरु]

किया और चुनाव सभी जगह स्थगित करवा दिये। उस वक्त यह मामला प्लानिंग कमीशन के विचाराधीन था। प्लानिंग कमीशन ने बाद में क्या फैसला किया उसका संकेत गवर्नमेंट को क्या हुआ यह तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। ऐसा मेरा ख्याल है कि प्लानिंग कमीशन ने इस बात की स्वीकृति दे दी है। पंचायतें और तहसील पंचायतें होने से पब्लिक पर करों का भार पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कायम करने से और भी करों का भार बढ़ेगा फिर भी डिस्ट्रिक्ट के चुनाव राजनैतिक मुद्दों को हल करने के लिये बनाया जावे तो कोई नावाजिब नहीं होगा। मेरा ऐसा ख्याल है कि अपना मतलब साधन करने के लिये इस तरह के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाये जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आज जब कि हम डिसेन्ट्रेलाइजेशन ऑफ पावर कर रहे हैं उसमें उतना ही ज्यादा पब्लिक का हित है और खास तौर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा तो होना ही चाहिये। वरना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फंकशन पूरी तरह से नहीं हो सकेगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आप बनाते हैं तो इस के लिये कोई एतराज नहीं। लेकिन जिस बात को लेकर आपने पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों को स्थगित किया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कायम करने से करों का अनुचित भार पड़ेगा समझ में नहीं आता कि एक दफा तो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पक्ष में होती है और उसी प्रकार से बिल पास करते हैं फिर उसके मुताबिक चुनाव की घोषणा कर देते हैं फिर उसको स्थगित कर देते हैं फिर समय निकल जाता है तो आर्डिनेन्स पास करते हैं। और फिर और समय बढ़ाते हैं। जो आर्डिनेन्स पास हो गया उसी को रेगुलेराइज करने के लिये वह बिल हमारे सामने आया है। इस प्रकार के कार्य से गवर्नमेंट की क्या नीति है, यह साफ तौर से नजर नहीं आती है। दर असल गवर्नमेन्ट क्या चाहती है ?

उदयपुर डिवीजन के अन्दर इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कतई मांग है ही नहीं। लोग बाग वहां के नहीं चाहते कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो। गवर्नमेंट आखिरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चाहती है या नहीं, गवर्नमेंट का आखिरकार क्या विचार है, यह साफ होना चाहिये ! जब यह बिल वापिस सिलेक्ट कमेटी में विचार के लिये भेजा गया तो बहुत जल्दी और बहुत थोड़े समय में इस छोटे बिल पर विचार किया। इसमें गवर्नमेंट का मतलब यह था कि जो ओर्डिनेन्स का समय लिया है वह खत्म होने पर उसको रेगुलेराइज करके इस एक्ट को पास किया जाय उसके साथ साथ इसमें दो चार बातें और जोड़ दीं। पहले जो घोषणा की थी हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव करावेंगे। उस समय उनके दिमाग में यह बातें नहीं आई कि सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट से चुनाव करावेंगे। या दूसरे तरीके से चुनाव किये जायेंगे। लेकिन अब एक नई बातें पैदा हो रही है। ज्यों ज्यों डिले होती जाती है, गवर्नमेंट के दिमाग में नई नई बातें पैदा हो जाती है। इससे क्या होगा कि थोड़े दिन बाद और नया अमेन्डमेन्ट आयगा फिर अवधि बढ़ाने के लिये मांग की जायगी। आखिर इसका कोई पार भी है। आखिरकार यह समय किस जगह आकर ठहरेगा ? गवर्नमेंट कोई निर्णय पर नहीं पहुँच पाई है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिस बात के लिये इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया था वह बात थी प्रोपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन पर निर्णय करे। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि जो ओरीनजल एक्ट में था वही क्यों न रखा जावे। गवर्नमेंट ने जो तरमीम पेश की है उसको एडोप्ट करने से क्या फायदा है। इस बाबत कोई भी राय कमेटी की हमारे

[श्री हिम्मतसिंह अटरु]

सामने नहीं है। सिलेक्ट कमेटी ने इस पर क्या विचार किया ? क्या उसने ओरीजनल एक्ट में जो था उसके माफिक रखने का सजेशन दिया या जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है उसे वाजिब समझा ? असल बात यह हैं कि कमेटी के सामने ये बातें रखी गई थी लेकिन कमेटी ने उस बिल को इसी तरह वापिस भेज दिया। एक तरमीम अलबत्ता जरूर की है जो कमेटी ने पोइन्ट-आउट किया था बोर्ड को यह पावर नहीं होना चाहिये उस बात को स्वीकार किया। यह जो प्रिन्सीपल सवाल है कि वोट किस तरह से होने चाहिये प्रजा को किस प्रकार के अधिकार हैं वोट देने के। यह जो पब्लिक राइट है वोट देने का उसीके आधार से चुनाव होने चाहिये इस बात पर खिलवाड़ करना बिल्कुल अनुचित बात है। इसलिये जो प्रस्ताव रखा गया है कि इस बिल को फिर से सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय, यह मैं समझता हूं बहुत उचित है। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ दी बिल को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ यही निवेदन करुंगा कि इसे दुबारा विचार करके इसको ठीक ढंग से पेश करना चाहिये ताकि एक अच्छा और सही काम हो।

श्री वेदपाल त्यागी—Mr. Chairman, it is now 12 '0'clock and we should now disperse because I had made a request to the hon'ble Speaker that we should meet from 8 to 12 because of the weather and he had kindly acceded to the request.

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव) —we finish it just now. The Minister-in-charge is to reply now.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय चेयरमेन, इस बिल को फिर प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसमें खास वजह यह बत लाई गई है कि प्रवर समिति, इस बिल पर ठीक तरह से विचार नहीं कर सकी। इसमें दो मुद्दे खास तौर से जाहिर किये गये हैं पहला यह कि समय डेढ़ साल से दो साल का कर दिया गया, यह अनुचित था।

दूसरा यह कि प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का जो सिस्टम है उसके स्थान पर जो गवर्नमेंट को जो अधिकार दिया गया है वह ठीक नहीं है, इन दो बातों पर विचार होना चाहिये।

मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि जहां तक प्रपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन का सवाल है, मेरी ऐसी मान्यता है कि यह सिस्टम सिर्फ एजूकेटेड लोगों के लिए है। जो वोटर पढ़े लिखे हैं उनके लिये हैं और मुझे ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, हालां कि काफी कोशिश की मिसाल ढूंढने की, कि किसी भी मुल्क में जहां पर वोटर अनएजूकेटेड हों, वहां भी यह सिस्टम काम में लाया गया हो।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह कही गई कि माइनोरिटीज को प्रतिनिधित्व नहीं मिले इसके लिए जान बूझकर ऐसा किया गया है। चेयरमेन महोदय, आपकी मार्फत मैं सदन को यह नम्रता के साथ विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार के दिमाग में यह बात कतई नहीं थी और न है। तो ऐसी स्थिति में अगर चुनाव होगा तो बहुत गड़बड़ियां होने की आशंका रहेगी और काफी शिकायतों का मौका मिलेगा जैसे आम तौर पर सदन में कई बार शिकायतें की जाती रही हैं।

हमारे गांव के वोटर ६० प्रतिशत अनपढ़ हैं। उनसे यह उम्मीद करना कि वे नामों को पढ़कर क्रम से उनके नाम के आगे निशान लगा सकें, यह नामुमकिन बात है कई सदस्यों ने भी इस बात को माना है। हमारे स्टेट कौंसिल के अभी के चुनाव के वक्त इलेक्शन कमिश्नर आये थे उनकी खुद की यह राय थी कि जहां पर वोटर शिक्षित नहीं हैं वहां पर यह सिस्टम काम में नहीं लाया जा सकता। इसके अतिरिक्त मैं आज भी मानने को तैयार हूँ अगर इसके स्थान पर ऐसा कोई चुनाव का सिस्टम आप बता दें जिसमें इसकी दिक्कतें न हों और अल्पमत को प्रतिनिधित्व मिल जावे। मेरे इस प्रकार के आश्वासन के बाद मुझे विश्वास है कि वे अपना संशोधन वापिस ले लेंगे।

दूसरी कठिनाई है गिनने की। अभी स्टेट कौंसिल के चुनाव के वक्त भी यह दिक्कत हमारे सामने आई। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें काफी दिक्कत है और मेरा ही नहीं सभी का यह मानना है। फिर राजस्थान भर में इसको अच्छी तरह से जानने वाला एक आदमी है। मैं मिसाल दूं काश्मीर की। जब वहां काउन्टिंग का वक्त आया तो उन्होंने सेन्टरको लिखा कि हमारे वश की यह बात नहीं है। हमारे यहां ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है। आप किसी एक्सपर्ट को भेजें तो हमारे यहां गिनती हो और चुनाव पूरा हो नहीं तो अधूरा रह जावेगा। यह हमारी बात नहीं है सभी जगह यह बात है। तो दिल्ली वालों के पास भी इसके ट्रेंड आदमी नहीं निकले। उन्होंने भी हमारे राजस्थान के उन व्यक्ति को मांगा और उन्हें वहां भेजा तब गिनती हुई और चुनाव हुआ। तो ऐसी स्थिति में तहसील तहसील में सारे प्रांत में एस. डी. ओ. वगैरह लोग यह गिनती कर लेंगे और इस पद्धति से चुनाव करा देंगे यह नामुमकिन बात है।

आप कहेंगे कि ट्रेनिंग दी जावे। पर मैंने मिसाल पेश की काश्मीर की। वहां ट्रेनिंग दिये जाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की। तो यह सिस्टम स्वयं ही इतना काम्प्लीकेटेड है कि बड़ा मुश्किल है अधिक लोगों को ट्रेन्ड कर सकना। मैंने खुद ने इसको समझने की बहुत कोशिश की पर समझ में नहीं आया, इतना काम्प्लकेटेड यह है।

एक बात और है इसमें, अशिक्षित लोग निशान ठीक से नहीं लगा पावेंगे रिटर्निंग अफसर को उनकी ओर से यह काम करना होगा और रिटर्निंग अफसर आम तौर से तहसीलदार होंगे। तो फिर यह शिकायत बनी रहेगी कि ये निशान ठीक नहीं लगावे गये और तहसीलदार ने या रिटर्निंग अफसर ने गलत राय दे दी। सत्ताधारी दल का पक्षपात कर दिया।

श्री मानसिंह महार—फिर डाइरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं कर दिया जावे ?

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—Order please !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसलिए यह अमेन्डमेंट लाया गया था। अब हमने इसके लिए सिंगल मेम्बर कान्स्टीच्यूएन्सी की बात सोची है। यह मैं कर सकता हूँ। इसमें मैं डेफीनेट तो नहीं कह सकता पर फिर भी काफी हद तक माइनोरिटी को प्रतिनिधित्व मिल सकता है ऐसी हम आशा कर सकते हैं, क्योंकि अगर सारी तहसील में २०० मेजोरिटी पार्टी के हैं तो १०० माइनोरिटी के भी हैं तो जब वे अलग अलग सिंगल कान्स्टीच्यूएन्सी से आवेंगे तो अपने अपने क्षेत्र उनके जाने पहचाने होंगे वहां से उनको आने में सहूलियत होगी, बजाय इसके कि सबका सम्मिलित चुनाव हो। सम्मिलित होने में तो मेजोरिटी की ही सम्भावना रहती है। फिर वैसे तो हमारे यहां इलेक्शन पार्टी बेसिस पर होते भी नहीं। अल्पमत और बहुमत पार्टी को रिकगनाइज ही नहीं किया गया है। पर फिर भी चूंकि यह बात विरोधी पक्ष के लोगों के दिमाग में है इसलिए मान लेता हूं। तो इस तरह से अलग अलग दो तीन पंचायतों की एक एक कान्स्टीट्यूएन्सी बन जावेगी तो उम्मीद है कि वे भी जीत सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में अल्पमत को बिल्कुल स्थान नहीं मिलेगा ऐसा मैं नहीं मान सकता। इस सम्बन्ध में सदन के सदस्य जो भी प्रैस्क्राइब उचित रीति से करना चाहें इस सम्बन्ध में नियम-उपनियम बनाते समय वे हम बैठ जावें और तरीका कोई ऐसा निकाल लें कि जिससे कोई ठीक रास्ता निकल आवे और इलेक्शन फेअर हो जावें तो इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं हो सकती यह मैं आपको फिर इसमें से कह सकता हूँ।

चुनावों की अवधि के बारे में भी कहा गया। इसके लिये सरकार की ओर से मैंने निवेदन किया था कि २६ जुलाई तक चुनाव कराने को सरकार तैयार है। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो वार्ड बनाने के बारे में। इस बारे में शिकायतें भी आईं। अब हमने व्यवस्था की है कि एक कान्स्टीट्यूएन्सी बनाकर तीन हफ्ता का समय दे रहे हैं आपत्ति सुनने के लिए। इसके बाद फैसला करेंगे। पहले वार्ड बने थे उनमें किसी को आपत्ति करने का मौका नहीं दिया था इसलिए इस शिकायत को को ठीक करने के लिये यह किया जा रहा है। इसमें एक महीने का समय लगेगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट की एक रिट में निश्चय हुआ कि इस बारे में पहले वोटरों के ओब्जेक्शन इन्वाइट नहीं किये गये वोटर लिस्ट बनाते समय। तो हाई कोर्ट की मंशा को ध्यान में रखते हुए इस बार वोटर लिस्ट में लोगों के ओब्जेक्शन इनवाइट किये जावें यह बात रूल्स अब जो बनाये हैं उनमें प्रोवाइड कर दिया जावे यह हमने तय किया है अब वोटर लिस्ट में ओब्जेक्शन इन्वाइट किये जावेंगे। अगर उसमें किसी को ओब्जेक्शन हो तो वोटर्स लिस्ट बन जायगी और वोटर्स लिस्ट बन जाने के बाद ओब्जेक्शन्स इनवाइट किये जायेंगे कि किसी को आपत्ति हो तो उस आपत्ति को सुनने के बाद वोटर्स लिस्ट ठीक की जायगी। इन दोनों बातों के कारण दो महीने का टाइम लगने का सवाल है। इसके बाद नामीनेशन फार्म्स इन्वाइट करेंगे और इन्वाइट करने की लास्ट डेट ५ जुलाई अभी प्रोग्राम में निश्चित की है। ५ जुलाई को वेलिड नामीनेशन पब्लिश कर देंगे। ५

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

जुलाई से २६ जुलाई का जो टाइम होता है उस बीच में इलेक्शन की डेट फिक्स कर देंगे लेकिन हमारा प्रोग्राम तो ठीक है और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि नोमीनेटेड बोर्ड्स २६ जुलाई के बाद रखने का गवर्नमेंट की कतई मन्शा नहीं है। मैं इसको अनडेमोक्रेटिक समझता हूं। इसी ख्याल से पहले मैंने कहा था कि नम्बर तक इलेक्शन का प्रोग्राम फिक्स कर दिया जाय, लेकिन पंचायतों के इलेक्शन पूरे नहीं हो पाये थे और आपको मालूम है कि पहले भी हाईकोर्ट में रिट हुई थी और उसमें कितनी ही पंचायतों को सस्पेन्ड कर दिया गया था तो चुनाव बिल्कुल नहीं हुए थे। इस वजह से नवम्बर से जनवरी तक चुनाव सरकाना पड़ा गवर्नमेंट के दिमाग में यह बात नहीं है कि नोमीनेटेड बोर्ड होने चाहिए। मैं खुद ही असन्तुष्ट हूं। आपको मालूम है कि मैंने जयपुर बोर्ड का नोटिस दे दिया था कि उसको तुरन्त भंग कर दिया जाय। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि २५ जनवरी के बाद कोई नोमीनेटेड बोर्ड नहीं होगा। चुनाव जल्दी से जल्दी सारे जिलों में कराये जायेंगे। जहां तहसील पंचायतों में चुनाव नहीं हो क्योंकि हमने एक स्थान पर ६ बार चुनाव कराने की कोशिश की लेकिन छहों बार पंचों ने सत्याग्रह किया और इलेक्शन नहीं करने दिया और इलेक्शन सरकाना पड़ा ऐसी परिस्थिति पैदा हो तो बात दूसरी है। इसका सदन में कई बार जिक्र किया जा चुका है तो सदन में एक डेट होजाने के बाद सिलेक्ट कमेटी में विचार किया था तो इस बात को कि ६ महीने की बात थी वह समय रह जाय तो फिर दिक्कत नहीं होगी। मौसम का भी ख्याल था कि बरसात का समय था। लेकिन गवर्नमेंट के दिमाग में यह कभी नहीं है कि जुलाई के बाद इलेक्शन्स कराये जायेंगे। परिस्थिति ऐसी हो कि जो इनएवीटेबल हो उसके लिए यह समय रखा गया हो। गवर्नमेंट आगे बढ़ाना चाहती है, इलेक्शन नहीं कराना चाहती है। मैं अदब के साथ निवेदन करूंगा कि मेरे सदन के सदस्यों को विश्वास दिलाने के बाद यह आशा नहीं रखनी चाहिए।

माननीय चेयरमैन, सिलेक्ट कमेटी के एक सदस्य थे। वह स्वयं देर से आये और उनके आने के पहले सारे डेलिबेरेशन्स खत्म हो गये उसके लिए मेरी मजबूरी थी। वे स्वयं उस सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग में होते तो सदन के सामने प्रस्ताव रखा है वह नहीं रखते। वे जरा जल्दी आते तो उचित होता और वे हमारे इस मसले को जो उस समय सिलेक्ट कमेटी में डील हो रही थी स्वयं भी उसके ऊपर विचार कर पाते और हमारे विचार को समझे हुए होते तो शायद उन्हें यह बात आज सदन के समक्ष कहने की नौबत नहीं आती। मैं दोनों बातों पर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समय बहुत कम है। अतः यदि इसको फिर से सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स २६ जनवरी से काम कर रहे हैं उनका फन्कशन खत्म हो जायगा जो उन्होंने अब तक कार्यवाही की है वह कार्यवाही इल्लीगल हो जायगी। मैं समझता हूँ कि सदन में कोई नहीं चाहेगा कि जो कार्यवाही वे आलरेडी कर चुके हैं, जो रुपया दे चुके हैं, जो काम कर रहे हैं वह सारा काम अब तक का किया हुआ इल्लीगल हो जाय। सारा क्योंस क्रियेट हो जाय, मैं समझता हूं, कि सदन के सदस्य इस बात को नहीं चाहेंगे। इस बात को विचार करके मैं उम्मीद करूंगा कि वे माननीय सदस्य जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, वे अपने प्रस्ताव को वापिस लेने का कष्ट करेंगे।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन,...

श्री सभापति—वापिस ले रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार—रिप्लाई दूंगा । फिर कन्विन्स कराने की कोशिश करूंगा ।

श्री सभापति—But please be brief.

श्री मानसिंह महार—यह तो मामला इतना अहम है, चेयरमैन महोदय, कि बिल्कुल ब्रीफ होने के मसले पर बड़ा मजबूर हो जाऊंगा ।

माननीय चेयरमैन, सदन के समक्ष अभी हमारे मंत्रीजी ने इसे जो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एमेंडमेंट बिल, १६५६ को दुबारा सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसके बारे में जवाब पेश किया । मंत्रीजी की भावनाओं की हम क़द्र करते हैं । हम जानते है कि अन्तकरण से मंत्रीजी जो कुछ कह रहे थे उन बातों को चाहा भी था, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि इसके आगे उनकी मजबूरियां भी हैं और यही वजह है कि हमें अपने प्रस्ताव को वापिस लेने में मजबूरी महसूस होती है । उन्होंने जिस मृदुता से यह फरमाया कि मेरे पास प्रोग्राम मौजूद है कि २६ जुलाई से पहले पहले सारे चुनाव करा दूंगा, तब तो हम बड़े खुश हुए । हमने सोचा कि सारे राजस्थान में २६ जुलाई के पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स लहलहा उठेंगे । लेकिन जब उन्होंने साथ में यह जोड़ दिया मगर कोई मजबूरी आ सकती है तो जिस आशंका की मैंने बात कही थी और जो उदयपुर की बात कही थी उसको छिपाते हुए उन्होंने कह दिया यानि कि वह एक मजबूरी तो मेरे पास है । उदयपुर में चुनाव नहीं होंगे यह निश्चित बात है । अब भी मैं सदन से, चेयरमैन महोदय, कहना चाहता हूँ कि उदयपुर के अन्दर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव नहीं होंगे, इस सदन के अन्दर मंत्रीजी कितना ही आश्वासन दें । आज यह नोट कर लिया जाय कि यह सभी षड़यन्त्र इसलिए किया जा रहा है कि उदयपुर डिविजन में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव नहीं हों । अगर यह आश्वासन देदें माननीय मंत्रीजी कि नोमीनेटेड बोर्ड जो हैं वहां पर हमको चुनाव के सम्बंध में समय थोड़ा अधिक भी लग जाय । लेकिन राजस्थान का जो हिस्सा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस नहीं देता है और जो एक हिस्से में अन्याय हो रहा है कि एक हिस्से में सेस लगे और दूसरे में नहीं लगे इस अन्याय को आप दूर करेंगे, और जिन इलाकों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस नहीं लगता है, पहले एक्ट को लागू करके वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कायम करेंगे । उन्होंने यह उल्टा फरमाया कि 'मैं नोमीनेटेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को जल्दी से जल्दी भंग करना चाहता हूँ ।' तो हम नटते कब हैं ? कल ही एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया जाय तो नोमीनेटेड बोर्ड्स में जो धांधलिया हो रही हैं वे खत्म हो जायगीं । वह आपमें हिम्मत नहीं है । दूसरी बात........

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कानून में नहीं है नहीं तो वह भी करने को तैयार हूँ ।

श्री मानसिंह महार—दूसरी एक मजे की बात मंत्रीजी ने बताई कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को नोटिस दे दिया है। अब आपने दिया है जब कि पैसा लाखों रुपये लोग खा गये। खाकर उन्होंने उस पैसे से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। जयपुर के अन्दर लाख रुपये की बिल्डिंग बना ली। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से इस्तीफा देकर चले गये। जो बेचारे निरपराध मेम्बर्स और चेयरमेन आये तो आप उनसे पूछते है कि एक्स्प्लेन किया जाय। क्यों नहीं जवाब देते हो? जवाब तो आपको लेना चाहिए उस चेयरमैन के वर्तमान बोर्ड से क्या जवाब लेना चाहते हैं? उसको भंग भी कर देते हैं तो किसी का भला या बुरा होने वाला है। वह एक्शन लेते तो आप उस वक्त लेते लेकिन उस वक्त आपमें हिम्मत नहीं थी। आप कहते हैं कि हम जवाब ले रहे हैं। नोमीनेटेड बोर्डस में धांधलिया हो रही हैं। इसको आप मंजूर करते हैं। मंजूर करने से क्या होता है आप करते कुछ नहीं हैं। आप कोरा यहां सदन में कह देते हैं कि अन्यायपूर्ण काम हो रहा है, गलत हो रहा है। इस बात से कुछ नहीं होता है। चेयरमेन महोदय, सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मिसाल है जो कि मेरे माननीय मित्र ने रखी थी कि एक मेम्बर १५०० रुपये हजम कर गये हैं। रोज कहा जाता है कि कार्यवाही हो रही है। ऐसी बातों पर कार्यवाही ही कार्यवाही का जवाब हमको मिलता है तो क्या आशा कर सकते हैं सरकार से न्याय की। मैं जानता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पक्ष के किसी सदस्य ने १५०० रुपये खा लिये होते तो वह आज जेल में होता। उसके ऊपर पचासों दबाव डाले जाते। लेकिन वह उस पक्ष में बैठते हैं। सदन में आकर बैठते हैं और अभी भी यहां बैठे हुए होंगे, यहां मौजूद होंगे। फिर भी सदन में बैंठने के बाद भी सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि हम एक्शन ले रहे हैं, नोमीनेटेड बोर्ड्स ने यह किया वह किया। ऐसी सूरत के अन्दर हम सरकार के आश्वासन पर विश्वास करने में मजबूर हैं।

एक माननीय सदस्य—उनका नाम लिया जाय।

श्री मानसिंह महार—नाम तीन बार इस सदन में कल ही रखे थे। इसलिए नाम बताने की जरूरत नहीं है।

दूसरी बात जो माननीय मंत्री जी ने प्रप्रोरशनल रिप्रेजेन्टेशन को गिनने की बात बतायी मैं उनकी सूझ की दाद दूं, चेयरमैन महोदय, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बिल पहले पास हुआ उस वक्त कम से कम सरकार जनता जनार्दन का भला चाहती थी, यह हमारे माननीय मंत्री जी की सूझ है। उन चुनावों की डिफिकल्टी को देख कर उसमें रद्दोबदल किया मैंने सदन में मांग की कि अगर आपका दिल और दिमाग सही रास्ते पर जा रहा है तो आपको प्रोपोरशन रिप्रेजेन्टेशन वाला क्लॉज जैसा कि ओरिजनल बिल में है, उसमें है वैसा ही रखिये अगर उसको वैसा ही रखते तो हमको कोई शिकायत नहीं होती लेकिन उन चीजों को उठा दिया। उठा दिया तो भी नम्रतापूर्वक निवेदन किया कि डायरेक्ट इलेक्शन् होता है तो उसी प्रकार हो। हरएक सदस्यको वोट देने का अधिकार है। हरएक लेक्शन के वोटरको अधिकार दे दीजिये। दिक्कत मिट जाती है और हमारा जो विरोध है वह भी

[श्री मानसिंह मदार]

मिट जावेगा। एक तरफ आप चाहते हैं कि इलेक्शन इनडाइरेक्टली और दूसरी तरफ आप फरमाते क्या हैं कि वार्ड बांट कर देंगे और यह भी ताइद कर दूं कि यह सूझ कहां से आयी कि ३०० पंचों में से २०० एक गुट की ओर से आवेंगे और दूसरे गुट के वार्ड बन जाने से रिटार्ड हो जावेंगे, यह भी मेरे दिमाग में नहीं आयी। मन्त्रीजी तो एम. ए., एल. एल. बी. हैं ऊंची सूझ होगी और वार्ड बनने के बाद वोट की तरकीब निकाल देंगे कि १०० को केन्द्रीभूत करें। हो सकता है पढ़े लिखे व्यक्ति जो कुछ निकाल लें लेकिन मेरी समझ में तो नहीं आयी। मैं समझता हूँ कि मेरी अक्ल की कमी है या उनकी है, मैं तो मेरी ही मानकर चलता हूँ। मुझे और भी दुख हुआ। माननीय श्रीमान् सिंहजी ने दलील दी कि प्रप्रोशनल रिप्रेजेन्टेशन इस प्रकारसे गलत है, उस प्रकार से गलत है। मैंने उनका भाषण सुना और मैंने पहले और भी सुने थे। मैं आशा करता था कि वे दलील देंगे तो तरीके सहित देंगे। लेकिन मैंने उनको सुना तो ऐसा महसूस हुआ कि वे भी एक चीज लेकर चलते हैं। उनके इलाके में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं है, इस पचड़े को जितना लम्बा किया जाय उतना किया जाय और उसके अलावा और कोई तरीका मेरी समझ में नहीं आया। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये दो बातें कही गई हैं उनके अलावा समय के लिए यह फरमाया मंत्रीजी ने कि जुलाई में करा देंगे! जुलाई में कराने वाले हैं तो क्या शंका है कि छः महीने की मंजूरी बढ़ा लें।

(घन्टी)

टू दी पाइन्ट हूं। आपने जुलाई की बात कही। अगर कोई डिफिकल्टी आजाये तो जुलाई में ओर्डिनेन्स पास करके और उस मियाद को बढ़ा लीजिये लेकिन आज क्या डिफिकल्टी आगई। गवर्नमेन्ट मूव नहीं करती है मोशन लेकिन सिलेक्ट कमेटी यह कर देती है कि १॥ साल के बजाय दो साल कर दिये जांय। इससे चेयरमैन महोदय, शंकायें होती हैं और माननीय मंत्रीजी उन शंकाओं को दूर करते। यह तो ओपन सिक्रेट है। कांग्रेस पार्टी के मेम्बर और कांग्रेस पार्टी के मेवाड़ से आये समस्त सदस्यों ने इसका विरोध किया। यह ओपन सिक्रेट है, वे चाहते थे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बिल को स्क्रेप कर दिया जाय। वे यह बातें हैं जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मिटिंग में कहीं थीं जहां कि मैं भी मेम्बर था। चाहे मैं डेमोक्रेटिक प्रिन्सीपल्स का उलंघन कर रहा हूं यह कह कर लेकिन अगर राजस्थान के अन्दर कोई अनडेमोक्रेटिक बातें होंगी, कोई षडयंत्र होगा तो मैं उसका भन्डाफोड करूंगा और यह मैं अपना परम कर्तव्य मानता हूं। यह जो षडयन्त्र किया जा रहा है वह उदयपुर डिविजन को इससे महरूम किये जाने के लिए है। मंत्रीजी की मजबूरियां हैं, मंत्रीजी तो चाहते हैं मैं डिनाई नहीं करता हूं लेकिन हमारे अनडेमोक्रेटिक मेवाड़ी नहीं चाहते थे। उनकी मजबूरियां हैं मैं रीपिट करूंगा यह। हम उनके हाथ मजबूत करना चाहते हैं। हम उनके हाथ मजबूत करना चाहते हैं वे यह कहते थे कि २६ जुलाई के पूर्व

[श्री मानसिंह महार]

उदयपुर में चुनाव नहीं करूंगा तो गिल्टी कोन्सियश होगा। इस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट थी, प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के बारे में डिफिकल्टीज़ थी तो बैठ कर तरीका निकाल सकते थे और ये मुश्किलात सामने नहीं आतीं। उन्होंने फरमाया कि कौंसिल ऑफ स्टेट्स के चुनावों में मुश्किलात हुई हैं। आपने उनको भी तो हल किया। कौंसिल ऑफ स्टेट्स की मुश्किलता को हल कर सकते हैं तो क्या इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का हल नहीं निकाल सकते। कोटा से माननीय सदस्य तशरीफ लाये हैं उन्होंने तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह बात समझाई कि इसका समाधान हो सकता है। अगर आप यह कह देते तो हम मान लेते। अगर आप यह फरमा देते कि माइनोरिटीज़ के लिए हमारे पास जगह नहीं है तो हम मान लेते लेकिन एक तरफ तो आप यह राग अलापते हैं कि माइनोरिटीज को करना चाहिए और दूसरी तरफ यह फरमाते हैं कि चुनाव कराने में दिक्कतें हैं, तो ये दोनों बातें कान्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं। मंत्री महोदय, चाहते।...

(घंटी)

बहुत अहम मसला है इस पर समय मिलना चाहिए। अगर आज न हो तो कल समय दे दीजिये, १५.२० मिनिट और बोलूंगा।

श्री सभापति—खत्म तो आज ही करना है।

श्री मानसिंह महार—जो हमारे तजुर्बे है चेयरमेन महोदय, जो जयपुर से आये सदस्य हैं उनको और तो कन्सीडरेट होना पड़ेगा क्योंकि हमारी बहुत स्टैंडी है। आज जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अभाव हैं वे बहुत सही हैं और इस बात को सरकार भी मानती है और जितनी सरकार को हम चेतावनी दे सकें देना चाहिए, यह हमारा परम कर्तव्य हो जाता है।

तो माननीय चेयरमेन महोदय, इसके बारे में मुझे नई प्रेरणा मिली है। हमारे जयपुर के मंत्रीजी आ बैठे हैं उनको देख कर। इसके बाबत एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जयपुर के मंत्रीजी के आने का तो मुझे स्वागत करना चाहिए, वे भी मुझे जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में सहायता देंगे। यह हमारा कटु अनुभव रहा है चेयरमेन महोदय, कि हमारे यहां पर जिस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट पास हुआ था उस समय हमने यह कोशिश की थी कि जो लोग शहरों में रहते हैं, जो लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए सेस पे नहीं करते हैं, चूंकि वे म्युनिसिपिल एरीया में रहते हैं इसलिए सेस पे नहीं करते हैं, तो उस समय हमने यह निवेदन किया था कि शहर में रहने वाले आदमियों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में चुनाव नहीं लड़ने चाहिए लेकिन फिर भी येन केन प्रकारेण, जो लोग शहर में रहते हैं, जयपुर शहर को अदालतों में वकालत करते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में नहीं जाना चाहिए था, उनको जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मनोनीत किया गया। जो मनोनीत किये गये हैं उनका सवाल ले लीजिये। उस वक्त सरकार ने नहीं सोचा कि वे कहां के रहने वाले हैं। मैं वर्तमान चेयरमेन के लिये नहीं कह रहा हूँ। ये सीधे सादे और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। मैं तो उन भूतपूर्व चेयरमेन महोदय के लिये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की गाढ़ी कमाई में से ५०,००० रु० लगाकर पार्लिया-

[श्री मानसिंह महार]

मेन्ट का इलेक्शन जीता और जयपुर शहर में ५०,००० रू० लगाकर बंगला बना लिया। मैं तो उनके लिये कहना चाहता हूं, मंत्रीजी द्वारा कहा गया कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में धांधलियां हुई हैं। मैं उनसे कहूंगा कि हमारे रुपये..........

श्री सभापति (श्री गोपीलाल यादव)—आप बाहर जा रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, चेयरमेन महोदय, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आप उनको पार्लियामेन्ट में पहुँचा देते हैं तो हमारा उस ओर ध्यान हो जाता है कि क्या आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो तरीका उनके द्वारा अपनाया गया था उसको भारत सरकार की पार्लियामेन्ट में भी अपनाना चाहते हैं। अब मैं जैसा चेयरमेन महोदय का हुक्म और आदेश मिला है उसको मानकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बारे में कुछ बातें निवेदन करूंगा।

श्री चांदमल मेहता—वक्त हो गया, चेयरमेन महोदय।

श्री सभापति—भैंरूसिंहजी वाला मोशन जो है, this is to be decided today before we adjourn.

श्री वेदपाल त्यागी—तरीका क्या अपनाया गया है, उसके लिये क्या लोगों को बैठाकर तंग करके पास करना चाहते हैं? I think when the time is over we may disperse and take it tomorrow.

श्री भैंरूसिंह—अभी तो मुझे बोलना है। मेरा प्रस्ताव है, उस पर मुझे बोलने में टाइम तो लगेगा।

श्री चेयरमेन—(श्री मानसिंह महार से) आप कितना टाइम लेंगे?

श्री मानसिंह महार—अभी १५ मिनिट और लगेंगे।

श्री चेयरमेन—बात यह है कि प्रोसिडिंग्स 'ऑफ दि हाउस को लोग स्पीचेज़ द्वारा एब्यूज किया जायगा तो हम को सब को सफर करना होगा, and we shall have of sit longer. जब कि मिनिस्टर महोदय ने जवाब दे दिया है।

श्री मानसिंह महार—कल चार घंटे मिलेंगे उनमें यह हो जायगा। आज तो यह खत्म नहीं हो सकेगा। क्लॉज़ बाइ क्लॉज डिस्कसन्स होंगे, अमेन्डमेन्टस भी हैं। आज समाप्त करना चाहें तो अभी करें नहीं तो मैं बोले जाऊंगा।

श्री चेयरमेन—आप बोलिये।

श्री मानसिंह महार—बीच में डिस्टेंन्स होने से बातों की चेन टूट जाती है। लेकिन फिर भी राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स अमेन्डमेन्ट बिल के ऊपर मेरा उसे सिलेक्ट कमेटी के भेजने के लिये प्रस्ताव था उसके बारे में चंद बातें निवेदन करने जा रहा था। खास कर उन मुद्दों पर निवेदन कर रहा हूं जिसके बारे में मंत्रीजी से स्पष्ट उत्तर की आशा करता था। मंत्रीजी ने हमको कन्विन्स करने की तो बहुत कोशिश की, बड़े सुन्दर लहजे में उन्होंने बातें फरमाई और हमारी कुछ हद तक वे बातें उनको अपील भी कीं, लेकिन फिर भी जब हम आज के पहले के तजुर्बे को लेकर चलते हैं तो हम को यह महसूस होता है कि मंत्रीजी चाहे कितने ही गुड इन्टेन्शन्स से चलें लेकिन उनके गुड इन्टेन्शन्स को उनके साथ बैठने वाले सबोटेज करना चाहते हैं। मैंने मंत्रीजी के गुड इन्टेन्शन्स को आज तक कभी डाउट नहीं किया और अब भी अदब के साथ निवेदन करूंगा कि उनमें कभी डाउट नहीं करूंगा। लेकिन यह दुर्भाग्य है, मेरा तजुर्बा रहा है कि उनके इन्टेन्शन को सबोटेज़ करके नाजायज़ फायदा उठाना चाहते हैं। आज भी इलेक्शन के पोइन्ट को वे कंसीडर करने को तैयार थे लेकिन लोगों ने बाध्य किया कि वे डिफिकल्टीज़ में आ जायेंगे। वरना मंत्री महोदय तो मान गये थे कि इसमें कुछ न कुछ करना चाहिये लेकिन नहीं हुआ। इसमें राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है। हमारा क्या हम तो अर्ज करने वाले हैं। चेयरमेन महोदय, हम मंत्री जी तक को कन्विन्स कर सकते हैं, लेकिन इस के बाद में भी मंत्रीजी मजबूर हो जाते हैं। वरना कोई गुंजायश नहीं थी आज पास कर देते और उसके बाद कुछ और उसके बाद कुछ रद्दो बदल हो सकता था। लेकिन सूरत यह है कि ६ महीने की एक्सटेन्शन की बात है उस पर मंत्रीजी ने कहा कि न्याय संगत है। अब भी कहा ही था रेफर नहीं करेंगे। ६ महीने से १॥ साल और उससे बढ़ा कर २ वर्ष की बात है वे अब भी कहें कि मैंने मानली है और फिर जैसी जरूरत हो उसके अनुसार ऑर्डिनेन्स से आगे पीछे कर दें और जब हाउस दुबारा मीट करेगा तब वाजिब होगा जैसा हो जायगा। मैं आशा करूंगा कि कम से कम इस बात को मानलेंगे यह माइनर पोइन्ट है और रीज़नएबल बात है, उचित मांग है। यह हमारे दिल में शक पैदा करती है इसलिये निवेदन करता हूँ कि यह ऐसी बात नहीं है कि उनके इन्टेन्शन में, मैं किसी प्रकार का मेलाफाइडी मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है लेकिन शक पैदा होता है। हम यह चाहते हैं कि मंत्रीजी ६ महीने वाली बात को मानकर हमारी छोटी सी मांग को कम से कम मंजूर करेंगे।

दूसरी बात जो प्रोपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन की है उसके लिये प्रार्थना करूंगा कि यह जो प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन का सवाल है वह केवल हमारे विरोधी दल में बैठने वालों की एक वाजिब मांग है। हम उचित मांग कर रहे हैं। मुझे चेयरमेन महोदय, बड़ा आघात पहुँचा जब मंत्रीजी ने फरमाया कि पंचायतों में पार्टी बाजी है ही नहीं। नाम के लिये, दुनियां को दिखाने के लिये पार्टी बाजी न हो लेकिन वास्तविकता यह है कि तहसील की पंचायतों में पार्टी बाजी ही नहीं है बल्कि वहां पर मंत्रीजी को जानकारी होगी कि गुटबाजी और जातिवाद भी मौजूद है और भी कुछ ऐसी चीजें।

(घंटी)

[श्री मानसिंह महार]

चेयरमेन महोदय ने घंटी दे दी इसलिये आगे नहीं निवेदन करके यही कहूँगा कि मंत्रीजी जानने का कष्ट करें।

श्री भैंरू सिंह—चेयरमेन महोदय,............

श्री चेयरमेन (श्री गोपीलाल यादव)—आपको कितना समय लगेगा ?

श्री भैंरू सिंह—कम से कम १५ मिनिट चाहिये।

श्री सभापति—Then we adjourn for tomorrow at eight in the morning.

(तत्पश्चात सभा की बैठक १२ बज कर ३७ मिनट पर शनिवार, दिनांक १४ अप्रेल, के प्रात: ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर।
दिनांक १३ अप्रेल, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि संबन्धित प्रश्न कर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिन्हें प्रकाशित करने की संबंधित मन्त्री महोदयों की अनुमति है)

४६०. (४८ पी. डब्ल्यू. एम.) श्री कुम्भाराम आर्य, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८०:—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सरकार राजगढ़ शहर, जिला चूरू में कब तक बिजली लगवाने का विचार रखती है?

(२) क्या राजगढ़ में खम्मे तथा तारों को लगे कई वर्ष हो गये हैं? यदि हां, तो अभी तक बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है?

उत्तर

(१) राजगढ़ का विद्युतीकरण १९५७ के आरम्भ साल में सम्भवतया कर दिया जावेगा।

(२) पावर स्टेशन के लिये जो साइट्स (Sites) चुनी गई थी वह इस विभाग को प्राप्त नहीं हो सकी।

४६२. (३८ एफ. एम.) श्री रामलाल बन्सीवाल एम. एल. ए, डिविजन नम्बर १२७:—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) वन अधिकारी सिरोही, सिरोही में आने से पहले कहां किस पद पर नियुक्त थे और उनका अनुभव व क्वालिफिकेशन्स क्या हैं?

(ख) क्या यह सही है कि सरकार की ओर से उन्हें तीन आदमी घरू काम के लिये मिले हुए हैं? यदि नहीं, तो तीन व्यक्ति किस के अधिकार से उनके घर पर निजी काम पर लगे हुए हैं।

(ग) क्या यह सही है कि निजी काम न करने की सूरत में वे व्यक्ति अप्रसन्नता के भाजन बनते हैं और जो काम करते हैं उन्हें रुपये १०) सरकार की ओर से ज्यादा चौकीदारी के नाम से दिलाये जाते हैं?

उत्तर

(क) वर्तमान विषय बन अधिकारी सिरोही श्री अमृतलाल सांखला पहले सब डिवीजनल फोरेस्ट ओफिसर डूंगरपुर थे। ये देहरादून से रैंजर्स कोर्स की ट्रेनिंग पास किये हुए हैं और ११ साल से रैंज अधिकारी, सब डिवीजनल फोरेस्ट ओफिसर एवं डिवीजनल फोरेस्ट ओफिसर के पद पर काम कर चुके हैं।

(ख) जी नहीं। कोई व्यक्ति उनके निजी काम पर नहीं लगा हुआ है।

(ग) जी नहीं।

४६३. (१९. एस.आर.एम.) श्री धर्मपाल पंवार, एम.एल.ए., डिवीजन नम्बर ३७:— क्या पृथक राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) बीकानेर डिवीजन का सन् १९५२–५३, ५३–५४, ५४–५५, ५५–५६ का अफीम का कोटा कितना कितना था ?

(ब) उक्त वर्षों में संगरिया और बीकानेर को कितना कितना कोटा मिलता रहा है और इन दोनों स्थानों पर प्रति माह कितना कितना अफीम सेल हुआ ?

(स) क्या निश्चित कोटे के अतिरिक्त भी कुछ अफीम उक्त दोनों को दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो प्रति वर्ष कितना कितना ?

उत्तर

(अ) बीकानेर डिवीजन का अफीम का कोटा निम्न प्रकार था:—

	मन	सेर
१९५२—५३	१८७	२०
१९५३—५४	१८८	०
१९५४—५५	१५०	०
१९५५—५६	१३५	०

(ब) पिछले चार वर्षों में बीकानेर की दुकानों को निम्न प्रकार अफीम दिया गया:—

१९५२—५३	७	२७	८
१९५३—५४	७	३३	०
१९५४—५५	३३	२२	१०
१९५५—५६	२४	६	०

संगरिया में अफीम की कोई दुकान नहीं है। माहवारी अफीम जो बीकानेर की दुकानों को इन वर्षों में सेल हुआ उसका नकशा संलग्न है।

(स) १९५५–५६ के पूर्व अफीम का कोटा प्रति दुकान निश्चत नहीं किया जाता था। सन् १९५५–५६ में हर दुकान का अफीम का कोटा निश्चित किया गया और उसी के अनुसा अफीम दिया गया मगर किसी दुकान पर लाने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बिक्री के लिहाज से कोटे से अधिक अफीम भी दिया गया। बीकानेर में सन् ५५–५६ में अधिक अफीम की मात्रा ७ मन २ सेर की है।

STATEMENT SHOWING MONTHLY SALES OF OPIUM IN CIRCLE SANGARIA.

S. No.	Month.	1952-53. Md. Sr. Ch.	1953-54. Md. Sr.Ch.	1954-55. Md. Sr.Ch.	1955-56. Md.Sr.Ch.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	April.	5—4-8	2-10-0	5-36-3	1-37-4
2.	May.	4-29-12	2-20-0	5-18-0	2-18-4
3.	June.	3-21-8	2-15-0	2-13-12	1-29-12
4.	July.	3-30-0	1-27-8	3-22-0	1-28-12
5.	August.	3-24-8	1-29-0	5—6-8	2-22-12
6.	September.	3-12-0	1-30-0	2-28-10	1-24-12
7.	October.	3-29-12	1-21-4	2-27-15	3-13-12
8.	November.	3-37-8	3-22-12	3-35-11	3-26-12
9.	December.	4-29-8	32-29-0	3-26-0	1-24-12
10.	January.	3-33-8	12—3-8	3-36-8	3—4-12
11.	February.	2-24-8	3—7-12	3—5-3	1-24-12
12.	March.	2-12-4	6—3-12	3-25-9	1-24-12
	Total	45-19-4	71-19-8	46—2-4	27—1-0

STATEMENT SHOWING MONTHLY SALES OF OPIUM IN BIKANER.

S. No.	Month.	1952-53. Md. Sr. Ch.	1953-54. Md. Sr. Ch.	1954 55. Md. Sr.Ch.	1955-56. Md. Sr.Ch.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	April	0-32-8	0-27-8	1-12-8	1-30-0
2.	May.	0-25-0	0-22-8	0-27-8	2-21-0
3.	Juue.	0-22-8	0-27-8	0-20-0	1-17-0
4.	July.	0-17-8	0-22-8	0-22-8	2—2-0
5.	August.	0-30-0	0-25-0	1—3-8	1-17-0
6.	September.	0-20-0	0-28-0	4-35-0	2-27-0
7.	October.	0-22-8	0-30-0	2-25-10	2-27-0
8.	November.	0-20-0	0-27-8	8—5-0	2-37-0
9.	December.	0-27-8	0-20-0	3-30-0	1-17-0
10.	January.	0-27-8	0-20-0	3-15-0	2-17-0
11.	February.	0-37-8	0-27-8	3—8-0	1-17-0
12.	March.	0-25-0	0-35-0	3-18-0	1-17-0
	Total	7-27-8	7-33-0	83-22-10	24—6-0

४६१. (१८. एस.आर एम.) श्री रामदयाल उपाध्याय. एम एल.ए., डिवीजन नम्बर १२३—क्या पुनः संस्थापन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) कस्टोडियन विभाग के कितने रिट्रेन्चड कर्मचारियों को अब तक एब्जार्व किया गया और कितने बाकी हैं ? उनके नाम, योग्यता व सर्विस की अवधि क्या है ?

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न विभागों को इन कर्मचारियों को एब्जार्व करने के लिये लिखा है, यदि हां, तो किन किन विभागों को ?

(ग) क्या यह सच है कि कस्टोडियन विभाग में इन व्यक्तियों को रिटरेन्च करने के बाद कई नई नियुक्तियों की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सच है रिट्रेन्चड कर्मचारियों में से कुछ ने सरकार के पास रिप्रेजेन्टेशन व अपील कर रक्खी है ? यदि हां, तो उसका क्या निर्णय हुआ ? यदि नहीं, तो अब तक क्यों नहीं हुआ ?

उत्तर

(क) २४ रिट्रेंचड कर्मचारियों में से २१ कर्मचारी ऐबजोर्व हो गये हैं। बाकी ३ में से २ कर्मचारी ५५ वर्ष से ऊपर हैं, केवल १ कर्मचारी को ऐबजोर्व करना है तीनों के नाम योग्यता व सर्विस का विवरण संलग्न लिस्ट में दिया जाता है।

(ख) इनको ऐबजोर्व करने के लिए कमिश्नरों डेवेलपमेंन्ट विभाग व ऐबजोर्वेशन कमेटी को लिखा गया है।

(ग) जगह खाली होने के कारण कमिश्नर बीकानेर ने केवल क्लर्क की एक नियुक्ति की है।

(घ) केवल एक कर्मचारी ने रिप्रेजेन्टेशन कर रखा है। उसके बारे में कस्टोडियन से रिपोर्ट मांगी गई है। इसके आने पर निर्णय हो सकेगा।

रिट्रेंचड कर्मचारियों की सूची जो कस्टोडियन विभाग से रिट्रेंचड किये गये—

नाम	योग्यता	अवधिकाल	विशेष विवरण
१ श्री लाडूराम	केवल हिन्दी ज्ञानी	१ साल ५ मास	
२ श्री कन्हैयालाल	नौन मैट्रिक	३ साल २ मास	वर्ष ५५ से ऊपर
३ श्री हजारीलाल	हिन्दी ज्ञानी	३ साल ३ मास	"अ०"

४६६. (५६। पी.डब्यू.एम.) श्री मोहम्मद अब्दुल हादी, एम.एल.ए., डिवीजन नम्बर ७६—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(अ) क्या यह सही है कि बाडमेर चौहटारण सड़क पर सरकार ने अब तक लगभग दो लाख रुपया खर्च किया है ?

(ब) क्या यह सही है कि इतनी रकम खर्च होने के बावजूद भी सड़क बिलकुल निकम्मी है ?

(स) क्या यह सही है कि सड़क पर बजाय मुरड के पत्थर डाले जा रहे हैं जिससे इस सड़क पर गाड़ियों का चलना दुश्वार हो गया है ?

उत्तर

(अ) नहीं।

(ब) नहीं।

(स) नहीं।

४७०. (२१। एस.आर.एम.) श्री चांदमल मेहता, एम.एल.ए. डिवीजन नम्बर ८७—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) सीकर में चालू वर्ष (१६५५-५६) का शराब बेचने का ठेका किसको कितने रुपये में दिया गया ?

(२) १६५५-५६ के बाद वर्ष में कितनी शराब बेची गई और ठेकेदार को कमीशन किस हिसाब से दिया गया ?

(३) स्थानीय ठेकेदार के खिलाफ शराब में पानी मिलाने के कितने मामले पकड़े गये ?

उत्तर

(१) सीकर का १६५५-५६ का शराब का ठेका श्री मोहनलाल पुत्र लालजी सीकर को १२००१) रू० में दिया गया।

(२) शराब सन् ५५-५६ के वर्ष में ता० १८ मार्च सन् १६५६ ईस्वी तक १८३३ गैलन बेची गई व उस पर कमीशन निम्न लिखित दर से दिया गया।

शराब की तादाद	दर कमीशन	कुल रुपया
सादा १४६७ गैलन	२) प्रति गैलन	२९३४) रुपया
नारंगी २३६ गैलन	२।) ,, ,,	५३१) रुपया
गुलाब १८ गैलन	२॥) ,,	४५) ,,
केशर ७८ गैलन	३॥) ,,	२७३) ,,
जगमोहन ४ गैलन	४) ,,	१६) ,,
कुल १८३३ गैलन		३८५९ रुपया

(३) सीकर में शराब बेचने का ठेकेदार के खिलाफ शराब में पानी मिलाने के सिलसिले में कोई केस नहीं पड़ा गया।

(४७५ 66. P. W. M.) **श्री रामदयाल उपाध्याय, एम.एल.ए. डिवीजन नम्बर १२३**—क्या सार्वजनिक निर्माणमंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगें—

(अ) जहाजपुर-देवली सड़क का निर्माण कौन से सन् में हुआ था ?

(ब) इस सड़क की मरम्मत हुए कितने वर्ष हो गये ?

(स) क्या यह सही है कि इस सड़क की अवस्था बहुत खराब है ?

(द) यदि हाँ, तो अब कब तक सड़क ठीक हो जावेगी ?

उत्तर

(अ) सन् १९४२ में कार्य प्रारम्भ होकर सन् १९४६ में समाप्त हुआ।

(ब) साधारण मरम्मत हर वर्ष होती है। विशेष मरम्मत केवल ३ मील की सन् १९५० ५३ में हुई।

(स) सड़क की अवस्था सन्तोषजनक नहीं है। अगले वर्ष तक ठीक करा दिये जाने की आशा है।

४७६. (७८. पी.डब्लू.एम.) **श्री लाल बहादुर सक्सेना, एम.एल.ए. डिवीजन नम्बर ८२**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(अ) क्या बारा--रेलावन रामगढ़ रोड़ को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया है ?

(ब) अगर हां, तो कितने का एस्टीमेट बना है और कब तक टेन्डर लिये जावेंगें ?

(स) अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(अ) अभी स्वीकृत नहीं हुई है।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

(स) अभी विचाराधीन है।

४७७ (४७। एफ.एम.) श्री चांदमल मेहता एम.एल. ए. डिवीजन नम्बर ८७— क्या अर्थ मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) १५ मार्च १६५६ तक किशनगढ़ सब डिविजन के पेन्शन के कितने मामले निपटाये जा चुके हैं ?

(२) उक्त तिथि को उक्त सब डिविजन के किन व्यक्तियों के पेन्शन के मामले सरकार के विचाराधीन थे ?

(३) जो मामले विचाराधीन हैं उनमें कितने व्यक्ति मर चुके हैं ?

उत्तर

(१) विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार किशनगढ सब डिविजन के ४६ व्यक्तियों के पेन्शन के मामले १५ मार्च १६५६ तक निपटाया जाना पाया जाता है।

(२) जिन व्यक्तियों के मामले विचाराधीन हैं उनकी सूची संलग्न है।

(३) जिन व्यक्तियों के मामले विचाराधीन है उनमें से ३ की मृत्यु हो चुकी है।

नामावली जिनके मामले १५ मार्च १६५६ को विचाराधीन रहते हैं—

१. श्री चन्द्रनाथ खोजा।

२. श्री चतुरभुज मोरवाल।

३. श्री लक्ष्मीदत्त शर्मा।

४. श्री मोहनलाल, फोरमैन।

५. श्री चतुरभुज, ड्राईवर।

६. श्री अब्दुल गफार ।
७. श्री रामसिंह हैल्पर ।
८. श्री शिवसहाय, तहसील अरदली ।
९. श्री अर्जुनलाल पांडे ।
१०. श्री चन्द्रभान ।
११. श्री नारायणदत्त ।
१२. श्री नाथुसिंह ।
१३. श्री रामनिवास ।
१४. श्री गोवर्धनलाल ।
१५. श्री लक्ष्मीनारायण ।
१६. श्री सालिगराम, चपरासी ।
१७. श्री भरतसिंह मेहता ।
१८. श्री गुलामी नबी, कांस्टेबिल २०२३ ।
१९. श्री रामचन्द्रसिंह, कांस्टेबिल २३६५ ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

१. (४२।एफ. एम.) श्री चांदमल मेहता (८७) क्या अर्थ मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) वर्तमान समय में किन किन कर्मचारियों के पे स्केल को रिवाईज किया गया है ?

(२) पहले क्या वेतन मिलता था और रिवाइजड पे स्केल के माफिक क्या वेतन मिलेगा ?

(३) ऐसे किस किस केडर के कर्मचारी हैं जिनके पे स्केल को रिवाइज नहीं किया गया है ?

(४) पटवारियों का पे स्केल रिवाइज नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(उत्तर अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)